उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी

MSW-10

समाज कार्य क्षेत्र अभ्यास : एक परिचय

(SocialWorkPracticum:an Introduction)

समाज कार्य प्रैक्टिकम

प्रशासनिक–व्यवस्था

प्रो0 विनय कुमार पाठक	प्रो0 आर0 सी0 मिश्र
कुलपति	कुलसचिव
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय	उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी, नैनीताल	हल्द्वानी, नैनीताल

प्रो0 ए0 एस0 रावत
निदेशक समाज विज्ञान विद्याशाखा
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी, नैनीताल

पाठ–लेखन परामर्श

प्रो0 आर0 पी0 द्विवेदी	डा0 आर0 के0 सिंह
महात्मा गॉधी काशी विद्यापीठ	लखनऊ विश्वविद्यालय
वाराणसी	लखनऊ

पाठ–लेखन एंव सामग्री संकलन

डा0 नीरजा सिंह	डा0 राजेश कुशवाहा
प्रवक्ता	प्रवक्ता
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय	बुंदेलखण्ड विश्वविद्यालय
हल्द्वानी, नैनीताल	झॉसी,उत्तर प्रदेश

पाठ्यक्रम संयोजन

डा0 नीरजा सिंह
जूनियर रिसर्च साइंटिस्ट
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी, नैनीताल

पाठ्यक्रम उत्पादन

डी0 के0 सिंह
प्रभारी पाठ्यक्रम सामग्री
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी, नैनीताल

Copy right March,2011
“Paper used:Agro-based Environment Friendly”

उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी नैनीताल

सर्वधिकार सुरक्षित। इस कार्य का कोई भी अंश उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय की लिखित अनुमति लिये बिना मिमियोग्राफ अथवा किसी अन्य साधन से पुनः प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं है।

उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों के विषय में और अधिक जानकारी विश्वविद्यालय के कार्यालय हल्द्वानी, नैनीताल–263139 से प्राप्त की जा सकती हैं।

कुलसचिव उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय की ओर से मुद्रित एवं प्रकाशित।

उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय,
हल्द्वानी

समाज कार्य क्षेत्र अभ्यास : एक परिचय

(Social Work Field Practicum : an Introduction)

इकाई 1 समाज कार्य क्षेत्र अभ्यास : एक परिचय पृष्ठ – 3–19

इकाई 2 समाज कार्य क्षेत्र की दिशा में अभिविन्यास, भूमिकायें एवं अपेक्षायें
पृष्ठ–20–55

इकाई 3 समाज कार्य पर्यवेक्षण के प्रारूप और पद्धतिया पृष्ठ–56–68

इकाई 4 समाज कार्य क्षेत्र कार्य अभ्यास में व्यक्ति, परिवार, समुदाय व संगठन
पृष्ठ–69–95

नोट –समाज कार्य फील्ड वर्क में सेमेस्टर–09,सेमेस्टर–13 एवं प्राजेक्ट वर्क प्रशिक्षण हेतु कृपया इस पुस्तक का उपयोग करें।

इकाई–1

समाज कार्य क्षेत्र अभ्यास : एक परिचय

इकाई की रूपरेखा

1.0 उद्देश्य

1.2 परिचय

1.3 समाज कार्य क्षेत्र अभ्यास अवधारणा

1.4 समाज कार्य क्षेत्र अभ्यास का विश्वव्यापी एवं राष्ट्रीय परिदृश्य

1.5 मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा में समाज कार्य क्षेत्र अभ्यास की प्रासंगिकता

1.6 सार संक्षेप

1.7 परिभाषिक शब्दाबली

1.8 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

अभ्यास हेतु प्रश्न

1.0 उद्देश्य

इस इकाई को पढ़ने के बाद आप :–

- समाज कार्य क्षेत्र अभ्यास का परिचय प्राप्त कर सकेगें।
- समाज कार्य क्षेत्र अभ्यास को परिभाषित कर सकेगें।
- समाज कार्य क्षेत्र अभ्यास की अवधारणा को समझ सकेगें।
- समाज कार्य क्षेत्र अभ्यास के इतिहास की व्याख्या कर सकेगें।
- समाज कार्य क्षेत्र अभ्यास के विश्वव्यापी एवं राष्ट्रीय परिदृश्य को समझ सकेगें।

- मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा में समाज कार्य क्षेत्र अभ्यास की प्रासंगिकता को समझ सकेगें।

1.1 परिचय

व्यक्ति के अस्तित्व के बिना समाज की कल्पना व्यर्थ है। जहां समाज ने व्यक्ति को मानवीय अस्तित्व प्रदान किया है वहीं समाज में अनेक प्रकार की समस्याओं ने भी समय–समय पर जन्म लिया है। मनुष्य की इन समस्याओं पर नियंत्रण पाने की प्रक्रिया निरन्तर चलती रहती है। इन्हीं सामाजिक समस्याओं के निदान की एक श्रखंला के रूप में समाज कार्य का जन्म हुआ है। इस प्रकार से समाज कार्य व्यवसाय का मुख्य ध्येय प्रभावपूर्ण सामाजिक क्रिया एवं सामाजिक अनुकूलन के मार्ग में आने वाली सामाजिक एवं मनोसामाजिक समस्याओं का वैज्ञानिक ढंग से समाधान प्रस्तुत करना है।

परिभाषा :–The Dictionary of Sociology defines field work as social survey or process of collecting primary data from a population distributed geographically. इंडियन कांफ्रेंस आफ सोशल वर्क के अनुसार समाज कार्य मानवतावादी दर्शन वैज्ञानिक ज्ञान एवं प्राविधिक निपुणताओं पर आधारित व्यक्तियों अथवा समूहों अथवा समुदायों को एक सुखी एवं सम्पूर्ण जीवन व्यतीत करने में सहायता प्रदान करने हेतु एक कल्याणकारी क्रिया है। इस प्रकार से समाज कार्य क्षेत्र अभ्यास का तात्पर्य आत्मसहायता करने हेतु लोगों की सहायता करने के वैज्ञानिक ढंग के प्रयोग द्वारा व्यक्ति, समूह, समुदाय और संगठन की आवश्यकताओं को प्रभावित करने हेतु विभिन्न संसाधनों को जुटाने की एक कला है।

1.3 समाज कार्य क्षेत्र अभ्यास की अवधारणा

समाज कार्य क्षेत्र अभ्यास द्वारा कार्यकर्ता अपने वैज्ञानिक ज्ञान प्राविधिक निपुणताओं एवं मानवतावादी दर्शन का प्रयोग करते हुये मनोसामाजिक समस्याओं से ग्रस्त व्यक्तियों को वैयक्तिक, सामूहिक एवं सामुदायिक स्तर पर सहायता प्रदान करने की एक क्रिया है जो उनकी इन समस्याओं को पहचान में, उन पर ध्यान केन्द्रित करने, उनके कारणों को जानने तथा उनका स्वतः समाधान करने की क्षमता को विकसित करती है तथा सामाजिक व्यवस्था की गड़बड़ियों को दूर करते हुये इसमें वांछित परिवर्तन लाती है। ताकि व्यक्ति की सामाजिक क्रिया प्रभावपूर्ण हो सके, उसका समायोजन संतोषजनक हो सके और उसे सुख एवं शान्ति का अनुभव हो सके और सामाजिक व्यवस्था में पाये जाने वाली कुरीतियों एवं प्रगति को अवरूद्ध करने वाली संस्थागत संरचनाओं को उखाड़ फेंकते हुये सभी को

सामाजिक एवं आर्थिक विकास के समीचीन अवसर प्रदान किये जा सकें और सामाजिक संघर्षों को कम करते हुये एकीकरण को प्रोत्साहित किया जा सके।

समाज कार्य में क्षेत्र कार्य की पृष्ठभूमि को समझने के लिये समाज कार्य दर्शन को समझना अति आवश्यक है क्योंकि सामाजिक जीवन के मौलिक सिद्धान्तों और धारणाओं को समझे बिना क्षेत्र कार्य की वास्तविकता को समझना मुश्किल है। दर्शन सामाजिक जीवन के सर्वोच्च मूल्यों को प्रभावपूर्ण बनाता है तथा व्यक्ति, समाज आदि के आदर्शों तथा नैतिक व्यवहारों की व्याख्या करता है। दर्शन सामाजिक संबंधों के सर्वोच्च आदर्श का निरूपण करता है। समाज कार्य का अस्तित्व व्यक्ति की भलाई में निहित है। इसका मूलाधार ही मानवतावादी है, लेकिन मानवतावादी विचार सिद्धान्तों तथा तथ्यों पर आाधरित है। समाज कार्य वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग जन कल्याण के लिए करता है।

लियोनार्ड के अनुसार दर्शन विश्व के विभिन्न दृष्टिकोणों की प्रत्यात्मक अभिव्यक्ति से अधिक कुछ और है। आदर्शात्मक रूप के अतिरिक्त यह मुनष्य मनुष्य के बीच तथा मुनश्य व सम्पूर्ण जगत के बीच सम्बन्धों की मूल सत्यताओं का निरूपण करता है। मानव विज्ञानों को वैज्ञानिक होने के लिए दार्शनिक होना होगा। समाज कार्य मानव जीवन को अधिक सुखमय तथा प्रकार्यात्मक बनाने का संकल्प रखता हक। अतः बट्रिम का मत है कि समाज कार्य को वास्तविक होने के लिए दार्शनिक होना आवश्यक है। परन्तु यह संकल्प तभी पूरा हो सकता है जब समाज कार्य उन विश्वासों पर आधारित हो जो सुखमय जीवन का मार्ग प्रशस्त करते हैं। इसी संदर्भ में समाज कार्य दर्शन का वर्णन किया जा रहा है जिसमें समाज कार्य के प्रत्ययों, मनोवृत्तियों तथा मूल्यों का निरूपण किया जायेगा। यह आपको क्षेत्र में कार्य करने और समाज के दर्शन को समझने के योग्य बनाता है।

1.समाज कार्य के मूल प्रत्यय

(Basic concepts of social work)

समाज कार्य के निम्नलिखित प्रत्यय महत्वपूर्ण हैं।

1.व्यक्ति का प्रत्यय concepts of

जान्सन का मत है कि समाज कार्य व्यक्ति के अन्तर्निहित महत्व, सत्यनिष्ठा तथा गरिमा के प्रति आस्था रखता है। इस प्रत्यय को ध्यान में रखकर कार्यकर्ता सम्बन्ध स्थापित करता है तथा समस्या समाधान करने का प्रयास करता है। कार्यकर्ता यह विश्वास भी रखता है कि व्यक्ति समग्रता में प्रतिक्रिया करता है तथा उसकी बाहय एवं आन्तरिक परिस्थितियां भिन्न भिन्न होती हैं। अतः उनका व्यवहार भी भिन्न भिन्न होता है। उसके वैयक्तिक मूल्य महत्वपूर्ण होते हैं और वह संपूर्ण पर्यावरण के प्रति प्रतिक्रिया करता है। उसको अपना निर्णय लेने का अधिकार होता है। समाज कार्य में इन्हीं बिन्दुओं को महत्वपूर्ण माना जाता है तथा ये ही समाज कार्यकर्ताओं द्वारा किए जाने वाले कार्य का मार्ग निर्देशन करते हैं।

2. व्यवहार का प्रत्यय (Concept of behaviour)

व्यवहार का तात्पर्य व्यक्ति के वाहय पर्यावरण के प्रति किये गये प्रत्युत्तर से है। व्यक्ति पर्यावरण के साथ समायोजन करने के लिए प्रत्युत्तर करता है। प्रत्येक क्षण व्यक्ति को आन्तरिक तथा वाहय प्रेरक, आवश्यकताएं तथा सामाजिक पर्यावरण प्रभावित करते हैं जिसके कारण उस पर दबाव पड़ता है। फलतः उसे तनाव व चिंता की अनुभूति होती है। इस चिंता को कम करने के लिए तथा तनाव को हटाने के लिए व्यक्ति जो कार्य करता है उसे व्यक्ति का व्यवहार कहा जाता है। इस प्रकार व्यवहार के अन्तर्गत एक समय में व्यक्ति द्वारा किये गये समस्त संवेग, विचार, दृष्टिकोण तथा कार्य आते हैं। मानव व्यवहार अनेक सिद्धान्तों पर आधारित है जिनमें निम्न प्रमुख हैं।

(1)सभी प्रकार का व्यवहार अर्थपूर्ण होता है।
(2)व्यक्ति की मनोवैज्ञानिक स्थिति उसके व्यवहार को प्रभावित करती है।

(3)अतीत में प्राप्त किये गये अनुभव व्यवहार को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

(4)सामाजिक पृष्ठभूमि व्यवहार के ढंग को प्रभावित करती है।

(5)वंश परम्परा की विशेषताओं का व्यवहार पर प्रभाव पड़ता है।

(6)व्यवहार चेतन व अचेतन दोनों प्रकार का होता है।

(7)वर्ततान दशाओं का व्यवहार पर प्रभाव पड़ता है।

(8)भावी आशाओं का भी व्यवहार में महत्वपूर्ण स्थान है।

(9)सम्पर्क में आने वाले व्यक्तियों का व्यवहार व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित (10)करता है।

(11)नवीन तथ्यों की जानकारी के पश्चात व्यवहार बदलता भी रहता है।

समाज कार्यकर्ता व्यवहार के इन सिद्धान्तों को ध्यान में रखकर ही अपनी भूमिका संपादित करता है।

3. समस्या का प्रत्यय (Concept of problem)

जब एक व्यक्ति पहले से सीखी हुई आदतों, सम्प्रेरणाओं तथा नियमों की सहायता से उद्देश्य पर पहुंच नहीं पाता है, तब समस्या की स्थिति उतपन्न होती है। समस्या उस सयम भी उत्पन्न होती है जब व्यक्ति एक उद्देश्य तो रखता है परन्तु यह नहीं जानता है

कि उस उद्देश्य को कैसे प्राप्त किया जाये। समस्या किसी एक या एक से अधिक आवश्यकता से सम्बन्धित होती है जो व्यक्ति के जीवन में व्यवधान एवं कष्ट उत्पन्नक करती है। समस्या किसी दबाव शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक के रूप में भी हो सकती है जो सामाजिक भूमिका पूरी करने में बाधा उत्पन्न करती है। समस्या के अनेकानेक रूप होते हैं तथा इसकी प्रकृति गत्यात्मक होती है। यह सदैव श्रृंखलाबद्ध रूप में प्रतिक्रिया करती है। कोई भी समस्या जिससे व्यक्ति ग्रसित होता है वस्तुगत वाहय तथा विषयगत आन्तरिक दोनों प्रकार से महत्वपूर्ण होती है। समस्या के वाहय तथा आन्तरिक तत्व ने केवल एक साथ घटित होते हैं बल्कि इनमें से कोई भी एक दूसरे का कारण हो सकता है। समस्या की प्रकृति कैसी भी हो लेकिन सेवार्थी की प्रतिक्रियाओं का प्रभाव समस्या समाधान पर अवश्य पड़ता है।

समाज कार्यकर्ता में समस्या समाधान के लिए निम्न योग्यताएं होनी आवश्यक होती हैं।

(1) समस्या के तथ्यों का पूर्ण ज्ञान

(2) समस्या के सभी तत्वों के अन्तर्सम्बन्धों का ज्ञान

(3) तत्वों को व्यवस्थित करने की योग्यता तथा विकास की गति का ज्ञान

(4) परिस्थिति का उच्च प्रत्यक्षीकरण

(5) पूर्व अनुभवों का उचित उपयोग

(6) सम्प्रेरणाओं की जटिलता तथा इनके प्रकार का ज्ञान

समाज कार्य का दृढ़ विश्वास है कि समस्या सभी व्यक्तियों को किसी न

किसी रूप में प्रभावित करती है।। परनतु जो व्यक्ति समाधान कर लेता है वह सेवार्थी नहीं बनता। अतः समाधान करने की क्षमता का विकास व्यक्ति में सन्निहित है।

4. सम्बन्ध का प्रत्यय (Concept of relationship)

सम्बन्ध एक प्रत्यय है जो मौखिक अथवा लिखित वार्तालापों में प्रकट होता है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति लघुकालीन, दीर्घकालीन, स्थायी अथवा अस्थायी सामान्य अभिरूचियों एवं भावनाओं के साथ अन्तःक्रिया करते हैं। सामाजिक एवं सांवेगिक होने के नाते मनुष्य दूसरों के साथ सम्बन्धों, उनकी वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करते हैं। इसके साथ ही उसका सम्पूर्ण समायोजन भी उसकी परिधि क्षेत्र में आ जाता है। बीस्टेक ने सम्बन्ध के इन तत्वों का उल्लेख किया है। भावनाओं का उद्देश्यपूर्ण प्रगटन, नियंत्रित सांवेगिक भागीकरण, स्वीकृति, वैयक्तीकरण, अनिर्णायक मनोवृत्ति, आत्म निश्चयीकरण तथा गोपनीयता।

5. भूमिका का प्रत्यय (Concept of role)

सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था में व्यक्ति अपनी आयु, लिंग, जाति, प्रजाति एवं व्यक्तिगत योग्यता के आधार पर जिस स्थिति को प्राप्त करता है उसे उसकी प्रस्थिति कहा जाता है और प्रस्थिति के संदर्भ में सामाजिक परम्परा, प्रथा, नियम एवं कानून के अनुसार कार्य करने होते हैं, वह उसकी भूमिका होती है। लिंटन का मत है कि प्रत्येक स्थिति का एक क्रियापक्ष होता है, इस क्रिया पक्ष को ही भूमिका कहते हैं। अपनी स्थिति का औचित्य सिद्ध करने के लिए व्यक्ति को कुछ करना होता है, उसी को भूमिका कहा जाता है। जब व्यक्ति की प्रेरणायें एवं क्षमतायें उसकी अपेक्षित भूमिका के अनुकूल नहीं होती हैं तो उसका अनुकूलन नहीं हो पाता है और उसे वाहय सहायता की आवश्यकता होती है।

6. अहं का प्रत्यय (Concept of ego)

अहं मस्तिष्क का वह भाग है जिसके द्वारा व्यक्ति अपना मानसिक सन्तुलन बनाये रखता है। व्यक्ति में ऐसी अनेक मूल प्रवृत्तियां होती हैं जो सन्तुष्ट होने के लिए चेतन में आने का प्रयत्न करती हैं, परन्तु अहं ऐसा करने से रोकता है क्योंकि उन्हें सामाजिक स्वीकृति प्राप्त नहीं होती है। अहं की शक्ति की असफलता की अवस्था में व्यक्ति अतार्किक एवं अचेतन सुरक्षात्मक उपायों का प्रयोग अहं की सुरक्षा के लिए करता है। इस प्रकार की युक्तियों द्वारा व्यक्ति अपने व्यवहार को तार्किक बनाता है और समाज द्वारा अस्वीकृत उत्प्रेरकों को सही मानता है। वह अहं की रक्षा के लिए प्रक्षेपण, प्रतिगमन, अस्वीकृति, स्थानापन्न, प्रतिक्रिया, निर्माण आदि युक्तियों का प्रयोग संचेन रू‍प से करता है।

कार्यकर्ता सेवार्थी के समाज द्वारा स्वीकृत अनुकूलन के ढंगों तथा अतार्किक सुरक्षात्मक उपायों द्वारा अनुकूलन में अन्तर स्पष्ट करता है। वह सेवार्थी की अहं शक्ति का मूल्यांकन करता है तथा वर्तमान स्थितियों का सेवार्थी की दृष्टि से मूल्यांकन करता है। कार्यकर्ता अहं की कार्यप्रणाली तथा कार्यात्मकता के अध्ययन तथा निदान द्वारा सेवार्थी की शक्ति, विचार पद्धति, प्रत्यक्षीकरण, मनोवृत्ति आदि की जानकारी प्राप्त करता है। इस ज्ञान के आधार पर उसे चिकित्सा प्रक्रिया निश्चित करने में सुविधा होती है।

7. अनुकूलन का प्रत्यय (Concept of adaptation)

व्यक्ति को दो कारणों से तनावपूर्ण स्थिति का अनुभव होता है।

(1)पहले अपनाए गए तथा अभ्यस्त ढंगों के द्वारा परिवर्तित स्थिति की मांगों से सम्बन्धित भूमिकाओं का प्रतिपादन न हो पाना।

(2)व्यक्तिगत सम्प्रेरणाओं एवं क्षमताओं में परिवर्तन होने की स्थिति में पहले की भूमिकाओं को पूरा करने में व्यक्तिगत असन्तुलन होना।

व्यक्ति तनावपूर्ण स्थिति से तीन प्रकार से अनुकूलन करता है।

(1) प्रयोग में लाए गए तथा पूर्व निश्चित ढंगों के उपयोग द्वारा।

(2) कल्पना की उड़ान द्वारा।

(3) उदासीनता, मानसिक उन्मुखता, प्रत्याहार, अगतिमानता अथवा अतिसक्रियता द्वारा।

व्यक्ति सबसे पहले अपनी समस्या का समाधान अपने पहले प्रयोग में लाए गए ढंगों एवं प्रयुक्त प्रविधियों द्वारा करने का प्रयत्न करता है। यदि इस प्रकार समस्या का समाधान नहीं होता है तो वह या तो संघर्ष करता है या अपने को उस स्थिति के अनुकूल बना लेता है अथवा उस स्थिति से दूर होने का प्रयत्न करता है। यदि ये तरीके भी असफल हो जाते हैं तो वह समस्या के प्रति उदासीन होकर मानसिक रोगी बन जाता है।

समाज कार्य सेवार्थी की अनुकूलन करने की प्रविधियों की शक्तियों, क्षमताओं, प्रभावों आदि को महत्व देता है। सेवार्थी में अनुकूलन करने की क्षमता सामाजिक पर्यावरण से समायोजन करने की स्थिति को प्रभावित करती है। वह यह निश्चित करता है कि सेवार्थी तनावूपर्ण स्थिति को किस प्रकार सुलझाने का प्रयत्न करता है तथा अपने प्रयत्नों को किस सीमा तक परिवर्तित करता है, और उसकी कठिनाई एवं समस्या को कितनी जल्दी दूर किया जा सकता है। कार्यकर्ता यह जान लेने के पश्चात दो प्रकार का प्रयत्न करता है , वह या तो व्यक्ति की आन्तरिक शक्तियों को सम्बल प्रदान करते हुये अनुकूलन सम्भव बनाता है या फिर सामाजिक परिस्थिति में ही परिवर्तन लाने का प्रयास करता है।

समाज कार्य के मौलिक मूल्य

(Basic values of social work)

समाज कार्य का उद्देश्य मानव कल्याण करना है। यह कल्याण कार्य तभी सम्भव हो सकता है जब वह सामाजिक मूल्यों को अपनी क्रियाविधि में समाहित करे, क्योंकि मूल्य ऐसे सामाजिक प्रतिमान, लक्ष्य तथा आदर्श होते हैं जिनके आधार पर सामाजिक परिस्थितियों तथा व्यक्ति के व्यवहार का मूल्यांकन किया जा सकता है। मूल्यों के आधार पर ही मनुष्य के सामाजिक जीवन शैली का निर्धारण होता है तथा अन्तः क्रियायें सम्भव होती हैं। जान्सन के अनुसार मूल्यों को एक सांस्कृतिक या केवल वैयक्तिक धारणा या मानक के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसके द्वारा वस्तुओं की एक–दूसरे के सन्दर्भ में तुलना की जाती है, उन्हें स्वीकृत या अस्वीकृत किया जाता है, उन्हें सापेक्ष रूप से अपेक्षित या उपेक्षित, अधिक या कम, बुद्धिमत्तापूर्ण या मूर्खतापूर्ण अधिक या कम सही मान जाता है। मुकर्जी के मत में मूल्य समाज द्वारा मान्यता प्राप्त इच्छायें तथा लक्ष्य हैं जिनका अभ्यन्तीकरण सीखने या समाजीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से होता है और जो विषयात्मक प्रतिष्ठा, उद्देश्य एवं आकांक्षायें बन जाते हैं। कॉस के अनुसार मूल्य को किसी

वस्तु, अवधारणा, सिद्धान्त, क्रिया अथवा परिस्थिति के विषय में किसी व्यक्ति, समूह या समुदाय के बौद्धिक एवं संवेगात्मक निर्णय के रूप में देखा जा सकता है।

प्रत्येक व्यवसाय में जो मानव व्यवहार से सम्बन्धित है कुछ न कुछ मूल्य अवश्य होते हैं और इन मूल्यों के आधार पर ही वह व्यवसाय अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। सामाजिक मूल्यों का अत्यधिक महत्व होता है क्योंकि वे सामाजिक सन्तुलन को बनाये रखते हैं, व्यवहारों में एकता लाते हैं, जीवन के मनोवैज्ञानिक आधार निश्चित करते हैं, निश्चित व्यवहार प्रदान करते हैं, भूमिका का निर्धारण करते हैं तथा सामाजिक घटनाओं एवं समस्याओं के मूल्यांकन को सम्भव बनाते हैं।

समाज कार्य के मूल्य

कॉस ने समाज कार्य के 10 प्राथमिक मूल्यों का उल्लेख किया है

(1)मनुष्य की महत्ता तथा गरिमा

(2)मानव प्रकृति में पूर्ण मानवीय विकास की क्षमता

(3)मतभेदों के लिए सहनशीलता

(4)मौलिक मानवीय आवश्यकताओं की सन्तुष्टि

(5)स्वाधीनता में विश्वास

(6)आत्म निर्देशन

(7)अनिर्णायक प्रवृत्ति

(8)रचनात्मक सामाजिक सहयोग

(9)कार्य का महत्व तथा रिक्त समय का रचनात्मक उपयोग

(10)मनुष्य एवं प्रकृति द्वारा उत्पन्न किए गए खतरों से अपने अस्तित्व की रक्षा

कोनोप्का**(Konopka)** ने समाज कार्य के 2 प्राथमिक मूल्यों का उल्लेख किया है :

(1) प्रत्येक व्यक्ति का आदर तथा प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमताओं के पूर्ण विकास का अधिकार।

(2)व्यक्तियों की पारस्परिक निर्भरता तथा एक–दूसरे के प्रति अपनी योग्यता के अनुसार उत्तरदायित्व।

संयुक्त राष्ट ने समाज कार्य के निम्न दार्शनिक एवं नैतिक मूल्यों एवं मान्यताओं का उल्लेख किया है।

(1)किसी व्यक्ति की सामाजिक पृष्ठभूमि स्थिति, जाति, धर्म, राजनैतिक विचारधारा तथा व्यवहार को ध्यान में रखे बिना उसके महत्व, मूल्य या योग्यता को मान्यता प्रदान करना तथा मानव प्रतिष्ठा एवं आत्म–सम्मान को प्रोत्साहित करना।

(2)व्यक्तियों, वर्गों एवं समुदाय के विभिन्न मतों का आदर करने के साथ–साथ जन कल्याण के साथ उनका सामन्जस्य स्थापित करना।

(3)आत्म–सम्मान एवं उत्तरदायित्व पूरा करने की योग्यता बढ़ाने की दृष्टि से स्वावलम्बन को प्रोत्साहित करना।

(4)व्यक्तियों, वर्गों अथवा समुदायों की विशेष परिस्थितियों में संतोषमय जीवन निर्वाह करने हेतु समुचित अवसरों में वृद्धि करना।

हर्बट बिस्नो **(Herbert bisno)** ने समाज कार्य के दर्शन का विस्तृत वर्णन किया है। उन्होंने समाज कार्य दर्शन को 4 क्षेत्रों में विभाजित किया हैः व्यक्ति की प्रकृति के संदर्भ में, समूहों, व्यक्तियों एवं समूहों और व्यक्तियों के आपसी संदर्भ में, समाज कार्य की प्रणालियों एवं कार्यों के संदर्भ में, सामाजिक कुसमायोजन एवं सामाजिक परिवर्तन के संदर्भ में।

1. व्यक्ति की प्रकृति के संदर्भ में

(1)व्यक्ति अपने अस्तित्व के कारण ही मूल्यवान है।

(2)मानवीय पीड़ा अवांछनीय है अतः इसको दूर किया जान चाहिए अन्यथा जहां तक संभव हो कम किया जाना चाहिए।

(3)समस्त मानव व्यवहार जैविकीय अवयव तथा उसके पर्यावरण के बीच अन्तःक्रिया का परिणाम है।

(4)मनुष्य सम्भवतः विवेकपूर्ण कार्य नहीं करता है।

(5)जन्म के समय मनुष्य अनैतिक तथा असामाजिक होता है।

(6)मानव आवश्यकताएं वैयक्तिक एवं सामाजिक दोनों प्रकार की होती हैं।

(7)मनुष्यों में महत्वपूर्ण अंतर होते हैं। अतः उन्हें अवश्य स्वीकार कर लेना चाहिए।

(8)मानव सम्प्रेरणा जटिल एवं अस्पष्ट होती है।

(9)व्यक्ति के प्रारम्भिक विकास में पारिवारिक सम्बन्धों का प्राथमिक महत्व होता है।

(10)सीखने की प्रक्रिया में अनुभव एक आवश्यक पहलू है।

2. समूहों, व्यक्तियों एवं समूहों और व्यक्तियों के परस्पर सम्बन्धों के संदर्भ में

(1)समाज कार्य हस्तक्षेप न करने की नीति तथा सबसे अधिक उपयुक्त के जीवित रहने के सिद्धांत को नहीं मानता है।

(2)यह आवश्यक नहीं है कि धनी तथा शक्तिशाली व्यक्ति ही योग्य हों तथा निर्धन एवं दुर्बल व्यक्ति अयोग्य हों।

(3)सामाजीकृत व्यक्तिवाद विषम व्यक्तिवाद की अपेक्षा अच्छा है।

(4)सदस्यों के कल्याण का मुख्य उत्तरदायित्व समुदाय पर होता है। **(5)**सामाजिक सेवाओं पर समुदाय के सभी वर्गों का समान अधिकार है। समुदाय का उत्तरदायित्व है कि वह बिना भेदभाव के अपने सभी सदस्यों की कठिनाइयों का निराकरण करे।

(6)केन्द्रीय सरकार का यह उत्तरदायित्व है िकवह स्वास्थय, आवास, पूर्ण रोजगार, शिक्षा तथा अन्य विविध प्रकार से जन कल्याण एवं सामाजिक बीमा योजना सम्बन्धी कार्यक्रमों को लागू करे।

(7)जन सहायता आवश्यकता की अवधारणा पर आधारित होनी चाहिए।

(8)संगठित श्रम का सामुदायिक जीवन में सक्रिय योगदान होता है तथा उसकी शक्ति को विध्वंसात्मक न मानकर रचनात्मक मानना चाहिए।

(9)सम्पूर्ण समानता एवं पारस्परिक सम्मान के आधार पर सभी प्रजातियों एवं प्रजातीय समूहों में सम्पूर्ण सहयोग होना चाहिए।

(10)स्वतंत्रता एवं सुरक्षा में कोई पारस्परिक विरोध नहीं है।

समाज कार्य की प्रणालियों एवं कार्यों के संदर्भ में

(1) समाज कार्य का दृष्टिकोण द्विमुखी है। एक ओर समाज कार्य व्यक्तियों को संस्थागत समाज के साथ समायोजन स्थापित करने में सहायता देता है तो दूसरी ओर वह इस संस्थागत समाज के आवश्यक क्षेत्रों में परिवर्तन लाने का भी प्रयास करता है।

(2) मानव व्यवहार के अध्ययन के लिए वैज्ञानिक पद्धति को ही आवश्यक साधन माना जाता है।

(3) सामान्यतया एक सक्षम व्यक्ति अपने हितों का सबसे अच्छा निर्णायक होता है। उसे स्वयं निर्णय लेना चाहिए तथा समस्या का निराकरण करना चाहिए।

(4) व्यवहार में सुधार एवं सामाजिक विकास के लिए वातावरण के परिवर्तन एवं अन्तदृष्टि के विकास पर विश्वास रखता है न कि आदेश, निर्णय अथवा प्रबोधन में

(5) समाज कार्य जनतंत्र को एक प्रणाली के रूप में मानता है।

सामाजिक कुसमायोजन एवं सामाजिक परिवर्तन के संदर्भ में

(1) हमारी संस्कृति में गम्भीर राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक कुसमायोजन है।

(2) क्रमिक विकास द्वारा किया गया सुधार हमारे समाज के लिए प्रासंगिक एवं वांछनीय है।

(3) सामाजिक नियोजन आवश्यक है।

इतिहास का विस्तृत वर्णन आपने समाज कार्य के प्रथम सत्र में ज्ञात किया हैं आप जान गये होगें कि समाज कार्य शिक्षा में प्रशिक्षण का प्रारम्भ दान संगठन के रूप में अमरीका में 1898 में प्रारम्भ हुआ। यह संगठन नये प्रशिक्षुओं हेतु प्रशिक्षण का प्रबंध करता था। इस प्रशिक्षण की प्रकृति निश्चित रूप से परीक्षणात्मक होती थी। यह सिर्फ पांच सप्ताहों का एक प्रशिक्षण कार्यक्रम था जो नये प्रशिक्षुओं को प्रदान किया जाता था। समाज कार्य व्यवसाय में क्षेत्र कार्य अभ्यास को प्रारम्भ करने का श्रेय मेरी रिचमंड को जाता है। जिन्होंने वैयक्तिक समाज कार्य के माध्यम से क्षेत्र कार्य अभ्यास की प्रासंगिकता को समझाया। क्षेत्र कार्य अभ्यास का मुख्य ध्येय समाज कार्य की उन विधाओं का क्षेत्र में अभ्यास करने की कला का विकास करना है जिनके माध्यम से समाज कार्य की व्यावसायिक विधियों का क्षेत्र में प्रयोग कर व्यक्ति, समूह, समुदाय तथा संगठन को सहायता प्रदान की जाती है।

क्षेत्र कार्य हेतु कार्यकर्ता को कुछ तैयारी करनी होती है जिसका वर्णन निम्नवत है–

1. एजेन्सी(संस्था) की विस्तृत जानकारी एवं इतिहास को जानना।
2. एजेन्सी(संस्था) में क्षेत्र कार्य पर्यवेक्षक,कर्मचारियों व उपभोगताओं से सम्बन्ध स्थापित करना।
3. एजेन्सी (संस्था) में अपनी भूमिका एवं स्थिति का पता लगाना तथा उसे स्वीकार करना।
4. संस्था और समाज कार्य कार्यक्रम से सम्बन्धित कर्मचारियों से परिचित होना तथा संस्था में अपने कार्य को समझना।

5. संस्था में कार्यकर्ता द्वारा संपादित किये जाने वाली भूमिकाओं एवं कार्यों को समझना ।

6. संस्था में कार्यकर्ता द्वारा संपादित किये जाने वाले कार्यों की रूपरेखा तैयार करना एवं निश्चित समय सारिणी बनाना ताकि अतिरिक्त भार से बचा जा सके।

7. समाज कार्यकर्ता द्वारा संपादित किये जाने वाले कार्यों से सम्बन्धित निपुणताओं की पूर्ण जानकारी होना।

8. व्यक्तिगत शिक्षण शैलियों एवं उसके द्वारा संपादित की जाने वाली भूमिकाओं का निर्धारण करना।

9. संस्था में अपनी भूमिकाओं का निर्धारण होना।

10. व्यावसायिक (पेशेवर) सामाजिक कार्यकर्ता की मर्यादाओं का पालन करना।

एक समाज कार्यकर्ता का पहला कदम उसका व्यावसायिक सामाजिक कार्यकर्ता बनने का निर्णय लिया जाना है क्योंकि व्यावसायिक समूह से जुड़ना एक लंबी प्रक्रिया है और क्षेत्र कार्य अभ्यास इस प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण चरण है। यह कोई अंतिम उद्देश्य नहीं है बल्कि सामाजिक कार्यकर्ता में समाज कार्य व्यवसाय के कौशलों को निखारने एवं ज्ञान के व्यापक होने के साथ–साथ परिवर्तित होने की कला का विकास भी किया जाना है। समाज कार्य व्यवसाय में क्षेत्र अभ्यास कार्यकर्ता के समाज कार्य व्यवसाय के साथ तादात्म स्थापित करने एवं व्यक्तिगत और व्यावसायिक सीमाएं स्थापित करने में सहायक होता है। क्षेत्र कार्य विविध परिवर्तनों, विभिन्न भूमिकाओं समूह, कार्यकर्ता, समुदाय, संगठनकर्ता, विद्यार्थी एवं पर्येवक्षेक आदि की भूमिकाओं का निर्धारण करने एवं तनावों से समायोजन करने का एक अवसर प्रदान करता है।

1.5 समाज कार्य क्षेत्र अभ्यास का विश्वव्यापी एवं राष्ट्रीय परिदृश्य

सन् 2004 में,अन्तर्राष्ट्रीय सामाजिक कार्यकर्ता संघ (IFSW) और अंत अन्तर्राष्ट्रीय समाज कार्य स्कूल संघ (IASSW) ने समाज कार्य व्यवसाय की शिक्षा व प्रशिक्षण के लिये अपने विश्वव्यापी मानदंड (मानक) प्रकाशित किए (सी0यू0पाल और जोन्स,2005) ।इस विस्तृत और सुविचारित रूप से निर्मित दस्तावेज के हिस्से के रूप में,लेखकों ने क्षेत्र शिक्षा के लिये विशिष्ट सिफारिशें तैयार कीं।इनमें वे सिफारिशें सम्मिलत हैं जिनको प्राप्त करने की आकांक्षा कार्यक्रमों में सुसंगत रूप से होनी चाहिये :

1.विद्यार्थी व्यावसायिक अभ्यास के लिये तैयार हो सकें यह सुनिश्चित करने के लिये पर्याप्त अवधि वाली ऐसी क्षेत्र शिक्षा जिसमें कार्यों की जटिलता तथा सीखने के पर्याप्त अवसर हों।

2.स्कूल और एजेंसी /क्षेत्र नियोजन व्यावस्था के बीच योजनाबद्व समन्वय और संपर्क।

3.क्षेत्र कार्य पर्यवेक्षकों या प्रशिक्षको के लिये अभिविन्यास का प्रावधान।

4.किसी भी देश के समाज कार्य व्यवसाय के विकास स्तर द्वारा निर्धारित योग्यता के अनुसार योग्यता प्राप्त और अनुभवी क्षेत्र पर्यवेक्षकों या प्रशिक्षकों की नियुक्ति और क्षेत्र कार्य पर्यवेक्षकों या प्रशिक्षकों के लिये अभिविन्यास का प्रावधान।

5.पाठयचर्या विकास में क्षेत्र प्रशिक्षकों को समाविष्ट करने और सहभागी बनाने का प्रावधान।

6.क्षेत्र शिक्षा और विद्यार्थी के क्षेत्र कार्य निष्पादन के मूल्यांकन संबंधी निर्णय लेने में शैक्षिक संस्था और एजेंसी और सेवा प्रयोक्ताओं के बीच साझेदारी।

7.क्षेत्र कार्य प्रशिक्षकों या पर्यवेक्षकों को एक क्षेत्र निर्देश नियमावली उपलब्ध कराना जिसमें इसके क्षेत्र कार्य मानदडों,कियाविधियों,निर्धारण मानदण्ड/कसौटी और अपेक्षाओं के ब्यौरे हों।

8.यह सुनिश्चित करना कि कार्यक्रम के क्षेत्र कार्य घटक की जरूरतों की पूर्ती के लिये समुचित और पर्याप्त संसाधन उपलब्ध करायें जायें।(2005 : 220)

भारत में विद्यार्थी,सामाजिक कार्यकर्ताओं के समक्ष समस्यायें

भारत में विद्यार्थियों और व्यावसायिकों को भारत या विदेशी मूल के साहित्य का अत्यधिक अभाव है अतः उन्हें साहित्य उपलब्ध नहीं है। भले ही भारत समाज कार्य की अधिकांश जानकारी पश्चिम से ग्रहीत की गई है लेकिन उसे उस सिद्वांत को भारत सीधे लागू करना कठिन है क्योंकि भारत विभिन्न संस्कृतियों पर आधारित है। योग्य एवं पढे लिखे कई सामाजिक कार्यकर्ताओं को कई कारणों से पश्चिम विश्वविद्यालय और पश्चिम में नौकरियॉ आकृष्ट करती हैं।सामान्यता लोगों की यह सोच होती है कि इंजीनियरिंग,चिकित्सा,कानून या व्यापार (जो व्यवसाय लोगों को अत्यधिक प्रतिष्ठित लगते है)में प्रवेश न मिल पाने के कारण उन्हें समाज कार्य व्यवसाय में आना पड़ा है ऐसे में अपने व्यवसाय पर गर्व कर पाना सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिये अत्यिधक कठिन होता है। एक व्यवसाय के रूप में समाज कार्य को सम्मानजनक दृष्टि से नहीं देखा जाता उन्हें हीन दृष्टि से देखा जाता है ।

समाजिक कार्यकर्ताओं के निम्न वेतनमान और इस व्यवसाय के प्रति व्यापक जन समर्थन का अभाव ही इंग्लैंण्ड ,अमेरिका और आस्ट्रेलिया में ''प्रतिभा पलायन'' का कारण बना है। सामाजिक कार्यकर्ताओं का विदेश जाने का अन्य कारण है उनका वहॉ उच्च अध्ययन केइ इ लिये जाना। जब उन्हें ज्ञात होता है कि सिद्वान्त में उन्होंने जिन नैतिक मानकों का अध्ययन किया था वह वास्तविक रू में उन्हें अभ्यास में या अमल में नहीं लाया गया तो वे हतोत्साहित हो जाते हैं। ऐसा समाज कार्य अनुसंधान में विशेष रूप से देखा गया है।

भारत में स्नात्कोत्तर कार्यक्रमों के प्रथम वर्ष में सामान्य पाठयक्रम अंतर्वस्तु पढायी जाती है ताकि वे विभिन्न परिस्थितियों से निपटने,भिन्न–भिन्न भूमिकाओं को निभाने तथा समाज कार्य की सम्पूर्ण विधियों को अपनाने के योग्य होना चाहिये । शिक्षा के दूसरे वर्ष में

विद्यार्थी अपनी विशेषताओं का क्षेत्र चुनता है। जिससे वे अपनी पसन्द के क्षेत्र में कार्य कर कौशल प्राप्त कर सके ।

भारत में ऐसा देखा गया है कि अंत विषयक दृष्टिकोण चिकित्सा या मनोचिकित्सीय सुविधा में सबसे अच्छा काम कर रहा है। वहॉ सामाजिक कार्यकर्ता की भूमिका सुनिश्चित होती है चाहे वह रोगी के परिवार के काम करने की हो,सामुदायिक संसाधनों या रोगियों को अभिवृत्तियों या भावनाओं से संबंधित हो। सामाजिक कार्यकर्ता को महसूस होता है कि दल के साथ काम कर रहा है और रोगी के कल्याण के लिये सौहार्द के साथ–साथ सहयोग कर रहा विभिन्न परिवेशों में इस प्रकार दलगत कार्य का अनुभव वहीं हो सकता है जहॉ समाज कार्य टीम का एक हिस्सा हो। तालमेल,संपर्क,सुनने और टीम में कार्य करने के कौशल इस प्रक्रिया में सहायक होते हैं।

भारत में उपचार की अपेक्षा रोकथाम बेहतर है क्योंकि मौजूदा कानूनों को लागू करना इतना आसान नहीं है।भारत में कानून प्रणाली उन लोगों के लिये काम करती है जिसके पास धन है। कई अपराधों की रिपोर्ट यह सोच कर नहीं की जाती कि उच्च वर्ग अपनी निर्दोषयता को सिद्व कर सकता है। कानून प्रवर्तक अपनी नौकरी पर अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ने के डर से अपना कर्त्तव्य करने से घबराते हैं जबकि अपराधकर्ता संपन्न और उच्च वर्ग का है।

समाजिक कार्यकर्ता में आधारभूत सामान्य बुनियाद होना और जहॉ समुचित हो वहॉ विशिष्ट तकनीकों का प्रयोग करना महत्वपूर्ण है। एक Generalist सामाजिक कार्यकर्ता विभिन्न संस्कृतियों के प्रति संवेदनशील होगा और विविध कौशल करने योग्य होगा।सामाजिक कार्यकर्ता को परिवार के साथ सांस्कृतिक जरूरतों के प्रति अतिसंवेदनशील के साथ भी काम करना होगा।एक Generalist सामाजिक कार्य व्यक्तिगत स्तर पर भी कार्य करता है।

1.6 मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा में समाज कार्य क्षेत्र अभ्यास की प्रासंगिकता

समाजिक कार्य शिक्षा में दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के रूप में वैकल्पिक शिक्षा नीति ने सामाजिक कार्य शिक्षा को समाज शिक्षा प्रणाली के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण विकासों में स्थान दिया है। यू.के, यू.एस.ए, कनाडा और आस्ट्रेलिया जैसे देशों में बड़ी संख्या में शिक्षण संस्थान दूरस्थ शिक्षा के द्वारा बी.एस.डब्ल्यू, एम.एस.डब्ल्यू की डिग्री प्रदान कर रहे हैं। व्यापक विश्लेषण के बाद पुर्नसमीक्षा करने वाले लेखकों ने निष्कर्ष निकाला है कि 'सामाजिक कार्य दूरस्थ शिक्षा पाठयक्रमों और कार्यक्रमों में पाठयक्रम और कार्यक्रम के परिणामों की तुलना पारम्परिक नियमित कक्षा कार्यक्रमों से प्राप्त परिणामों से की जाती है' (मैसी एवं सयोगी, 2001पृष्ठ संख्या, 72)।

क्षेत्र आधारित शिक्षा/ अधिगम का प्रावधान सबसे महत्वपूर्ण सरोकारों में से एक है। यद्यपि इसने विशेष रूप से भारत में सामाजिक कार्य शिक्षा की दूरस्थ शिक्षा प्रणाली को मान्यता प्राप्त कराने में काफी देर कर दी है। इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) में समाज कार्य विद्यापीठ ने समाज कल्याण क्षेत्र में बड़ी संख्या में कार्य कर रहे अप्रशिक्षित कर्मचारियों के प्रशिक्षण की आवश्यकताओं को संबोधित करने के लिए वैकल्पिक शिक्षण कार्यक्रम को आरम्भ करने की आवश्यकता को पहचाना है।

सामाजिक कार्य शिक्षा का मुख्य उद्देश्य कुशल और प्रभावी पेशेवर तैयार करना है। जो कि प्रभावित व्यक्ति की जटिल आवश्यकताओं को, विविध जन और निजी मानव सेवा व्यवस्था को पूरा कर सके। समाज कार्य शिक्षा, व्यावसायिक कौशलों और मूल्यों की शिक्षा के साथ वैज्ञानिक जांच को सम्मिलित करता है। समाज कार्य में प्रशिक्षण कार्य करने वाले को अनेक समाज कार्य व्यवहार की कार्यप्रणालियों के उपयोग द्वारा अनेक भूमिकाओं को निभाने में सक्षम बनाता है।

समाज कार्य शिक्षा प्रणाली में अनेक प्रमुख परिवर्तन देखे गये हैं। ये परिवर्तन दो प्रमुख कारणों से हुये हैं।

1– हस्तक्षेप के विभिन्न स्तरों पर सामाजिक देखभाल और सामाजिक विकास कार्यक्रमों को संचालन के लिए बड़ी संख्या में प्रशिक्षित पेशेवर की आवश्यकता को स्वीकारा गया है। इसका अर्थ है कि सामाजिक कार्य शिक्षा प्रणाली को न सिर्फ वरिष्ठ और पर्यवेक्षण के स्तर के कार्यों के लिए सामाजिक कार्य करने वाले तैयार करने हैं, बल्कि ऐसे कार्यकर्ता भी तैयार करने हैं जो संवेदनशीलता और सहानूभूति के साथ व्यापक भौगोलिक क्षेत्रों में जमीनी स्तर पर कार्य कर सकें।

2– सामाजिक कार्य शिक्षा में संभ्रान्त और शहरी रूझान की आलोचना बढ़ती जा रही है। फील्ड में कार्य करने वाले विशेष रूप से भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता ये दावा करते हैं कि स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त विद्यार्थियों की आकांक्षाएं जमीनी स्तर पर समाज कार्य व्यवहार की वास्तविकताओं से मेल नहीं खाती। जहां उनकी सबसे अधिक आवश्यकता होती है साथ ही परास्नातक शिक्षित समाज कार्य पेशेवरों को स्वयं अपने बीच के और ग्रामीण दूरस्थ क्षेत्रों में स्थित लोगों के बीच के सामाजिक और सांस्कृतिक अन्तराल को खत्म करने में कठिनाई होती है।

साथ ही उच्चतर शिक्षा की विद्यमान प्रणालियां सामाजिक, भौगोलिक अथवा आर्थिक रूप से वंचित स्थितियों वाले व्यक्तियों की अधिक पहुंच नहीं होती है। कुछ दशकों में उपर्युक्त विकासों पर प्रतिक्रिया के लिए अनेक पहल की गयी है।

दूरस्थ शिक्षा प्रणालियों में प्रायोगिक क्षेत्र कार्य

सामाजिक कार्य शिक्षा में करके सीखने के घटक को फील्ड वर्क, फील्ड आधारित अधिगम जैसे विविध नाम दिये जाते हैं। इन सभी में एक समान घटक विद्यार्थियों की फील्ड आधारित नियुक्ति, इन नियुक्तियों पर नियोजित असाइनमेंट किये जाते हैं, किये गये कार्य की रिकार्डिंग की जाती है, फील्ड में अनुभवों का परिलक्षण और मूल्यांकन, और निर्धारित क्रमिक अधिगम प्राप्त करने के लिए परिवेक्षणीय मार्ग निर्देशन का उपयोग किया जाता है। इसे' व्यावसायिक अधिगम' बनाने के लिए प्रायोगिक कार्य कक्षा पाठयक्रम विषयवस्तु, सिद्धांत पर आधारित होता है। और इसे अति चापित नैतिक कोड के दायरे में ही किया जाता है।

ऐतिहासिक रूप से भारत में सामाजिक कार्य शिक्षा में पश्चिमी माडल को अपनाया जाता है। और ये लगभग पूरी तरह से पश्चिमी साहित्य पर निर्भर करता है। विद्यार्थियों की भाषा, संस्कृति और सामाजिक, आर्थिक स्तर और वे व्यक्ति जिनके लिए उन्हें कार्य करना था में निरन्तर विविधता होती जा रही है। यही नहीं, चूंकि शिक्षण संस्थान मुख्य रूप से शहरी क्षेत्र में स्थित हैं अतः सूदूर क्षेत्रों में स्थित विद्यार्थी उच्चतर शिक्षा की सेवाओं तक पहुंचने में असमर्थ हैं। दूरस्थ शिक्षा प्राप्त करने वाले और कैम्पस विद्यार्थी के बीच में प्रमुख अंतर यह है कि अनेक दूरस्थ शिक्षा प्राप्त विद्यार्थी अंशकालिक विद्यार्थी हैं और इसीलिए उनमें अपने पाठयक्रमों को पूर्णकालिक पारम्परिक प्रणाली की अपेक्षा अधिक वर्षों में करने की प्रवृत्ति होती है। दूसरे दूरस्थ शिक्षा प्रणाली से शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की क्षमतांए मिश्रित प्रकार की होती हैं। सामाजिक कार्य पाठयक्रमों को दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के तहत पंजीकृत विद्यार्थी स्वाभावित रूप से शिक्षा और कार्य अनुभव के विभिन्न प्रकार के स्तरों को प्रस्तुत करते हैं। ये विभिन्न क्षेत्रों के होते हैं, विभिन्न भाषाएं बोलते हैं और विविध सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों से आते हैं। दूरस्थ शिक्षा पद्धति के अन्दर सामाजिक कार्य में फील्ड अथवा क्षेत्र प्रायोगिक कार्यक्रम की रूपरेखा बनाना वास्तव में चुनौतीपूर्ण कार्य है। पारम्परिक प्रणाली से थोड़ी समानता रखते हुये सामाजिक कार्य शिक्षण संस्थान दूरस्थ शिक्षा पद्धति में भी क्षेत्र आधारित अधिगम व शिक्षा के सभी महत्वपूर्ण घटकों को फील्ड वर्क कार्यक्रमों की संरचना में उसी प्रकार समावेशित कर देते हैं।

1.7 सार संक्षेप

क्षेत्र कार्य नियोजन में व्यावसायिक समाज कार्यकर्ता के लिये क्षेत्र कार्य से सम्बन्धित व्यक्तिगत शक्तियों,कमजोरियों और भावनाओं को समझना बहुत आवश्यक होता है क्योंकि यह कार्यकर्ता को सहायता एवं बाधा दोनों पहुचॉ सकता है। इस प्रकार से क्षेत्रकार्य में यह जानना अति आवश्यक होता है कि आप क्षेत्र नियोजन से एवं पर्यवेक्षक से क्या अपेक्षा रखते है और उससे क्या सीखना चाहते है। इसमें कुछ ऐसे क्षेत्र भी हो सकते है जो आपके लिए नये हो और कुछ ऐसे भी जिनके विषय में आप अनुमान लगा सकते है। अतः इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थी को हमेशा तैयार रहना चाहिये।

1.8 परिभाषिक शब्दाबली

Person	व्यक्ति	Mother institutions	दाता संस्थायें
Family	परिवार	Non govt. organisations	गैर सरकारी संगठन
Community	समुदाय	Environmental Manipulation	स्थिति पर्यावरण

1.9 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. कुमार, डॉ0 रूपेश, क्षेत्र कार्य, असिस्टेन्स फार स्ट्रेन्थनिगं इन्फ्रास्ट्रेक्चर ऑफ हयूमिनीटिज एण्ड सोसल सांइसेज, समाज कार्य विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ, वर्ष 2006, पेज 4, 5, 60–83.
2. समाज कार्य का इतिहास एवं विकास, मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय, लर्निंग मटेरियल, रूचि प्रिन्टर्स भोपाल, वर्ष 2003, पेज 89–101.
3. समाज कार्य प्रैक्टिकम : सिहंगाावलोकन,इदिंरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय समाज कार्य विद्यापीठ।

अभ्यास हेतु प्रश्न

1.समाज कार्य क्षेत्र अभ्यास की अवधारणा को समझाइये।

2. समाज कार्य के मूल प्रत्यय क्या हैं।

3.समाज कार्य अभ्यास में मौलिक मूल्यों का महत्व क्या है

4. समाज कार्य को समझने के लिये इसके दर्शन को समझना क्यों आवश्यक है।

इकाई – दो

समाज कार्य क्षेत्र की दिशा में अभिविन्यास, भूमिकायें एवं अपेक्षायें

इकाई का रूपरेखा

2.0 इकाई का उद्देश्य

2.1 परिचय

2.2 समाज कार्य क्षेत्र की दिशा में अभिविन्यास

2.3 समाज कार्य क्षेत्र की दिशा में भूमिकायें एवं अपेक्षायें

2.4 समाज कार्य क्षेत्राभ्यास में समाज कार्य प्रशिक्षण संस्थान की भूमिकायें एवं अपेक्षायें

2.5 समाज कार्य व संस्था सम्बन्धी सिद्धान्त, अपेक्षायें और कौशल

2.6 सार संक्षेप

2.7 पारिभाषिक शब्दावली

अभ्यास हेतु प्रश्न

सन्दर्भ सूची

2.0 इकाई का उद्देश्य

इस इकाई को पढ़ने के बाद आप निम्न की जानकारी प्राप्त कर सकेगें।

1. समाज कार्य क्षेत्र की दिशा में अभिविन्यास के बारे में जान सकेगें।
2. समाज कार्य क्षेत्र की दिशा में भूमिकायें एव अपेक्षाओं के बारे में लिख सकेगें।
3. समाज कार्य क्षेत्राभ्यास में समाज कार्य प्रशिक्षण संस्थान की भूमिकायें एव अपेक्षायें क्या होती है। के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेगें।

4. समाज कार्य व संस्था सम्बन्धी सिद्धान्त, अपेक्षायें और कौशल के बारे में लिख सकेगें।

2.1 समाज कार्य क्षेत्र की दिशा में अभिविन्यास : परिचय

प्रथम वर्ष के छात्रों को विभिन्न स्वयं सेवी संस्थाओं, सरकारी संस्थाओं और सामुदायिक परिप्रेक्ष्य में उनसे सम्बन्धित संस्था में नियुक्ति के पूर्व तत्कालिक क्षेत्र कार्य हेतु पूरे शैक्षिक सत्र में एक निश्चित अवधि के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण का उद्देश्य समाज कार्य के विभिन्न क्षेत्रों, विभिन्न प्रकार के संस्थाओं, विभिन्न तकनीकियों के प्रयोग, पद्धतियां, व्यावसायिक दृष्टिकोण एवं परिवर्तन से परिचित कराना है। सामान्यतः समाज कार्य विद्यालय/विश्वविद्यालय अपने प्रशिक्षण कार्यक्रमों को पाठयक्रम के अनुसार आयोजित करते हैं एवं विभिन्न संस्थाओं का कार्यक्रम बनाते है। यद्यपि भ्रमण कार्यक्रम की प्रक्रिया एवं पद्धति विद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में अलग–अलग होती है। भ्रमण कार्यक्रम के अन्तर्गत सामान्यतः अभिमुखी कार्यक्रमों का आयोजन अभिकरण के छात्रों के क्षेत्र कार्य के लिए नियुक्ति से पूर्व किया जाता है और सामान्यतः कार्यक्रम प्रथम सत्र में ही पूर्ण कर लिये जाते हैं।

चूकि उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय समाज कार्य की शिक्षा स्नातकोत्तर स्तर पर प्रदान कर रही है जिसमें विभिन्न पर्यवेक्षक अपने उत्तरदायित्वों के अनुसार समाज कार्य के विद्यार्थियों को निर्देशित करेगें कि वे अभिमुखी कार्यक्रम के अन्तर्गत संस्थाओं का चयन कर स्वयं इनके बारे में जानकारी प्राप्त कर लें। अभिमुखी व्याख्या हेतु अग्रलिखित प्रतिदर्श दिये जा रहे है। जो कि समाज कार्य के प्रथम वर्ष के छात्रों द्वारा अभिमुखी भ्रमण के बाद भरे जायेगें। इस प्रपत्र का प्रारूप

अभिमुखीकरण व्याख्या प्रतिदर्श

सामान्य

1. संस्था का नाम :
2. प्रशिक्षार्थी का नाम :
3. भ्रमण संख्या एवं व्याख्या संख्या :
4. दिन एवं दिनांक :
5. संकाय पर्यवेक्षक :
6. संस्था पर्यवेक्षक :

परिचय

एम.एस. डब्लू भाग–1 का अभिमुखीकरण भ्रमण दिनांक ..... को ..... बजे आयोजिक किया गया।

अभिमुखीकरण भ्रमण समाज कार्य शिक्षण में एकीभूत समाज कार्य प्रशिक्षण का अभिन्न अंग है। यह सामाजिक संस्थाओं को उनकी प्रकृति, संरचना, उद्देश्यों, लक्ष्यों, क्रिया विधियों कार्य–कलानों एवं कार्य पद्धतियों, कार्य संस्कृति एवं समाज कार्यो में समाज कार्य तकनीकियों के उपयोग को समझने के लिए किया गया परिचयात्मक एवं अवलोकनात्मक भ्रमण है।

प्रस्तावित संस्था का दौरा करने के पूर्व पर्यवेक्षक श्री/श्रीमती ..... ने कर्ता का मार्ग दर्शन किया। इस पृष्ठभूमि के साथ श्री/श्रीमती ..... के पास भेजा गया। संस्था पर्यवेक्षक ने कर्ता का स्वागत किया। उसके बाद कर्ता ने उनको स्वयं का परिचय दिया। तद्पश्चात संस्था पर्यवेक्षक ने संस्था के कार्यो की जानकारी दी। कर्ता ने विभिन्न विभागों का भी भ्रमण किया एवं उन्हें तथा उनकी क्रिया विधि को देखा। सम्बन्धित व्यक्तियों एवं अपने अवलोकन से एकत्रित की गई सूचनायें उनका मूल्यांकन करने हेतु अग्रलिखित रूप से प्रस्तुत है।

संस्था की स्थिति

संस्था ..... (भौगोलिक स्थिति) में स्थित है।

संस्था की पृष्ठभूमि

..... वर्ष ..... में स्थापित की गई। श्री ..... इस संस्था के सदस्य है। थे। इस संस्था की ..... राज्य में ..... शाखाएं हैं। मुख्यालय ..... में स्थित है। यह ..... के अन्तर्गत पंजीकृत है और इसकी पंजीकरण संख्या ..... है। वास्तविक कार्य कलाप वर्ष ..... में प्रारम्भ हुए। श्री ..... अध्यक्ष/सभापति है।

निदेशक मंडल

1. ..... अध्यक्ष/सभापति
2. ..... सहअध्यक्ष/सहसभापति
3. ..... सचिव
4. ..... संयुक्त सचिव
5. ..... कोषाध्यक्ष
6. ..... निदेशक
7. ..... सहनिदेशक
8. ..... सहनिदेशक

संगठनात्मक ढांचा

कर्मचारी/पदनाम, कार्य विवरण आदि

संस्था के उद्देश्य

संस्था का उद्देश्य है :

1.

2.

3.

4.

5.

पूंजी विनियोग

निधियों की व्यवस्था विभिन्न स्रोतों जैसे समुदाय/न्याय/शासन/विदेशी निधि/व्यक्तिगत ऋण, से की गई है। इस संस्था को स्थापित करने के लिए कुल पूंजी विनियोग की आवश्यकता है। वर्तमान पूंजीगत द्वारा ..... रु0 का है। संस्था ..... के लिए ..... से अनुदान भी प्राप्त करती है।

क्रिया कलाप/कार्यक्रम/उत्पादन

(विस्तार में वर्णन) समाज कार्य पद्धतियों का उपयोग

समाज कार्य पद्धतियों का उपयोग

(वैयक्तिक कार्य, समूह कार्य, सामुदायिक संगठन, सामाजिक कल्याण प्रशासक, सामाजिक कार्य शोध, सामाजिक कार्य)

संस्था का योगदान

(संक्षिप्त में विवरण दें)

अतिरिक्त सूचनाएं

सामाजिक कार्यकर्ता की भूमिका

(संक्षेप में वर्णन)

टिप्पणी

हस्ताक्षर **हस्ताक्षर**

पर्यवेक्षक **छात्र**

समाज कार्य क्षेत्र अभ्यास में विभिन्न प्रविधियों का प्रयोग किया जाता है जिनमें सामाजिक वैयक्तिक सेवा कार्य, सामूहिक सेवा कार्य तथा सामुदायिक सेवा कार्य प्रमुख है। समाज कार्य छात्रों से अपेक्षा की जाती है कि वे इन प्रविधियों का प्रयोग करने से पहले समाज कार्य की विभिन्न प्रणालियों का गहन अध्ययन कर सुक्ष्म जानकारी एकत्रित करें। उसके बाद इन प्रणालियों का प्रयोग करें। उपयुक्त प्रणालियों को अग्रलिखित बिन्दुओं के माध्यम से अलग–अलग दर्शाया गया है। तथा उनके प्रारूप दिये गये है। इन्हीं प्रारूपों के अनुसार छात्र/छात्राओं को चाहिए कि वे अपना क्षेत्र कार्य अभ्यास पर्यवेक्षक की निगरानी में पूर्ण करे। वैयक्तिक सेवा कार्य हेतु प्रारूप अग्रलिखित है।

सामान्य वैयक्तिक कार्य की आख्या

1. छात्र का नाम
2. विश्वविद्यालय का नाम
3. वर्ष एवं बैच संख्या
4. कक्षा एवं अनुक्रमांक
5. वैयक्तिक कार्य के लिए अध्ययन किया गया साहित्य
6. एकत्रित सूचना की प्रकृति
7. सामान्य क्षेत्र कार्य में प्रयोग की गई पद्धतियां
8. पर्यवेक्षक एवं अभिकरण पर्यवेक्षकों द्वारा दिया गया मार्गदर्शन एवं सहयोग
9. वैयक्तिक कार्य प्रयोग में लायी गई सामान्य क्षेत्र कार्य ज्ञान की उपयोगिता
10. सामान्य क्षेत्र कार्य में आयी समस्याएं एवं कठिनाइयां
11. सामान्य क्षेत्र कार्य सम्बन्धित विचार एवं सुझाव

हस्ताक्षर **हस्ताक्षर**

पर्यवेक्षक **छात्र**

केशशीट का प्रारूप

1. सेवार्थी का नाम
2. पता
3. आयु
4. लिंग
5. शिक्षा
6. धर्म एवं उपजाति
7. रूचि
8. आदतें
9. समस्या की प्रकृति
10. वैयक्तिक की पृष्ठभूमि
11. अभिकरण में प्रवेश
12. अभिकरण प्रतिवेदन

13. शिक्षा, आर्थिक स्थिति, व्यवसाय, दृष्टिकोण एवं सोच आदि के सन्दर्भ में अभिभावकों की पृष्ठभूमि
14. परिवार की सामान्य पृष्ठभूमि

हस्ताक्षर

(अभिकरण अधीक्षक)

वैयक्तिक प्रपत्र के गहन अध्ययन से छात्रों को वैयक्तिक की प्रकृति के बारे में ज्ञान हो जाएगा जोकि आगे की पूंछताछ का आधार होगा इस सामान्य पृष्ठभूमि के साथ वैयक्तिक कार्य की व्यवसायिक अध्ययन की शुरूआत होती है।

कार्य समाप्ति आख्या का आदर्श प्रतिरूप

1. छात्र का नाम
2. विश्वविद्यालय का नाम
3. बैच संख्या
4. रोल नं.
5. सेवार्थी का नाम एवं पता
6. सेवार्थी की संक्षिप्त पृष्ठभूमि
7. समस्या की प्रकृति
8. संक्षिप्त में वैयक्तिक कार्य का अध्ययन एवं व्यवहार
9. मामले को हल करने में सफलता या असफलता, धारण सहित
10. अभिकरण की आख्या
11. राय एवं सुझाव

दिन :

दिनांक :

स्थान :

हस्ताक्षर **हस्ताक्षर**

(अभिकरण पर्यवेक्षक) **(छात्र)**

स्व–मूल्यांकन

यह कहा जाता है कि स्व मूल्यांकन सर्वश्रेष्ठ मूल्यांकन है। छात्रों को अपने फील्ड में अपने द्वारा सीखे गए एवं वैयक्तिक कार्य प्रशिक्षण पूर्ण करने में किए गए प्रयासों के आधार पर अपनी उपलब्धि का स्वयं मूल्यांकन करना चाहिए। मूल्यांकन ईमानदारी से

करना चाहिए और उसकी प्रतिवेदन सम्बन्धित पर्यवेक्षक को मूल्यांकन के लिए प्रस्तुत करना चाहिए। इस सम्बन्ध में प्रपत्र का प्रारूप निम्नवत है :

स्व–मूल्यांकन प्रतिवेदन

1. छात्र का नाम
2. विश्वविद्यालय का नाम
3. बैच संख्या
4. रोल नं.
5. पर्यवेक्षक का नाम
6. अभिकरण पर्यवेक्षक का नाम
7. Placement की अवधि
8. अभिकरण की प्रकृति के बारे में सामान्य अध्ययन
9. निबटान किए गए वैयक्तिकों की संख्या
10. सामाजिक कार्यदक्षता तथा वैयक्तिकों को निपटाने में प्रयोग किए गए तरीके
11. वैयक्तिकों को हल करने के नवीन विचारों का उपयोग
12. क्षेत्र में उपलब्धि
13. पर्यवेक्षक एवं अभिकरण पर्यवेक्षकों से प्राप्त मार्गदर्शन के सम्बन्ध में विचार
14. अध्ययन के लिए नियत प्रशासनिक कार्य

स्थान **हस्ताक्षर**

दिनांक **(छात्र)**

अभिलेखन : वैयक्तिक कार्य डायरी

सामान्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में प्रथम वर्ष के छात्रों में डायरी लिखने की कला का अभाव होता है और जब केस वर्क डायरी लिखने की बात आती है तो वे भ्रमित हो जाती है। उनकी पारस्परिक लेखन शैली केवल भ्रमणों की संख्या समय और उनके भ्रमण एवं लौटने के बारे में एक दो वाक्यों तक सीमित रह जाती है। वास्तव में छात्रों को डायरी लिखते समय हर बार औपचारिकताओं का वर्णन नहीं करना चाहिए बल्कि किए गए कार्य के बारे में संक्षेप में लिखना चाहिए। केसवर्क डायरी एवं जर्नल में लिखने के सम्बन्ध में वे अध्याय 1 का संदर्भ ग्रहण कर सकते हैं जिससे उन्हें डायरी लेखन की पद्धति समझने में सहायता मिलेगी। उदाहरण के लिए कुछ आदर्श प्रतिरूप नीचे दिए गए है :

केसवर्क डायरी के उदाहरण

1.

भ्रमण संख्या :

दिन :

दिनांक :

क्षेत्र में पहला भ्रमण एक परिचयात्मक भ्रमण था। अतः मैने व मेरे साथियों ने अभिकरण पर्यवेक्षकों को अपना परिचय दिया। अभिकरण पर्यवेक्षकों ने भी स्वयं का परिचय दिया और अपनी व्यक्तिगत शैक्षिक एवं सेवा पृष्ठभूमि तथा उनके अभिकरण में प्रवेश के बारे में संक्षिप्त में सामान्य सूचनाएं प्रदान की। यह परिचय एक मित्रतापूर्ण ढंग से हुआ परन्तु इससे हमें अधिकारियों के साथ शिष्टाचार एवं शिष्ट व्यवहार के बारे में जानकारी मिली इसके बाद अभिकरण में भेजे गए सभी क्षेत्र कार्य छात्र कार्यालय के अन्दर गए और अन्य कार्यालय कर्मचारियों से परिचित हुए।

हस्ताक्षर	**हस्ताक्षर**	**हस्ताक्षर**
(अभिकरण पर्यवेक्षक)	**(पर्यवेक्षक)**	**(छात्र)**

2.

भ्रमण संख्या :

दिन :

दिनांक :

अभिकरण पर्यवेक्षक ने मुझे अभिकरण के कर्मचारियों से अभिकरण की प्रकृति एवं संरचना के बारे में सामान्य सूचनाएं एकत्रित करने का आदेश दिया। तदनुसार में कार्यालय के सभी सम्बन्धित कर्मचारियों से मिला और अभिकरण की स्थापना, मंजीकरण संख्या, न्यासियों, संविधान, उद्देश्य एवं प्राप्त लक्ष्यों के बारे में सूचनाएं प्राप्त की।

हस्ताक्षर	**हस्ताक्षर**	**हस्ताक्षर**
(अभिकरण पर्यवेक्षक)	**(पर्यवेक्षक)**	**(छात्र)**

3.

भ्रमण संख्या :

दिन :

दिनांक :

आज मुझे अभिकरण की कार्य प्रणाली देखने को कहा गया। अतः मैं कार्यालय में बैठा एवं तौर–तरीकों, शिष्टाचार बोलने की शैली उपयोग में आने वाली भाषा, व्यवहारिक विष्ज्ञय वस्तुओं और कार्यालय में किए जाने वाले कार्यो की प्रकृति का उवलोकन किया।

हस्ताक्षर	**हस्ताक्षर**	**हस्ताक्षर**
(अभिकरण पर्यवेक्षक)	**(पर्यवेक्षक)**	**(छात्र)**

4.

भ्रमण संख्या :

दिन :

दिनांक :

अभिकरण में चार भ्रमणों में सामान्य जानकारी प्राप्त करने के बाद मुझसे कुछ मामलों की फाइलों का अध्ययन करने के लिए कहा गया। निर्देशानुसार मैंने कुछ केस फाइलों का अध्ययन किया और उनके विषय वस्तु मसौदों, भाषा, प्रस्तुतीकरण, प्रक्रिया, सेवार्थी की समस्याओं की प्रकृति और अभिकरण पर्यवेक्षक द्वारा उनके निपटाने के तरीकों को समझा। इससे मुझे वैयक्तिक कार्य के बारे में एक सामान्य जानकारी प्राप्त करने में सहायता मिली।

हस्ताक्षर	**हस्ताक्षर**	**हस्ताक्षर**
(अभिकरण पर्यवेक्षक)	**(पर्यवेक्षक)**	**(छात्र)**

5.

भ्रमण संख्या :

दिन :

दिनांक :

मामलों के निपटाने के तौर–तरीकों को समझने के लिए मुझे अगले 3–4 भ्रमणों में वैयक्तिक कार्य व्यवहार का अवलोकन करने के लिए कहा गया। तद्नुसार, मैं अभिकरण

पर्यवेक्षक के सामने बैठा और मैंने उनके तौर तरीकों तथा सामाजिक कार्यकर्ता की दक्षता का अवलोकन किया।

हस्ताक्षर	**हस्ताक्षर**	**हस्ताक्षर**
(अभिकरण पर्यवेक्षक)	**(पर्यवेक्षक)**	**(छात्र)**

6.

भ्रमण संख्या :

दिन :

दिनांक :

प्रारम्भिक जानकारी से मुझे वैयक्तिक कार्य व्यवहार का अन्दाज हो गया। अतः मैंने पर्यवेक्षक से अपने को एक साधारण मामला आबंटित करने का अनुरोध किया मैने आत्म विश्वास पर विचार करते हुए मुझे एक मामला अध्ययन एवं प्रयोग के लिए दे दिया गया।

हस्ताक्षर	**हस्ताक्षर**	**हस्ताक्षर**
(अभिकरण पर्यवेक्षक)	**(पर्यवेक्षक)**	**(छात्र)**

7

भ्रमण संख्या :

दिन :

दिनांक :

केस फाइल एवं अभिकरण पर्यवेक्षक से आधारभूत सूचना प्राप्त करने के बाद मैंने सेवार्थी का साक्षात्कार लेने का निश्चय किया ताकि उसकी सहायता के लिए तथा उजागर किए जा सकें। तद्नुसार मैंने आज सेवार्थी का साक्षात्कार लिया एवं उससे वैवाहिक विवाद के बारे में कुछ सूचनाएं एकत्रित की।

हस्ताक्षर	हस्ताक्षर	हस्ताक्षर
(अभिकरण पर्यवेक्षक)	(पर्यवेक्षक)	(छात्र)

समूहों के साथ कार्य

परिचय

प्रथम वर्ष छात्रों को विभिन्न स्वैच्छिक या स्वयंसेवी संगठनों में व्यावहारिक समूह कार्य हेतु नियुक्त किया जाता है जहाँ वे व्यावहारिक परिप्रेक्ष्य में समूह कार्य की तकनीकियाँ सीखते हैं एवं अभिकरण सदस्यों तथा सम्बन्धित अभिकरणों को सेवा प्रदान करते हैं। यह प्रशिक्षण सह सेवा समूह के सदस्यों, अभिकरणों तथा समाज कार्य विद्यालय के लिए अत्यन्त उपयोगी होती है। तथापि न तो अभिकरणों और न ही विद्यालय इन सेवाओं के उद्देश्यपूर्ण प्रयोग के प्रति गंभीर होती है। अतः प्रकरण कार्य की तुलना में इन प्रशिक्षण के प्रति लापरवाही बरती जाती है। अतः कभी–कभी प्रशिक्षु छात्र समूह कार्य प्रशिक्षण के बारे में गलत विचार रखते हैं। अधिकतर विभिन्न खेलों के आयोजन के समूह कार्य मान लिया जाता है। ऐसा मुख्यतः छात्रों एवं पर्यावेक्षकों में रूचि के अभाव, व्यावहारिक पाठ्य क्रमों तथा हस्तपुस्तिका की अनुपलब्धता, अभिकरण में समय–समायोजन की समस्या आदि के कारण होता है। फिर भी छात्रों को वर्ष दर वर्ष अभिकरणों में समूह कार्य प्रशिक्षध के लिए स्थापित या नियुक्त किया जाता है और इस उपाधि प्राप्त करने के एक औपचारिकता के रूप में पूर्ण किया जाता है। इसके कारण होने वाली हानि का निर्धारण करने के प्रति कोई रूचि नहीं रहती है; और इसकी किसे होती है। प्रशिक्षण का लागत–विश्लेषण भी नहीं किया जाता है। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित समाज कार्य विद्यालयों में समूह कार्य प्रशिक्षण की स्थिति को ध्यान में रखते हुए तथा व्यवसायिक एवं उपयोगिता की दृष्टि से महत्व को देखते हुए एक विशिष्ट व्यावहारिक (प्रायोगिक) पाठ्यक्रम के अनुसार अपना समूह क्षेत्रीय कार्य करना चाहिए।

समूह कार्य कार्यक्रम का नमूना रेखाचित्र

1. समूह का निर्माण
2. समूह के सदस्यों का परिचय
    - **a.** **व्यक्तिगत आंकड़े** – उनकी आयु, शिक्षा, जाति, धर्म, रूचियों, आवर्ती, उपलब्धियों, प्रगति एवं कमियों के सम्बन्ध में सूचनायें एकत्रित करना।
    - **b.** **परिवारिक आंकड़े** – पारिवारिक पृष्ठभूमि परिवार के आकार, अविभावकों का पेंशा, शिक्षा, आय, संसाधनों, सुविधाओं, पारिवारिक कठिनाइयां एवं समस्यायें, और प्रकरण कार्य हेतु ऐसी अन्य सूचनायें प्राप्त करना।

3. **खेलों का संचालन** – आन्तरिक एवं वाह्य खेलों कि कबड्डी, खो–खो, लंगड़ी, कैरम, शतरंज एवं ऐसे अन्य खेलों का संचालन तथा वस्तुओं तथा सामग्रियों की तैयारी।
4. **संस्कार कार्यक्रमों पर प्रवचन** – लघु कथाओं, गीतों, नुक्कड़ नाटकों, कविताओं, मुहावरें एवं लोकोक्तियों आदि का आयोजन जो कि समूह के सदस्यों के समाजीकरण, विकास एवं संस्कारों के सवर्धन में सहायता प्रदान करते हैं।
5. **सामान्य अध्ययन परीक्षा संचारित करना** : निबन्ध प्रतियोगिता, वाकपटुता प्रतियोगिता, हस्तलेखन प्रतियोगिता, चित्रकला प्रतियोगिता, शब्दावली विकास के खेल, पुरूस्कार वितरण समारोह आदि का आयोजन करना।
6. **राष्ट्रीय पर्वो को मनाना** – स्वतन्त्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, ईद, होली, दीपावली, आदि पर्वो का आयोजन।
7. **महान विभूतियों की जयंतियों को मनाना** – विनोवा भावे जयंती, महात्मा गांधी जयंती, लाल बहादुर शास्त्री जयंती, जवाहर लाल नेहरू जयंती, जय प्रकाश नारायण जयंती, सुभाष चन्द्र बोंस जयंती, डॉ0 बाबा साहेब अम्बेडकर जयंती, शहीद भगत सिंह जयंती आदि।
8. **सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन** – गीत नृत्य, नकल उतारना, अंताक्षरी, पिकनिक आदि का आयोजन।
9. **अविभावक बैठकों का आयोजन** – अविभावकों को अपने बच्चों की कमियाँ, रूचियों, अच्छाइयों, आदतों, सामाजिक–मनोवैज्ञानिक समस्याओं तथा विकास प्रक्रिया में उनके उत्तरदायित्व आदि के सम्बन्ध में जानकारी देने के उद्देश्य से बैठक आयोजित करना।
10. **मार्गदर्शन एवं सलाहकार सेवाएं** – शिक्षा, पढ़ने, लिखने, गंदी आदतों के जीवन पर दुष्प्रभाव, सिनेमा एवं टेलीविजन के दुष्परिणाम, सामाजिक नियमों, सांस्कृतिक मूल्यों एवं विश्वासों के महत्व के बारे में मार्गदर्शन।
11. **समापन समारोह** – व्याख्यान, समूह के सदस्यों के साथ अपना अनुभव बांटना, समूह फोटोग्राफ, समूह की गतिविधियों में भाग लेने एवं योगदान देने के लिए पुरस्कार देना एवं समूह के लिए विदाई समारोह आयोजित करना।
12. **निकास साक्षात्कार** – समूह के सदस्यों पर प्रभाव समूह की उपयोगिता एवं सुधार के सम्बन्ध में सदस्यों के विचार एवं सुझाव।

समूह कार्य का अभिलेखन

समूह कार्य छात्रों को कार्यक्रमों एवं समूह के सदस्यों की प्रतिक्रिया को डायरियों, जर्नलों एवं आख्याओं में अभिलिखित करना चाहिए। यह अभिलेखन निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए आवश्यक है :

1. परीक्षा में समूह कार्यकर्ताओं की उपलब्धियों के मूल्यांकन के लिए।
2. समूह के सदस्यों के भाग लेने के प्रमाण के रूप में।
3. उनके दृष्टिकोण एवं विचारों में हुए परिवर्तनों की पहचान के लिए।
4. समूह कार्य के माध्यम से व्यक्तिगत समस्याओं को हल करने में समूह कार्य अभ्यास के उपयोग का मूल्यांकन।

5. संस्था में अभिलेख रखने के लिए।
6. समाज कार्य साहित्य के पुस्तकालय का विकास करने के लिए।

व्यवस्थित अभिलेखन विशेष रूप से ग्रामीण छात्रों के लिए कठिन प्रतीत होता है। अतः यहाँ संदर्भ एवं सीखने के लिए कुछ आदर्श लेखन प्रारूप दिए जा रहे हैं।

समूह कार्य डायरी

समूह कार्यकर्ताओं या प्रशिक्षित छात्रों को डायरी लिखने का प्रयोजन या उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए। समूह कार्य डायरी में अभिलेखन समूह के सदस्यों की गतिविधियां एवं प्रतिक्रियाओं के निष्कर्षो/निर्णयों पर आधारित होना चाहिए। यह संक्षिप्त एवं बिन्दुवार होना चाहिए। तथापि, प्रतिक्रियाओं के बारे में अवलोकनों/निष्कर्षो को सदैव रूप से ऑफिस करना चाहिए क्योंकि सूक्ष्मतम वर्णन की सदैव याद रखना अत्यन्त कठिन होता है एवं भविष्य में समूह कार्यकर्ता जर्नल लिखते समय या समूह से व्यवहार करते समय महत्वपूर्ण निष्कर्षो को भूल सकते हैं। इस सम्बन्ध में आदर्श लेखनों का संदर्भ ग्रहण किया जा सकता है :

प्रारूप – 1

भ्रमण संख्या :

दिन :

दिनांक :

सदस्य कागज की कुछ वस्तुऐं बनाने में रूचि रखते थे। अतः उन्हें यह सामान बनाने की अनुमति प्रदान की गई। सभी लोगों के साथ विचार–विमर्श करने एवं विचारों का आदान–प्रदान करने के बाद समूह के सदस्यों ने पतंग, गुड़िया, वाहन, पशु, चिड़िया आदि बनाई। उनमें टीम भावना एवं एकता का विकास हुआ जिसकी सहायता से उनमें स्वरूप संबंध एवं समूह भावना स्थापित हुई।

हस्ताक्षर	**हस्ताक्षर**	**हस्ताक्षर**
(अभिकरण पर्यवेक्षक)	**(पर्यवेक्षक)**	**(छात्र)**

प्रारूप – 2

भ्रमण संख्या :

दिन :

दिनांक :

आज समूह के सदस्य समूह कार्यकर्ताओं से कहानियां सुनना चाहते थे अतः उनके मनोरंजन एवं उनकी सच्चाई का संदेश देने एवं उसका महत्व बताने के लिए लकड़हारे की लघु कथा सुनाई गई। प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में सत्य का पालन करना चाहिए। कहानी के माध्यम से दिए गए संदेश को सीखकर समूह क सदस्य प्रसन्न हुए।

हस्ताक्षर	**हस्ताक्षर**	**हस्ताक्षर**
(अभिकरण पर्यवेक्षक)	**(पर्यवेक्षक)**	**(छात्र)**

प्रारूप – 3

भ्रमण संख्या :

दिन :

दिनांक :

परिवर्तन हेतु छात्रों ने – पिकनिक विषय पर विचार–विमर्श करना चाहा। इस बारे में प्रत्येक बोल रहा था, सिवाय एक व्यक्ति के जो कि न तो अपने विचार व्यक्त कर रहा था और न ही कोई रूचि दिखा रहा था। यह समूह को बताया गया। उसके मौन का कारण जानने के लिए एवं गोपनीयता रखने के उद्देश्य से उसे उस स्थान से बुलाया गया। उसने अपनी समस्या बताई। उसकी समस्या हल करने के लिए उसे सलाह देना आवश्यक समझा गया। इसके बाद पिकनिक के लिए एक तिथि भी निश्चित की गई।

हस्ताक्षर	**हस्ताक्षर**	**हस्ताक्षर**
(अभिकरण पर्यवेक्षक)	**(पर्यवेक्षक)**	**(छात्र)**

प्रारूप – 4

भ्रमण संख्या :

दिन :

दिनांक :

आज समूह के सदस्य महात्मा गांधी द्वारा स्वच्छकार समुदाय के लिए किए गए कार्य के बारे में जानने के लिए रूचि रखते थे। अतः इस क्षेत्र में उनके कार्य एवं योगदान पर एक व्याख्यान दिया गया। समूह के सदस्यों ने प्रश्न पूछे और विस्तार से विचार–विमर्श किया गया तथा इस विषय पर एक निबन्ध लिखने का निश्चय किया।

हस्ताक्षर	**हस्ताक्षर**	**हस्ताक्षर**
(अभिकरण पर्यवेक्षक)	**(पर्यवेक्षक)**	**(छात्र)**

समुदाय के साथ कार्य

सामुदायिक संगठन में क्षेत्र कार्य प्रशिक्षण की एक पुरानी पद्धति है। भारत में समाज कार्य के विद्यालयों ने इसे 1960 तथा 1980 में प्रारम्भ किया। अब तक दूरस्थ क्षेत्रों में यह अभी भी उपेक्षित है। यह बात ध्यान देने योग्य है कि कुछ विद्यालयों में इसका प्रशिक्षण दिया जा रहा है वहाँ इसे विशिष्ट प्रयोगात्मक पाठ्यक्रम को सिद्धान्त के आधार पर नहीं बनाया गया है। अधिकांश छात्र सामुदायिक संरचना में कार्य कर रहे है तथा पर्यवेक्षकों के मार्गदर्शन व पर्यवेक्षण के अन्तर्गत अपना प्रशिक्षण भी प्राप्त कर रहे हैं। इस क्षेत्र के कुछ विशेषज्ञों ने सामुदायिक संगठन के आदर्श प्रतिमान विकसित किये है।

क्षेत्र कार्य की कार्य पद्धति

हमारे देश के दूरस्थ क्षेत्रों में समाज कार्य के विद्यालयों में समाज कार्य के वातावरण में वैज्ञानिक अभ्यास का विकास ठीक से नही हो पाया है। यहाँ पर किसी प्रकार की विवरणिका या कार्यपद्धित नही है जिसका अनुसरण किया जा सके। यद्यपि पर्यवेक्षक मौखिक मार्गदर्शन के द्वारा प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हें और छात्र समुदायाओं में क्षेत्र कार्य को ठीक प्रकार नहीं कर पा रहे हैं। इसको ध्यान में रखते हुए क्षेत्रकार्य की कार्यपद्धति की व्यवहारिक बाधाओं का विस्तार से विचार–विमर्श किया गया है। क्षेत्र कार्य प्रशिक्षण व समुदाय विकास के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित निर्देशों के आधार पर उचित समुदाय का चयन किया जा सकेगा –

1. समुदाय छात्रों तथा विद्यालय दोनों के लिए भौतिक रूप से सुगम होना चाहिए।
2. आवश्यक मूलभूत सुविधाओं का उपलब्ध होना चाहिए।

3. किसी व्यवसायिक सामाजिक कार्यकर्ता या समाज कार्य विद्यालय द्वारा चिन्हित समुदाय होना चाहिए जहाँ समाज कल्याण सेवाओं की आवश्यकता हो।
4. समुदाय के लोगों में सेवाओं के प्रति रूचि, उत्साह व जोश होना चाहिए।
5. समुदाय के लोगों को अपने विकास के लिए स्थानीय संसाधनों के उपयोग के लिए तैयार होना चाहिए।
6. वे अपनी आवश्यकताओं को विद्यालय या संगठन में स्वतंत्र रूप से विचार देने चाहिए।

समुदाय का चयन

विद्यालय में उपलब्ध सूचना एवं सामान्य दिशा निर्देशों के आधार पर एक उपयुक्त समुदाय का चयन करना चाहिए। यह चयन समुदाय की आवश्यकताओं पर आधारित होना चाहिए एवं यह चयन जरूरतमंद व्यक्तियों की सेवा प्रदान करने के लिए होना चाहिए। सदस्यों एवं छात्रों को समुदाय के भौगोलिक क्षेत्र के बारे में एक सामान्य जानकारी प्राप्त करने के लिए भ्रमण करना चाहिए ताकि इस समुदाय की उपयुक्तता के बारे में उचित निर्णय लिया जा सके। तत्पश्चात् प्रशिक्षण एवं विकास के लिए समुदाय का अन्तिम चयन करना चाहिए।

सामान्य पृष्ठभूमि से सम्बन्धित आंकड़े

छात्रों को चयनित समुदाय का भ्रमण फील्ड कार्य हेतु निर्धारित किए गये दिनों पर करना चाहिए। प्रारम्भ में, समुदाय के विभिन्न जातीय एवं धार्मिक समूहों की सामाजिक पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त करने के लिए छात्रों की पूरी टीम (दल) की समाज के नेताओं एवं प्रमुख व्यक्तियों से घुलना–मिलना चाहिए तथा मेलजोल बढ़ाना चाहिए। इस प्रकार की सूचना या जानकारी आगे के कार्यक्रमों की योजना बनाने के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण होती है। सूचना एकत्रित करने के लिए तैयार किए गए सूचना पत्र का उपयोग अभिलेखन करने एवं उचित परिचय हेतु किया जा सकता है।

समुदाय का सूचना पत्र

1. समुदाय का नाम :
2. समुदाय का प्रकार : ग्रामीण/शहरी/उपनगरीय/मलिन बस्ती
3. समुदाय की स्थिति :
4. कुल आबादी :
5. घरों की संख्या :
6. आय के मुख्य स्रोत :
7. सामाजिक संगठनों की संख्या :
8. समुदाय की प्रमुख भाषा :
9. मुख्य समस्याऐं एवं आवश्यकताएं :
10. साफ–सफाई की दशा :
11. वाह्य कार्य परियोजना के मुख्य क्षेत्र :
12. क्षेत्र कार्य परियोजना का शीर्षक :

13. परियोजना की अवधि :
14. क्षेत्र कार्य प्रशिक्षुओं के नाम :
15. पर्यवेक्षकों के नाम :
16. बैच संख्या :

डायरी लेखन

समाज कार्य के ग्रामीण क्षेत्रों में छात्र डायरी लेखन में समस्या का सामना करते है। वे डायरी लेखन में भ्रमणों की संख्या, समय, पर्यवेक्षकों एवं सम्बन्धित व्यक्तियों के साथ बैठकों का वर्णन करते हैं। डायरी लेखन में इन औपचारिकताओं से बचना चाहिए एवं डायरी में प्रशिक्षु छात्रों को अपने द्वारा किए गए कार्य के बारे में संक्षेप में लिखना चाहिए।

सामुदायिक कार्य की नमूना डायरी

प्रारूप – 1

भ्रमण संख्या :

दिन :

दिनांक :

चयनित समुदाय के लोगों की समस्याओं की पहचान के लिए (जानने के लिए) मैनें एवं सह–कार्यकर्ताओं ने समुदाय के नेतृत्व के साथ विस्तार से विचार–विमर्श किया एवं यह निष्कर्ष निकाला कि उनकी मूल समस्या महिलाओं को रोजगार या कार्य उपलब्ध कराना है जिससे कि वे अपने परिवारों का पालन–पोषण कर सकें। तथापि, विस्तृत सूचना एकत्र करने के लिए अगले सप्ताह महिलाओं से सीधे बातचीत करने का निश्चय किया गया।

हस्ताक्षर	**हस्ताक्षर**	**हस्ताक्षर**
(अभिकरण पर्यवेक्षक)	**(पर्यवेक्षक)**	**(छात्र)**

प्रारूप – 2

भ्रमण संख्या :

दिन :

दिनांक :

जैसा कि विगत सप्ताह निश्चय किया गया था मैने मेरे सह–कार्यकताओं ने समुदाय में निवास कर रही महिलाओं के साथ विचार–विमर्श किया एवं यह पुष्टि की कि रोजगार

उनकी प्राथमिक आवश्यकता थी। इस समस्या के समाधान हेतु कार्य योजना बनाने के लिए हमने आपस में विचार–विमर्श किया तथा यह निश्चय किया गया कि अगले सप्ताह इस सम्बन्ध में अपने संकाय सदस्यों से बातचीत की जाए।

हस्ताक्षर	**हस्ताक्षर**	**हस्ताक्षर**
(अभिकरण पर्यवेक्षक)	**(पर्यवेक्षक)**	**(छात्र)**

प्रारूप – 3

भ्रमण संख्या :

दिन :

दिनांक :

अपने निर्णय अनुसार हम लोगों ने अपने पर्यवेक्षकों के साथ विचार–विमर्श किया तथा सम्बन्धित व्यक्तियों से विस्तृत विचार–विमर्श करने के लिए उनके विचार एवं सुझाव जानने के लिए एवं लोकतांत्रिक पद्धति से निर्णय लेने के लिए एक बैठक का आयोजन किया बैठक का दिनांक, समय एवं स्थान निश्चित किया गया तथा लोगों की इस निर्णय की सूचना देने का निश्चय किया गया। इसके लिए एक कार्य सूची भी तैयार की गई।

हस्ताक्षर	**हस्ताक्षर**	**हस्ताक्षर**
(अभिकरण पर्यवेक्षक)	**(पर्यवेक्षक)**	**(छात्र)**

प्रारूप – 4

भ्रमण संख्या :

दिन :

दिनांक :

हम अपने द्वारा आयोजित बैठक में समय से पहुंच गए। हमारी सहायता के लिए समुदाय के युवक जल्दी आ गए थे। सभी प्रमुख महिला एवं पुरूषों ने बैठक में भाग लिया। हमारी बैठक के प्रति लोगों की प्रतिक्रिया अत्यन्त उत्साहवर्धक थी। हमारे पर्यवेक्षकों ने बैठक में एक लघु स्याही उत्पादन इकाई लगाने का निश्चय किया गया।

हस्ताक्षर	**हस्ताक्षर**	**हस्ताक्षर**
(अभिकरण पर्यवेक्षक)	**(पर्यवेक्षक)**	**(छात्र)**

प्रारूप – 5

भ्रमण संख्या :

दिन :

दिनांक :

समुदाय के लोगों के साथ पिछली बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार हमने प्रस्तावित परियोजना की प्रक्रिया एवं उपलब्ध सुविधाओं के सम्बन्ध में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए औद्योगिक विकास निगम के कार्यालय का भ्रमण करने का निश्चय किया।

हस्ताक्षर	**हस्ताक्षर**	**हस्ताक्षर**
(अभिकरण पर्यवेक्षक)	**(पर्यवेक्षक)**	**(छात्र)**

छात्रों हेतु निर्देश

समाज कार्य में वैयक्तिक सेवा कार्य, समूह सेवा कार्य तथा सामुदायिक सेवा कार्य के अभ्यास हेतु अग्रलिखित शीर्षक दिये जा रहे हैं। जिनको वे ऐशाइनमेन्ट के रूप में पूर्ण कर अपने पर्यवेक्षक से मूल्यांकित कराकर क्षेत्रीय क्रियाकलाप को पूर्ण कर सकते हैं।

1. सामाजिक वैयक्तिक सेवा कार्य से सम्बन्धित शीर्षक

a) किसी संस्था में भर्ती हुये मादक द्रव्य सेवार्थी की वैयक्तिक इतिहास का अध्ययन तथा निदान एवं मूल्यांकन करना।

b) किसी सीजोफ्रेनिक सेवार्थी का वैयक्तिक इतिहास लिखते हुए निदान एवं उपचार प्रदान करना।

c) किसी ऐसे व्यक्ति का वैयक्तिक इतिहास लेना जो गम्भीर दुर्घटना का शिकार हुआ हो।

d) किसी ऐसे सेवार्थी हेतु पुर्नवास के लिए प्रयास करना जो मादक द्रव्यों का सेवन करता हो।

e) किसी ऐसे सेवार्थी हेतु परामर्श की व्यवस्था करना जो अवशाद ग्रस्त हो।

2. सामाजिक सामूहिक सेवा कार्य से सम्बन्धित शीर्षक

a) किसी ऐसे सामाजिक संस्था में गूगें–बहरें बच्चों को शिक्षा प्रदान करना।

b) किसी ऐसे ग्राम में जहां पर महिलाओं की स्थिति दयनीय है उनको स्वयं सहायता समूह बनाने में सहायता प्रदान करना तथा उनकी आर्थिक स्थिति को सुदृण बनाना।

c) किसी विद्यालय के बच्चों हेतु पिकनिक कार्यक्रम का आयोजन करना।

d) किसी ग्राम के प्रौढ़ सदस्यों हेतु प्रौढ़ शिक्षा का आयोजन करना।
e) किसी विद्यालय के बच्चों में प्रतियोगिता आयोजित करना।

3. सामुदायिक सेवा कार्य से सम्बन्धित शीर्षक

a) किसी ग्राम में नाली की समस्या को दूर करने में सहायता प्रदान करना।
b) ग्राम के निवासियों में शिक्षा की महत्ता से सम्बन्धित जागरूकता फैलाना।
c) किसी ग्राम में स्वच्छता सम्बन्धित जागरूकता फैलाना।
d) सामुदायिक के लोगों के बीच पोलियो ड्राप पिलाने हेतु जागरूकता फैलाना।
e) किसी ग्राम के लोगों के बीच स्वास्थ्य सम्बन्धी जागरूकता फैलाना।

परियोजना मार्ग दर्शन

समाज कार्य विद्यार्थियों में शोध दक्षता उत्पन्न करने हेतु उन्हें परियोजना शोध करना एक आवश्यक क्रियाकलाप है। जिसमें एक शीर्षक का चुनाव कर अपना शोध प्रबन्ध प्रस्तुत करना होता है। शोध प्रबन्ध प्रस्तुत करने के लिए सर्वप्रथम एक शोध संक्षिप्तिका का निर्माण करना होता है। शोध संक्षिप्तिका तैयार करने हेतु अग्रलिखित बिन्दु दिये जा रहे है –

1. **शीर्षक का चुनाव** – सर्वप्रथम शोध परियोजना बनाने हेतु एक शोध शीर्षक का चुनाव करना चाहिए जो समसामयिक समस्याओं से सम्बन्धित हो। जैसे ''शिक्षा एवं आर्थिक रूप से लाभ पूर्ण कार्यो द्वारा गली के बच्चों का सशक्तीकरण''।
2. **उपकल्पना का निर्माण** – शोध परियोजना हेतु समस्या के आधार पर उपकल्पना का निर्माण करना चाहिए। जैसे ''गली के बच्चों में भी छुपी हुई प्रतिभाएं होती है यदि उनको उचित माहौल मिले तो समाज में अपना योगदान दे सकते हैं''।
3. **अध्ययन की उपयुक्तता** – अध्ययन का शीर्षक क्यो चुना गया तथा इसकी उपयोगिता क्या है के बारे में स्पष्ट ब्यौरा प्रस्तुत करना चाहिए।
4. **अध्ययन के उद्देश्य** – अध्ययन के उद्देश्यों को स्पष्ट रूप से लिखा जाना चाहिए।
5. **अध्ययन हेतु प्रयोग प्रविधि** – प्रस्तुत शोध अध्ययन में कौन–कौन सी शोध प्रविधियों का प्रयोग करेगें का स्पष्ट वर्णन होना चाहिए।
   i. **शोध प्ररचना** – शोध प्रविधि में कौन सी शोध प्ररचना का प्रयोग करेगें। उसके बारे में चर्चा करना चाहिए एवं परिभाषा देनी चाहिए।
   ii. **शोध निदर्शन** – शोध प्रविधि में कौन सी शोध निदर्शन का प्रयोग करेगें। उसके बारे में चर्चा करना चाहिए एवं परिभाषा देनी चाहिए।
6. **तथ्य एकत्रित करने की तकनीक** – शोध अध्ययन में तथ्य एकत्रित करने हेतु दो विधियों का प्रयोग करते हैं।
   i. **प्राथमिक तथ्य एकत्रित करने की विधि** – प्राथमिक तथ्य एकत्रित करने हेतु कई विधियों का प्रयोग करते हैं। जिनमें कुछ अग्रलिखित है –
   1. अवलोकन 2. प्रश्नावली 3. अनुसूची 4. साक्षात्कार 5. वैयक्तिक अध्ययन

उपरोक्त सभी विधियों की व्याख्या एवं परिभाषा देते हुए शोध अध्ययन में कैसे प्रयोग करेगें का स्पष्ट वर्णन करना चाहिए।

ii. **द्वितीय तथ्य एकत्रित करने की विधि** – द्वितीय तथ्य वे तथ्य होते है जो विभिन्न किताबों, पत्रिकाओं, समाचार पत्रों इत्यादि एकत्रित किये जाते है इनका स्पष्ट निरूपण होना चाहिए।

7. **सारिणीकरण, तथ्य विश्लेषण व्याख्या एवं प्रतिवेदन** – शोध संक्षिप्तिका में स्पष्ट रूप से वर्णन करना चाहिए कि शोध अध्ययन में किस प्रकार की सारिणी का प्रयोग करेगें तथ्यों का कैसे विश्लेषण करेगें उनकी व्याख्या कैसे करेगें तथा उनका प्रतिवेदन करेगें।
8. **शोध अध्ययन का अध्यायीकरण** – इस शीर्षक के अन्तर्गत शोध प्रबन्ध में कौन–कौन से अध्याय होगें तथा उन अध्यायों में कौन–कौन से तथ्य होगें का वर्णन करना चाहिए।

इस प्रकार उपरोक्त शीर्षकों के अन्तर्गत शोध संक्षिप्तिका तैयार कर पर्यवेक्षक को प्रस्तुत करना चाहिए तथा पर्यवेक्षक के अनुमोदन के पश्चात अपना शोध कार्य शुरू करना चाहिए।

शोध प्रबन्ध लिखने हेतु प्रारूप – शोध प्रबन्ध लिखने के लिए सबसे पहले आवश्यक होता है कि अध्यायीकरण के अनुसार प्रतिवेदन किया जाए। इस प्रकार शोध प्रबन्ध तैयार करने हेतु अग्रलिखित शीर्षक दिये जा रहे है–

1. **प्रस्तावना** – इसमें शोध अध्ययन शीर्षक से सम्बन्धित तथ्यों को विस्तृत रूप से लिखना चाहिए तथा जो साहित्य जहां से लिये गये है उनका भी सन्दर्भ सूची में वर्णन करना चाहिए।
2. **शोध अध्ययन की उपयुक्तता, उद्देश्य** – इसमें शोध अध्ययन की उपयुक्तता तथा उद्देश्यों का स्पष्ट रूप से वर्णन करना चाहिए।
3. **साहित्य का पुनरावलोकन** – शोध अध्ययन का प्रतिवेदन करने में साहित्य पुनरावलोकन का महत्वपूर्ण स्थान है अतः शोध अध्ययन प्रतिवेदन में पूर्व में हुए अध्ययनों का वर्णन सांख्यिकीय तथ्यों के साथ करना चाहिए।
4. **शोध प्रविधि** – शोध अध्ययन प्रतिवेदन में विस्तृत रूप से शोध प्रविधि का वर्णन करना चाहिए। जिसमें शोध प्ररचना, शोध निदर्शन तथा तथ्यों के एकत्रीकरण के बारे में भी वर्णन करना चाहिए।
5. **उत्तरदाताओं का पार्श्वचित्र** – इस अध्याय में शोध से सम्बन्धित तथ्यों के आधार पर उत्तरदाताओं का पार्श्वचित्र देना चाहिए जिसमें चित्रों, ग्राफों का भी प्रयोग किया जा सकता है।
6. **उत्तरदाताओं की आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति** – इस अध्याय में उत्तरदाताओं से सम्बन्धित उन सभी तथ्यों का वर्णन करना चाहिए जो उनकी आर्थिक, सामाजिक स्थिति से सम्बन्धित हो।
7. **उत्तरदाताओं की समस्यायें एवं उनके सुझाव** – इस अध्याय में उत्तरदाताओं की समस्याओं का वर्णन करना चाहिए तथा उनके सुझावों को भी स्थान देना चाहिए।

8. **निष्कर्ष** – इसके अन्तर्गत शोध अध्ययन में महत्वपूर्ण तथ्यों को दिया जाना चाहिए जिससे शोध अध्ययन की एक संक्षिप्त रूपरेखा प्रस्तुत हो जाये।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

शोध प्रबन्ध में जो भी तथ्य द्वितीयक स्रोतों से लिये जाते है उनका विवरण सन्दर्भ ग्रन्थ सूची में देना चाहिए जो अग्रलिखित प्रारूप के अनुसार होने चाहिए।

- लेखक का नाम, किताब का नाम, प्रकाशक संस्था का नाम, वर्ष....., पृष्ठ संख्या।

2.3 समाज कार्य क्षेत्र की दिशा में भूमिकायें एवं अपेक्षायें

भूमिकाऐं और सह संबंधित अपेक्षायें प्रत्येक सामाजिक कर्तव्य से सहमुक्त रहती है, सामाजिक कार्यकर्ताओं की भूमिकाओं की वृत्तिक व्यवहार की अपेक्षित पद्धति रहती है। भूमिकाओं द्वारा कतिपय व्यवहार सौंपा जाता है और विशिष्ट परिस्थितियों का समुचित प्रत्युत्तर विहित किया जाता है। ये आपसी संबंधित घटक से प्रत्येक की भूमिका निर्मित होती है। एक भूमिका की धारणा, या कि कैसे व्यक्ति कार्य करता है, व्यक्ति को कैसा व्यवहार करना चाहिए जब वे किसी विशिष्ट स्थिति में पहुंचते है और भूमिका निर्वहन या व्यक्ति कैसे वस्तुतः कार्य करता है (गोल्ड स्टेन, 1973)। दूसरे शब्दों में भूमिकाओं के मनोवैज्ञानिक घटक होते हैं जिसमें दृष्टिकोण और भावनाऐं सम्मिलित हैं। सामाजिक घटक जिसमें व्यवहार और दूसरों की अपेक्षाऐं सम्मिलित हैं व्यवहार्थ घटक।

सामाजिक कार्य भूमिकायें व्यवसायिक गतिविधियों के लिए निदेशन उपलब्ध कराते हैं। भूमिकाओं द्वारा व्यवसाईयों और ग्राहकों के बीच संव्यवहार की प्रकृति परिभाषित की जाती है। भूमिकाओं द्वारा व्यवसायिक साथियों के बीच संव्यवहार की प्रकृति भी परिभाषित होती है। सामाजिक कार्य भूमिकाऐं और उनसे सहबद्ध अपेक्षाऐं, लक्ष्यों को प्राप्त करने के सामान्य मार्गो (माध्यमों) को सुझाती है।

अनेक लेखकों जैसे (मेक फीटर, 1971), टियर और मैक फीटर 1970, 1982 पिनकस और मिन्हान (1973) जानसन, एल0सी0 (1995) ने सामाजिक कार्य भूमिकाओं को परिभाषित किया है। सामाजिक कार्य भूमिका की इस प्रस्तुति ने प्रत्येक भूमिका में अंतर्निहित जानकारी के आदान–प्रदान को उच्चारित किया है। इस प्रकार ग्राहक और सामाजिक कार्यकर्ता का काम इन सामाजिक कार्य भूमिकाओं पर ग्राहक समूह के प्रकार के परिप्रेक्ष्य में बल देता है।

अपेक्षाऐं और काम, सामाजिक कार्य भूमिकाओं को सक्रिय करते हैं। एक रणनीति ऐसी योजना होती है जो कार्यवाही को योजनाबद्ध बनाती है, ब्लू प्रिंट उपलब्ध कराती है। अपेक्षाओं में योजना और कार्यवाही के आयाम समाविष्ट रहते हैं। जैसे ही कोई रणनीति कार्यवाही बनती है वैसे ही व्यक्ति में एक उपलब्ध कराते हैं या जानकारियों का आदान प्रदान करते हैं।

तालिका 1. सामाजिक क्षेत्र कार्य भूमिकाएं

उपभोक्ता

कार्यपरामर्श संसाधन प्रबंधन शिक्षा	व्यक्ति और परिवार इनेबलर ब्रोकर अधिवक्ता शिक्षक	औपचारिक समूह और संगठन कर्ता समन्वयक / मध्यस्थ प्रशिक्षक	समुदाय और समाज योजनाकार कार्यकर्ता	सामाजिक कार्य व्यवसाय सहयोगी / मानीटर विश्लेषक

स्रोत – इन्फारमेशन मण्डल फार जर्नलिस्ट सोशलवर्क प्रेक्टिस

तालिका 2. सामाजिक क्षेत्र कार्य भूमिकाएं

उपभोक्ता

कार्य परामर्श संसाधन शिक्षा	व्यक्ति और परिवार समाधान ढूंढना केंस प्रबन्धन सूचना प्रसंस्करण	औपचारिक समूह और संगठन संगठनात्मक विकास नेट वर्किंग व्यावसायिक प्रशिक्षण	समुदाय और समाज शोध और योजना सामाजिक कार्यवाही सामुदायिक शिक्षा	सामाजिक कार्य व्यावसायिक सामुदायिक सेवा ज्ञान विकास

स्रोत – माडल फार जर्नलिस्ट सोशलवर्क प्रेक्टिस (पृष्ठ 2) (बी0सी0ट्रेसी और बी डुबोस)

सामाजिक कार्यकर्ता की भूमिकाओं और अपेक्षाओं से शुरुआत और उसके पश्चात् कार्रवाई की योजना का अवधारण की अपेक्षा, परिस्थिति की प्रकृति द्वारा भूमिकाओं और अपेक्षाओं को व्यवसायिओं की पद्धति की अपेक्षाओं को उद्जानित करना चाहिए। सामाल्य सामाजिक कार्यकर्ता समस्त पद्धति स्तर पर मध्यस्था के परिप्रेक्ष्य में परिस्थितियों को

विरपित करते हैं इस पहुंच से अनेक संभावनाएं मिलती है। सामाजिक कार्य कर्तव्यों और उनसे भूमिकाओं को स्पष्ट करने के लिए इस शेष अध्याय में प्रत्येक भूमिका को परिभाषित किया गया है।

परामर्श

परामर्श, व्यावसायिक गतिविधियों को निर्दिष्ट करता है जिसके द्वारा सामाजिक कार्यकर्ता और ग्राहक, ग्राहक के मुद्दों को स्पष्ट करते हुए विकल्पों को खोजते हुए और कार्य योजना विकसित करते हुए प्रारम्भ करते हैं परामर्श ग्राहक और सामाजिक कार्यकर्ता की विशेषता पर निर्भर रहता है। सामाजिक कार्यकर्ता के पास औपचारिक रूप से अर्जित ज्ञान, मूल्य और दक्षता रहती है और ग्राहक के पास उसके व्यक्तित्व, संगठनात्मक और सामुदायिक जीवन अनुभव पर आधारित ज्ञान, मूल्य और दक्षता रहती है।

ग्राहक के साथ सहयोगी कार्य के इस दिगविन्यास को अपनाने में सशक्तीकरण आधारित सामाजिक कार्यकर्ता की ग्राहक–कार्यकर्ता के बारे में पारम्परिक धारणा में अंतर्निहित प्रतिकूलता का अध्ययन करने की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिये, मेलूशियों (1979) ने ग्राहक और सामाजिक कार्यकर्ता के प्रत्यक्षान की उसकी तुलना में पाया कि ''जबकि कार्यकर्ता ग्राहक की ओर देखते है और ग्राहक स्वयं को एक सक्रिय अवयव समझता है तथा स्वायत्त कार्यकरण, परिवर्तन और वृद्धि के लिए स्वयं को सक्षम समझता है।

हेपवर्थ,रुनी और लार्सन के अनुसार ''यद्यपि, सामाजिक कार्यकर्ता विश्वास करते है कि मनुष्य के पास उसकी क्षमताओं को विकसित करने का अधिकार और अवसर होता है, रोग विज्ञान पर उनकी प्रवृत्ति केन्द्रित करने का प्रभाव होता है। मात्र इस उपदर्शन से सामाजिक कार्यकर्ता ग्राहक को नकारात्मक रुप से मानता है'' ग्राहक स्व–सम्मान और आत्मविश्वास को नुकसान पहुंचा सकते हैं। यदि ग्राहक को स्वयं को सक्षम सामाजिक कार्यकर्ता के रुप में समझा जाना हो तो सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा उन्हें ऐसा ही मानना चाहिए।

भूमिकाओं और परामर्श से जुड़ी अपेक्षाओं द्वारा ग्राहक और सामाजिक कार्यकर्ता, ग्राहक के साथ व्यक्तिगत, पारिवारिक संगठनात्मक या सामाजिक समस्याओं को संबोंधित करते हैं। सूक्ष्म स्तर ग्राहक के साथ–व्यक्ति, परिवार और छोटे समूह–समर्थकारी भूमिका परामर्श अपेक्षाओं को नियमित करती है जो कि परिवर्तन लाती है। मध्यम स्तर पर, सरलीकर्ता, संगठनात्मक विकास पर फोकस करते हैं। सामाजिक योजनाकारकी मेक्रो पद्धति भूमिका में सूक्ष्म स्तर परिवर्तन प्रारंभ करने की शोध और योजना समाविष्ट रहती है। अंत में, सामाजिक कार्यवृत्ति की पद्धति के साथ सहपाठी/मानीटर भूमिका से सहयोग प्राप्त होता है।

सूक्ष्म स्तर (माइक्रो लेबल) : समर्थकारी की भूमिका

समर्थकारी भूमिका में, व्यवसायी, सामाजिक कार्यकरण में चुनौतियों को हल करने के लिए माइक्रोलेबल ग्राहक के साथ कार्य करता है। परामर्थी अपेक्षा समर्थकारी भूमिका के पूरक हो जाती है।

समर्थकारी के समान, सामाजिक कार्यकर्ता व्यवसायी, व्यक्तिगत सामाजिक कार्यकरण के उन्नयन के लिए व्यक्ति, परिवार और छोटे समूह ग्राहक प्रणाली के साथ कार्य करते हैं। अपेक्षओं के परामर्थ से ग्राहक की समस्या की खोज बनती है। सामाजिक कार्यकर्ता और ग्राहक परिष्कृत व्यवहार, संबंधों की परिवर्थित होती पद्धति और सामाजिक तथा भौतिक परिवेश में कारकों को उपांतरित करते हुए परिवर्तन सृजित करते हैं। समर्थकारी की भूमिका, व्यक्तियों की सहायता करने के व्यावसायिक उद्देश्यों के साथ स्थिर रहती है।

सशक्तीकरण अनुकूलित सामाजिक कार्यकर्ता, ग्राहक की शक्ति को मान्य करते हुए कार्य प्रारंभ करते है तब परिवर्तन के लिए ग्राहक की क्षमता को बनाते है।

कार्ल राजर्स (1961) ने वर्णित किया है कि व्यवसायी, ग्राहक की उसके प्रयोजनों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक स्थितियां उपलब्ध कराने जीवन की चुनौतियों से निपटने के अनुक्रम में विभिन्न पहल का उपयोग करते हैं। परिवर्तन की शर्त व्यक्ति के भीतर और इसकी सामाजिक पद्धतियों के साथ उनके संव्यवहार में निहित रहती है।

मध्य स्तरः सरलीकर्ता की भूमिका

सरलीकर्ता भूमिका, औपचारिक समूहों, संगठना या नौकरशाही संरचना के साथ कार्य वर्णित करती है जो इन बहु व्यक्ति पद्धतियों में प्रभावी कार्यकरण को प्रौननत करते है। संगठनात्मक विकास अपेक्षायें इस भूमिका को विस्तारित करती है।

सरलीकर्ता भूमिका, मध्य स्तर ग्राहक प्रणाली के साथ कार्य करती है – जैसे ग्रन्थाकार समूह या संगठन– जो उन सामाजिक कार्यकरण में वृद्धि करते है। जब ग्रन्थाकार समूह या संगठन उन समस्याओं की पहचान करते है जिन्हें वे उनकी आंतरिक प्रक्रियाओं, संरचना या कृत्यों के साथ रखे हुए है। तब वे सामाजिक कार्यकर्ता के साथ परामर्श कर सकते है। उनका प्रारंभिक काम पारस्परिक अपेक्षाओं को और दृष्टिकोण को स्पष्ट करना होता है। सरलीकर्ता के रुप में, सामाजिक कार्यकर्ता दूसरे ग्रुप सदस्यों के मददगार व्यवहार को आदर्श उपयोगी व्यवहार की मदद कर सकते हैं। समुचित प्रश्न पूछ सकते है या समूह के बारे में समुचित टिप्पणी और भावनाएं उपलब्ध कराते है। वे दूसरे समूह सदस्यों को समूह प्रक्रिया और कार्यकरण के बारे में जानकारी की शिक्षा दे सकते है। (सानसन एल0सी01995) योजनाओं के क्रियान्वयन के पश्चात सहभागियों को परिवर्तनों और एकीकृत लाभों को स्थिर करने की आवश्यकता है।

संगठनात्मक विकास के दूसरे पहलू के रूप में, सामाजिक कार्यकर्ता, संगठनात्मक नीति को आकार देने में एक मुख्य भूमिका निभाते है (मार्टिन 1990)। प्रश्नों के उत्तर जैसे ''क्या हम निर्धारित लक्ष्य जनसंख्या तक पहुंच रहे हैं ? ''क्या सेवाऐं प्रभावी रूप से और दक्षता से प्रदान की गई हैं ? और क्या मानीटरिंग और मूल्यांकन उपाय सफलता को माप रहे हैं ? वस्तुतः किसी नीति का अंतिम परीक्षण किसी कार्यक्रम में इसके वास्तविक क्रियान्वयन में और उपभोक्ताओं के जीवन पर उसके प्रभाव में होता है।

सामाजिक कार्यकर्ता, औपचारिक संगठनों के साथ उनके कार्य में सरलीकर्ता की भूमिका का उपयोग भी करते हैं। पुनः इस कार्य का लक्ष्य व्यक्तिगत परिवर्तन के बजाय संगठनात्मक है। उदाहरण के लिए, एक बड़े औद्योगिक संयंत्र में प्रबंधन टीम मद्यपान, अनुपस्थिति और दूसरे व्यक्तिगत मुद्दों से चिंतित थी जिसके परिणामस्वरूप निम्न प्रेरणा और कम होती उत्पादकता के रूप में निकल रही थी। वे एक सामाजिक कार्यकर्ता जोन्स मोन्टेगों की सेवाऐं प्राप्त करते हें जो कारबार और उद्योग में विशेषज्ञ है। श्रमिकों और प्रबंधन से जानकारी एकत्र करने के पश्चात जोन्स एक कर्मचारी सहायता कार्यक्रम की अनुशंसा करते है। नव गठित श्रम प्रबंधन परिषद को विचारण के लिए कर्मचारी सहायता कार्यक्रम के अनेक विकल्प प्रस्तुत करते हैं। जोन्स के कार्य से सरलीकर्ता भूमिका की संगठनात्मक विकास अपेक्षा पारिलक्षित होती है।

सामाजिक कार्य व्यवसायी, संगठनात्मक योजना, संसूचना की अतः संगठनात्मक पद्धति विनिश्चय करने की प्रक्रिया और प्रशासनिक संरचना को उन्नत करने के लिए मध्य स्तर ग्राहक प्रणाली के साथ सहयोगात्मक रूप से कार्य करता है।

मेक्रो लेबल : योजनाकार भूमिका

लक्ष्य निर्धारित करने के लिए योजनाकार की भूमिका धारण करने के लिए सामुदायिक सामाजिक संरचना के साथ कार्यकरण से नीतियां विकसित होती है और कार्यक्रम प्रारंभ होते है। योजनाकार की भूमिका के साथ सहबद्ध अपेक्षाओं में शोध और योजना भी सम्मिलित है।

सामाजिक योजनाकार, सामुदायिक समस्याओं को हल करने के लिए योजना बनाने और स्वास्थ्य तथा मानव सेवाऐं उपलब्ध कराने में समुदायों की सहायता करते हैं। ब्री–लेण्ड, कोस्टिन और आर्थटन (1987) के अनुसार योजनाकारों और संगठनकर्ताओं को समाज, समुदाय, समाजशास्त्र सामाजिक समस्याओं, सामुदायिक मनोविज्ञान, सामाजिक योजना और सामाजिक नीति के ताने बाने को समझने की आवश्यकता है। योजना और शोध के क्षेत्र में विशेषज्ञ ज्ञान और दक्षता को उपयोग में लाने के लिए व्यवसाई को सामुदायिक आवश्यकताओं पर ध्यान देने और सामुदायिक संसाधनों का विकास करने के लिए सामुदायिक नेताओं और सामाजिक सेवाकारियों को सम्मिलित करना होगा।

सामाजिक आयोजक गतिविधियों में सम्मिलित हैं, सेवाओं का समन्वयन, कार्यक्रमों का विकास, नीतियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन और सामाजिक कल्याण सुधार का पक्ष–पोषण। सामाजिक आयोजक शोध तकनीक का उपयोग करते है जैसे आवश्यकताओं का निर्धारण, सेवाओं की सूची, सामुदायिक पार्श्वदृष्य, परिवेशीय अवलोकन और सामाजिक समस्याओं पर उनकी समझ को आगे बढ़ाने और सम्भावित समाधान खोजन के लिए मैदानी शोध।

सामाजिक आयोजक योजना की प्रक्रिया के दौरान एक निष्पक्ष क्षमता में सेवा देते हैं। वे एक बुद्धिसंगत कार्रवाई प्रस्तावित करने के लिए शोध और विश्लेषण का उपयोग करते हैं। सामाजिक योजना के लिए भविष्य के प्रति स्वप्न दृष्टा स्थिति निर्धारण अपेक्षित होता है। स्वप्न दृष्टा दृष्टिकोण से प्रेरणा प्राप्त होती है। जबकि परिवेशीय कारकों, वास्तविक ज्ञान और चुनौतियों से परिवर्तन के पैरामीटर्स परिभाषित होते हैं।

योजना को सुदृढ़ बनाने के लिए सामाजिक कार्यकर्ता ग्राहकों (मेक्रो लेबल क्लाइन्ट) के साथ संसाधन क्षमताओं और परिवेशीय चुनौतियों का निर्धारण करते हैं। चित्र में योजना प्रक्रिया में योजना गतिविधियां वृद्धि होते हुए कदमों द्वारा प्रारंभ की जा सकती है या सर्वत्र योजनावद्ध द्वारा व्यापक परिवर्तनों को प्राप्त किया जा सकता है।

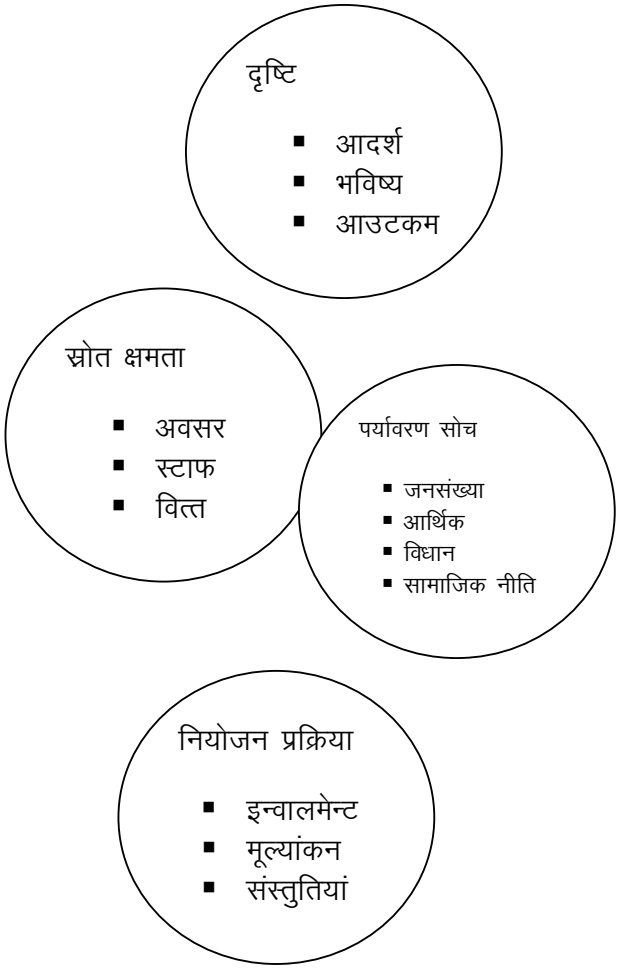

वृत्ति (व्यावसायिक पद्धथ्त) – सहयोगी और प्रबोधक (मानीटर) भूमिकाऐं :

व्यावसायिक वार्तालाप से सहपाठी और प्रबोधक भूमिका के लिए परदृष्य उपलब्ध रहता है। इन भूमिकाओं के माध्यम से व्यवसायी सामाजिक कार्य व्यवसाय की निष्ठा बनाएं रखता है। नैतिक मानकों को ऊंचा रखता है और सहयोगियों को सहायता प्रस्तुत करता है। सहयोगी की भूमिका सामाजिक कार्य व्यवसाय के सदस्यों में साझेदारी, पारस्परिक सम्मान और सहयोग का वातावरण मानती है। दूसरे व्यवसायों के साथ कार्यकरण संबंध स्थापित करने और राष्ट्रीय वृत्तिक (व्यावसायिक) संगठनों में सदस्यता बनाएं रखने जैसे एन0ए0एस0डब्लू0 (1996) और सी0एम0डब्लू0ई0 और स्थानीय समूह, सहयोगी की भूमिका को अभिव्यक्त करते हैं।

प्रभावी सामाजिक कार्य पद्धति के लिए दूसरे वृत्तिकों के साथ सहयोगात्मक संबंध स्थापित कर आवश्यकताओं सहयोगी गुणवत्ता सुनिश्चित करने और वृत्तिक मानकों को बनाए रखने के लिए समकक्ष व्यक्ति की व्यावसायिक प्रक्रिया को मानीटर करते है। एन0ए0एस0डब्लू0 (1996) के मानक सामाजिक कार्य व्यवसाय की गतिविधियों की मानीटरिंग करने में सामाजिक कार्य व्यवसायी की वचनबद्धताओं और उत्तरदायित्वों को रेखांकित करते है। मानीटरिंग में सलाह देना, जानकारी देना, मानीटरिंग सम्मिलित है।

व्यवसाय के उत्संस्करण द्वारा सामाजिक कार्यकर्ता व्यावसायिक मूल्यों, मानको, और सामाजिक कार्य की नैतिकता के साथ पहचान करते है। उत्संस्करण व्यवसायिकों सामाजिक कार्य व्यवसाय की संस्कृति के अनुकूल कर देता है जिसमें इसकी भाषा, माप पद्धतियों, उत्तरदायित्व और बाध्यता सम्मिलित है इसमें शिक्षा, प्रक्रिया, अनुभव और वृत्तिक विकास की प्रक्रिया समाविष्ट है।

संसाधन प्रबंधन

प्रायः ग्राहक उन संसाधनों तक पहुचने में सामाकि कार्य सेवाऐं चाहता है जो उनके व्यक्तिगत संसाधनों या सामाजिक सहायता की उनके अनौपचारिक नेटवर्क में नही पाये जाते है। इसलिये अक्सर, सामाजिक कार्यकर्ता संसाधनों तक पहुंच के लिये ग्राहक की सहायता करते हैं, सेवा प्रदान करने में सहयोग प्रदान करते हैं और नई नीतियां तथा कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। ये विभिन्न प्रकार की गतिविधियां संसाधन, प्रबंध, के सामाजिक कार्य कर्त्तव्य को प्रदर्शित करते हैं।

2.4 समाज कार्य क्षेत्राभ्यास में समाज कार्य प्रशिक्षण संस्थान की भूमिकायें एवं अपेक्षायें

समाजकार्य क्षेत्राभ्यास में प्रशिक्षण संस्थायें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिकाओं का निर्वहन करती है। जिससे समाजकार्य प्रशिक्षणार्थियों के विकास में सहायता प्राप्त होती है। देखा जाय तो समाज कार्य के सिद्धान्तों का व्यावहारिक रूप प्रशिक्षण संस्थायें ही प्रदान करती है। प्रशिक्षण संस्थाओं की भूमिकाऐं अग्रलिखित हैं –

1. व्यवसायिक निपुणताओं का विकास वास्तविक सीखने के तथा प्रासंगिक तथ्यों के आधार पर ज्ञान प्रदान करना।
2. सूक्ष्म स्तर पर समस्याओं का समाधान करने की निपुणताओं का विकास करना।
3. सिद्धान्त तथा अभ्यास के एकीकरण का विकास करना।
4. ऐसी निपुणताओं का विकास करना जो प्रशिक्षण के निर्धारित स्तर को प्राप्त करने के लिए आवश्यक होती है।
5. ऐसी उद्देश्यपूर्ण व्यवसायिक अभिरूचियों का विकास करना जो आंशिक तथा पूर्ण न्यायिक मनोवृत्तियों से सम्बन्धित होती है।
6. व्यवसायिक मूल्यों तथा वचनवद्धता का विकास करना जिसमें मानव प्रतिष्ठा का सम्मान व अधिकारों की सहभागिता के लिए उत्तरदायित्व होते हैं।
7. दूसरों के व्यवसायिक विचारों की जागरूकता का विकास करना।
8. ऐसा उद्देश्यपूर्ण शिक्षण का अनुभव जो मार्गदर्शन के द्वारा जीवन की वास्तविक परिस्थितियों में ज्ञान, निपुर्णताओं तथा मनोवृत्तियों का व्यासायिक विकास करता है।
9. ज्ञान, निपुणताओं तथा मनोवृत्त्यिों के प्रति व्यवसायिक मनोवृत्तियों का विकास करता है।
10. आवश्कयताओं की पूर्ति तथा सहायता के लिए समाजकार्य की पद्धतियों से अर्जित की गयी निपुणताओं का विकास करना। जैसे – सहभागिता, अवलोकन, अंतःक्रियाएं, संचार आदि।
11. अध्ययन में सिद्धांत एवम् अभ्यास के सहसम्बन्ध की क्षमता का विकास तथा वृद्धि करना।

समाज कार्य क्षेत्राभ्यास में समाज कार्य प्रशिक्षण संस्थान की अपेक्षायें

समाजकार्य क्षेत्राभ्यास में समाज कार्य प्रशिक्षण संस्थानों से अपेक्षायें यह रहती है कि वे समाज कार्य विद्यार्थियों को उचित माहौल प्रदान कर उनके समग्र विकास में सहायता प्रदान करे। जिससे वे समाज में अग्रणी भूमिका का निर्वाहन कर सके। समाज कार्य प्रशिक्षण संस्थानों से अग्रलिखित अपेक्षायें की जा सकती है –

1. समाज कार्य प्रशिक्षण संस्थायें समाज कार्य विद्यार्थियों को सैद्धान्तिक रूप से सीखे गये विषयों को पूर्णरूपेण व्यावहारिक रूप में अपनाने में सहायता प्रदान करे।
2. चूंकि समाज कार्य समाज के बीच में रह कर किया जाने वाला कार्य है। अतः समाज कार्य प्रशिक्षण संस्थाओं से अपेक्षा की जाती है कि वे विद्यार्थियों को समाज को दृष्टिगत रखते हुए प्रशिक्षण प्रदान करे।

3. समाज कार्य प्रशिक्षण संस्थाओं से अपेक्षा की जाती है कि वे समाज कार्य विद्यार्थियों को अभिलेखन क्षमता, परामर्श क्षमता, निदान क्षमता का विकास सुनियोजित तरीके से प्रदान करे।
4. समाज कार्य प्रशिक्षण संस्थाओं से अपेक्षा की जाती है कि वे समाज कार्य के सैद्धान्तिक पहलुओं को व्यौहारिक पहलु के रूप में विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करे।
5. समाज कार्य प्रशिक्षण संस्थाओं से अपेक्षा की जाती है कि वे विद्यार्थियों को एक व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करे जिससे समाज कार्य कि विद्यार्थी अपने वृत्ति का उपायोजन कर सके।

2.5 समाज कार्य व संस्था सम्बन्धी सिद्धान्त, अपेक्षायें और कौशल

सामाजिक कार्यकर्ता वृत्ति के निरपेक्ष मूल्य को व्यवहार के सिद्धातों में परिवर्तित करता है तत्पश्चात् वे इन सिद्धांतों को विशिष्ट परिस्थितियों में एकाग्र कार्यवाई में अनुदित करता है। मूल्यों से सामाजिक कार्यकर्ता के चिंतन के मार्ग को आकार मिलता है और वह सिद्धांतों के माध्यम से उसकी कार्यवाही को निदेशित करता है (विस्टेक, 1957, गोल्ड स्टेन 1973, सिपोरीन 1975, लेवी 1976, पर्लमेन पिकार्ड 1988, हैपवर्थ, रूनी और लार्जन 1997, काम्पटन और गेलवे 1994, मोरल और शेफर 1908)। इनमें स्वीकारता, वैयक्तिता भावनाओं की प्रयोजनयुक्त अभिव्यक्ति, गैर निर्णयात्मक व्यवहार, उद्देश्य परकता, नियंत्रित भावनात्मक संलग्नता, स्वअवधारणा, संसाधनों तक पहुंच, गोपनीयता और जबावदेही। जब सामाजिक कार्यकर्ता इन सिद्धान्तों को कार्य रूप में परिणित करने में असफल रहता है तो वह ग्राहक को प्रताड़ित करता है। तालिका में इन मूल्यों और सिद्धांतों को दर्शाया है।

तालिका – सामाजिक कार्य मूल्य के प्रभाव और कार्रवाई सिद्धांत

Empoverment			**Victimization**	
Potential Effect	**Positive Manifestation**	**Social Work Values and Principles**	**Barriers**	**Potential Effect Affirm**
Affirm personhood	Affirm individuality appreciate diversity	Uphold uniqueness and worth	Stereotyping denigration labeling	Importance self-fulfilling prophery
Efficacy competence	Develop alternatives Delineate roles	Promote Self-determinatio	Control advice manipulati	Incompetence failure to change

partnership		n	on paternalism	dependency
Openness lowered defences	Strength perspective active listening empathy	Communicate nonjudgementally and with acceptance	Blame pity and sympathy focus on deticits	Defensiveness Helpessness
Affirm rationality	Gaining perspective	Attain objectively	Overdentification coldness distancing	Bias Distortion
Trust	Respecting privacy	Ensure confidentiality	Inappropriate communication	Breach of confidence Mistrust
Increased opportunities	Building linkages developing policies and programs coordination of services	Provide access to resources	Red tape rules and regulations discrimination	Sterigma lack of opportunities

स्वीकृति

ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता जो सेवार्थियों को स्वीकार करते है। मानवीयरूप से उनके साथ व्यवहार करते है तथा उनकी प्रतिष्ठा को बनाए रखते है। सामाजिक कार्यकर्ता सही चिंता द्वारा स्वीकृति अभिव्यक्त करते है एकाग्रचित रूप से श्रवण करते हुए, दूसरों के दृष्टिकोण को अभिस्वीकृत करते हुए और पारस्परिक सम्मान का वातावरण सृजित करते हुए। स्वीकृति से अभिव्यक्त होता है कि सामाजिक कार्यकर्ता ग्राहक के दृष्टिकोण को

समझता है और उनके दृष्टिकोण का स्वागत करता है। स्वीकृति से ग्राहक की शक्ति और मान्यता की अभिवृत्ति का सुझाव प्राप्त होता है।

वैयक्तिकता

सभी लोग अद्वितीय होते है तथा उनमें सुभिन्न क्षमताएं होती है जब सामाजिक कार्यकर्ता ग्राहक की वैयक्तिकता की पुष्टि करता है तब वे उनके दुर्लभ गुणों और व्यक्तिगत अन्तर को मान्यता देते है तथा प्रशंसित करते है। वे ग्राहक को एक व्यक्ति के रूप में मानते है। ऐसे सामाजिक कर्ता जो ग्राहक को व्यक्तिनिष्ठ बनाता है उसे प्रतिकूलता और द्वैषता से मुक्त करता है, किसी लेबल को लगाने और रूढ़िबद्ध करने की अवहेलना करता है विभिन्नता की क्षमता को मान्यता प्रदान करता है वे इस बात को प्रदर्शित करते है कि ग्राहक के पास ''व्यक्तिगत होने और न केवल मनुष्य के रूप में व्यवहार करवाने बल्कि व्यक्तिगत अन्तर के साथ मनुष्य होने का'' अधिकार है।

भावनाओं की प्रयोजनयुक्त अभिव्यक्ति

भावनाएं मानव जीवन का एक महत्वपूर्ण भाग होती है और जनता द्वारा भावनाओं की श्रृंखलाओं को अनुभव किया जाता है। ग्राहकों को उनकी भावनाओं को स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्त करने के अवसरों को आवश्यकता होती है। (बिस्टैक–1957) यद्यपि, यह बुद्धिमानी नही है कि ग्राहक की भावनाओं के साथ प्रोत्साहित किया जाए या अनियंत्रित रूप से क्रोध या नकारात्मक भावनाओं से जोड़ दिया जाए, सामाजिक कार्यकर्ता के लिये आवश्यक होता है कि वह ग्राहक को इस बात के लिये निदेशित करे कि वह अपनी भावनाओं को प्रयोजनयुक्त तरीके से अभिव्यक्त करे। सामाजिक कार्यकर्ताओं को उन भावनाओं को उभारना पड़ता है जो इन तथ्यों को रेखांकित करती है। ध्यानपूर्वक श्रवण करना, सुसंगत प्रश्न पूछना और सहिष्णुता प्रदर्शित करना और अनिर्णययात्मकता द्वारा सामाजिक कार्यकर्ता ग्राहक को तथ्यों और भावनाओं दोनों को बांटने के लिये प्रोत्साहित करना चाहिये।

गैर निर्णयात्मक रूझान

गैर निर्णयात्मक रुझान से प्रभावी संबंध विकसित होते हैं। यह इस आधार वाक्य से कि समस्त मनुष्य प्रतिष्ठा और मूल्य रखते है, गैर निर्णयात्मक रुझान से प्रभावी संबंध विकसित होते हैं। इस आधार वाक्य से कि समस्त मनुष्य प्रतिष्ठा और मूल्य रखते हैं, गैर निर्णयात्मक रुझान बनता है, गैर निर्णयात्मकता में स्वीकृति की उपधारणा रहती है।

प्रायः सेवार्थी ऐसी स्थिति में होते है जहां उन्हें स्वयं का और परिस्थितियों की सूक्ष्मता से परीक्षण करना चाहिए। इसके लिए कुछ ऐसी जोखिम उठाने की अपेक्षा रहती है जिसके लिए उनका तैयार रहना सम्भाव्य नहीं है जबकि उन्हें यह अनुभव हो रहा है कि उन्हें निर्णीत किया जा रहा है। (कीथ–लुकास–1972)। गैर निर्णयात्मक सामाजिक कार्य में

दोषता या निर्दोषता या समस्या या आवश्यकता के कारणत्व के लिए सेवार्थी उत्तरदायित्व की मात्रा अपवर्जित रहती है किन्तु रुझान स्तर या ग्राहक के कृत्य के बारे में मूल्यांकित निर्णय करना सम्मिलित रहता है।

गैर–निर्णयात्मक रूझान, समस्त सामाजिक कार्य प्रक्रियाओं पर लागू होता है। यद्यपि, कतिपय परिस्थितियों में जैसे वह अवसर जब सेवार्थी निरूत्साहित या लांछित अनुभव करता है, सेवार्थी को विशेषरूप से भावनात्मक गैर निर्णयात्मकता की अपेक्षा रहती है। जब सेवार्थी की स्वयं के लांछन और निर्णय की भावना बढ़ जाती है तब दूसरों के निर्वचन की सम्भाव्यता है। उदाहरण के लिए अपने बच्चों से झगड़े को हल करने का कौशल चाहने वाला पति–पत्नि का एक युग्म सम्भवतः उनके प्रति कार्यकर्ता के रूझान के बारे में परिचित रहेगा।

उद्देश्यपरकता

उद्देश्यपरकता का अभ्यासी सिद्धांत या बिना पूर्वाग्रह परिस्थितियों का परीक्षण करना, गैर निर्णयात्मकता से नजदीकी से संबंधित है। उद्देश्य परक होने में व्यवसायी, सेवार्थी के साथ उसके संबंध में व्यक्तिगत भावनाओं और पूर्वाग्रहों को प्रवेशित करने में टालता है। एक उच्च व्यक्तिगत या गहारण निर्णय, ग्राहक और उनकी परिस्थितियों को निर्धारण करने में व्यवसायी को प्रभावित करता है। व्यवसायी का शैक्षणिक अनुभव, सामाजिक दुनिया की समझ, जीवन के अनुभव, विश्वास और मूल्य आदि सभी उनकी उद्देश्यपरकता को प्रभावित करते हैं।

नियंत्रित भावनात्मक संलग्नता

ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता जो सेवार्थी के साथ उनकी भावनात्मक संलग्नता को नियंत्रित करते है मानव व्यवहार की उनकी समझ से परिदृश्य हासिल करते है। सामाजिक कार्यवृत्ति के सामान्य प्रयोजन से संबंधों के लिए निदेश चाहता है और संवेदनता के साथ सेवार्थी की भावनाओं का प्रत्युत्तर देता है। अनियंत्रित भावनात्मक प्रतिक्रिया सेवार्थी में आवरण की कमी से सेवार्थी के दृष्टिकोण अति परिचयता तक क्रमबद्ध रहती है।

ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता जिनमें आवरण की कमी होती है सेवार्थी से स्वयं को अलग कर लेते है और सेवार्थी और उसकी परिस्थिति की देखभाल करने में असफल रहते है। शांत विषय परम सामाजिक कार्यकर्ता सेवार्थी के साथ एक विषय के रूप में व्यवहार करते है– अध्ययन, चालाकी से काम निकालने हेतु व्यक्तियों के परिवर्तन करने के लिए (क्रीम लुकास 1972) विलगता से अक्सर सेवार्थी कार्य को परिपक्व हुए पूर्व ही को छोड़ने को मजबूर हो जाता है। यह सेवार्थी के लिए संकेत भी है कि कार्यकर्ता में चिन्ता का अभाव है और इससे सेवार्थी की भावनाओं में निराशा, मूल्यहीनता और क्रोध की वृद्धि हो सकती हे।

प्रभावी सामाजिक कार्यकर्ता, स्वीकार्य सेवार्थी और अनुचित व्यवहार के बीच संतुलन बनाए रखता है। तदनुभूति ''कल्पना को पसंद करने का कार्य'' है, जो कि लक्ष्यों की ओर कार्य करने और परिवर्तन के लिए योजना बनाने के लिए सेवार्थी को सशक्त करती है।

स्व–अवधारणा

स्व–अवधारणा के सिद्धान्त के साथ सामाजिक कार्यकर्ता, सेवार्थी की उसकी स्वयं की पसंद और विनिश्चयों को करने में स्वतंत्रता को मान्य करते हैं। स्व–अवधारणा अभिस्वीकृत करती है कि स्वन्नत वृद्धि स्वयं के भीतर से अभिव्यक्त होती है या होलिस (1967) का कहना हैं कि ''भीतर से वृद्धि कारित होने के लिए चिंतन से स्वतंत्रता पसंद से स्वतंत्रता, निन्दा से स्वतंत्रता तथा बुद्धिमानी से कार्य करना। समझने की शक्ति और किसी की समझ पर कार्य करना अनुभव से ही आता है।

स्व–अवधारणा से अभिप्रेत है उत्पीड़ित या चालाकी से प्रभावित न होना (एग्रान्सन 1981) दूसरे रूप से कहे तो स्व–अवधारणा से अभिप्रेत है पसंद करने की स्वतंत्रता। पसंद विकल्पों पर निर्भर रहती है। स्व–अवधारणा की सीमाएं होती है, यद्यपि, विस्टेक (1957) के अनुसार, विधिक प्रतिबंध, ऐजेन्सी नियम, मानक, पात्रता अपेक्षाएं और विनिश्चय करने की ग्राहक की योग्यता पसंदों की श्रेणी को सीमित करती है।

संसाधनों तक पहुंच

संसाधनों तक पहुंच बनाना किसी भी विकासोन्मुखी समाधान की पूर्व शर्त है। सीमित संसाधन समाधान के विकल्पों को कम कर देते हैं और बिना पसंद के व्यक्ति विकल्पों में से चयन नही कर सकता है। समस्त व्यक्ति, चुनौतियों का सामना करने और उनकी क्षमता की अनुभूति करने के लिए संसाधनों पर निर्भर रहते है।

नैतिकता की संहिता एन0ए0एस0डब्ल्यू0 (1996) संसाधनों का पक्षपोषण करने के लिए सामाजिक कार्यकर्ता की बाध्यता को विहित करने में बहुत स्पष्ट है। संहिता सामाजिक कार्यकर्ता से विनय करता है कि वह सुनिश्चित करे कि प्रत्येक के पास वांछित संसाधन, सेवाएं और अवसर हो। ऐसे व्यक्तियों के लिए चयन और अवसरों का विस्तार हो जो दबे कुचलें और अलाभप्रद है, और सामाजिक स्थिति में उन्नयन हो तथा विधायी सुधारों के पक्ष पोषण द्वारा सामाजिक न्याय प्रौन्नत हो।

गोपनीयता

गोपनीयता या एकांतता के अधिकार से अभिप्रेत है कि ग्राहक द्वारा जानकारी को प्रकट करने की सहमति अभिव्यक्त करना चाहिए जैसे कि उनकी पहचान, वृत्तिकों के साथ उनका वार्तालाप, उनके या इतिहास के बारे में वृत्तिक राय चूंकि ग्राहक अक्सर सामाजिक कार्यकर्ता के साथ संवेदनशील व्यक्तिगत विषयों का आदान प्रदान करता है इसलिए

विश्वास जो कि किसी भी प्रभावी कार्यकरण संबंध का मुख्य तत्व होता है विकसित करने के लिए गोपनीयता या गुप्तता बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है।

जबाबदेही

नीतिशास्त्र की संहिता व्यावसायिक सामाजिक कार्यकर्ताओं को उनके व्यक्तिगत और व्यवसायिक आचार विचार के लिए जबाबदेह बनाता है। जबाबदेही से अभिप्रेत है कि सामाजिक कार्यकर्ताओं को इसे प्रक्रिया और तकनीक में सक्षम होना चाहिए। इसका यह अर्थ हुआ कि सामाजिक कार्यकर्ता, विभेदकारी और अमानवीय प्रथाओं का प्रतितोष करने में अपनी वचनबद्धता को गम्भीरता से लें और निश्चित व्यावसायिक निष्ठा के साथ कार्य करे तथा स्वस्थ प्रथा और शोध शिष्टाचार को क्रियान्वित करें। जबाबदेही का विस्तार सामाजिक कार्यकर्ता के सेवार्थी के प्रति नैतिक दायित्व तक रहता है।

सामाजिक कार्य दक्षता (कौशल)

ओ हेगन ने दक्षता को अलग ढंग से परिभाषित करते हुए कहा कि 'दक्षता (कौशल) से अभिप्रेत है योग्यता, चतुराई, विशेषता, ज्ञान या किसी बात की समझ के साथ संयोजन में व्यावहारिक ज्ञान यद्यपि, यह परिभाषित करना कठिन है कि सामाजिक कार्य दक्षता किससे गठित होती है क्योंकि यह दूसरे शब्दों के साथ आपस में परिवर्तित करते हुए उपयोग में लाई जाती है। इससे भ्रम पैदा हो सकता है किन्तु तथ्यों को दृष्टि में रखते हुए इसे समझा जा सकता है।

यहां दक्षता द्योतक है, ज्ञान, विशेषज्ञाता, निर्णय और अनुभव का जो सामने उपस्थित हुई परिस्थिति के भीतर या कारवाई के अनुक्रम में या हस्तक्षेप के दौरान उदाहरण के लिए इसमें सम्मिलित है प्रथा स्थापित करने की पसंद के संबंध में एक ठोस निर्णय और एक विशिष्ट परिवेश के भीतर कार्य करना कितना उत्तम होगा। इसमें दक्षता के स्तर के बारे में निर्णय करना भी सम्मिलित हो सकता है जो कार्य के लिए अपेक्षित होता है और किसी कार्य में या कार्रवाई के अनुक्रम में विशेषकर प्रारंभ में, मध्य में या अंत में किस प्रक्रिया पर महत्व देता है। इस निर्णय करने की प्रक्रिया के एक भाग में प्रभावी रूप से पर्यवेक्षण करना और अतिरिक्त परामर्श करना प्रशिक्षण और सहायता भी सम्मिलित है।

दक्षता (कौशल) का स्तर

अपेक्षित दक्षता का स्तर की श्रेणी निम्न हो सकती है –

- बुनियादी दक्षताऐं – उन बुनियादी दक्षताओं से संबंधित होती है जो अधिकांश सामाजिक कार्य मध्यस्थता जैसे तदनुभूति, संबंध या सम्पर्क स्थापित करने में अपेक्षित होते हैं।

- मध्यवर्ती दक्षता – ये दक्षताएं और अधिक कठिन परिस्थितियों जैसे सेवा उपयोगकर्ता के साथ कार्य करना जिन्हें संलग्न करना आसान नहीं होता है या प्रतिकूल नहीं दिखते है, से संबंधित होती है।
- विकसित और विशेषज्ञ दक्षताएं – ये दक्षताएं ऐसी परिस्थितियों में कार्य करने से संबंधित होती है जिनके लिए विशेषज्ञ ज्ञान अपेक्षित होता है जैसे कि परामर्श या परिवार पद्धति में प्रशिक्षण ऐसी समस्याओं के साथ कार्य करने में समर्थ होना जो बहु फलक है और संघर्ष विद्वैव या उच्च स्तर के तनाव में दुर्दमनीय है।

2.6 सार संक्षेप

प्रस्तुत इकाई में समाज कार्य अभ्यास के विषय में अभिविन्यास के बारे में विस्तृत चर्चा की गई है। जिसमें बताया गया है कि संस्थाओं के बारे में कौन–कौन सी जानकारियां प्राप्त करे तथा उनके क्रियाकलापों के बारे में भी जानकारी कैसे प्राप्त करे। इससे सम्बन्धित प्रारूप पत्र दिये गये है। अभिविन्यास से सम्बन्धित वैयक्तिक सेवा कार्य, सामूहिक सेवा कार्य तथा सामुदायिक सेवा कार्य की डायरी कैसे बनाये के भी प्रारूप पत्र उल्लेखित किये गये है। इसी इकाई में समाज कार्य क्षेत्र अभ्यास में भूमिकायें एव ंअपेक्षाओं से सम्बन्धित तथ्यों का वर्णन किया गया है। समाज कार्य क्षेत्र अभ्यास में समाज कार्य प्रशिक्षण संस्थाओं की भूमिकायें एव ंअपेक्षाओं के बारे में भी एक विस्तृत अभिलेख प्रस्तुत किया गया है। इकाई के अंक में समाज कार्य व संस्था सम्बन्धित सिद्धान्त, अपेक्षायें और कौशल के बारे में भी प्रकाश डाला गया है।

2.7 पारिभाषिक शब्दावली

Resource	संसाधन	Recomendation	संस्तुतियां
Enabler	सामर्थ दाता	Objectivity	विषयिकता
Formal	औपचारिक	Lack of Evaluation	मूल्यांकन की कमी
Coordinator	समन्वयक	Red Tappism	लालफीताशाही
Plannar	योजनाकार	Barriers	रूकावटें
Carrier	वृत्ति	Self Determination	स्व–निर्धारण
Vision	दृष्टि	Acceptance	स्वीकृति
Assessment	मूल्यांकन	Opportunities	अवसर

अभ्यास हेतु प्रश्न

1. समाज कार्य क्षेत्र अभ्यास की दिशा में अभिविन्यास से आप क्या समझते हैं ?
2. किसी एक संस्था के बारे में अवलोकन कर प्रतिवेदन प्रस्तुत कीजिए।

3. सामूहिक सेवा का प्रयोग करते हुए किसी समुदाय में स्वयं सहायता समूह का गठन कर उसकी प्रक्रिया के बारे में लिखिए।
4. सामुदायिक सेवा कार्य का प्रयोग करते हुए किसी समुदाय के नाली की व्यवस्था सुदृण करने हेतु समुदाय के लोगों में जागरूकता सम्बन्धी अभियान चलाये तथा उसकी क्रिया विधि का अभिलेखन करे।

सन्दर्भ सूची

4. कुमार, डॉ0 रूपेश, क्षेत्र कार्य, असिस्टेन्स फार स्ट्रेन्थनिगं इन्फ्रास्ट्रेक्चर ऑफ हयूमिनीटिज एण्ड सोसल सांइसेज, समाज कार्य विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ, वर्ष 2006, पेज 4, 5, 60–83.
5. समाज कार्य का इतिहास एवं विकास, मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय, लर्निंग मटेरियल, रूचि प्रिन्टर्स भोपाल, वर्ष 2003, पेज 89–101.

इकाई – 3

समाज कार्य पर्यवेक्षण के प्रारूप और पद्धतियां

इकाई का रूपरेखा

3.0 इकाई का उद्देश्य

3.1 परिचय

3.2 समाज कार्य पर्यवेक्षण के प्रारूप और पद्धतियां

3.3 समाज कार्य पर्यवेक्षण में प्रशासनिक और पर्यावरणीय पहलू

3.4 पर्यवेक्षण में सहायक प्रकार्य

3.5 दूरस्थ शिक्षा पद्धति में क्षेत्र कार्य अभ्यास पर्यवेक्षण

3.6 सार संक्षेप

3.7 परिभाषिक शब्दाबली

3.8 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

अभ्यास हेतु प्रश्न

3.0 इकाई का उद्देश्य

इस इकाई को पढने के बाद आप :–

- समाज कार्य पर्यवेक्षण के प्रारूप और पद्धतियों की व्याख्या कर सकेगें।
- समाज कार्य पर्यवेक्षण में प्रशासनिक और पर्यावरणीय पहलूओं को वर्णित कर सकेगें।
- पर्यवेक्षण में सहायक प्रकार्यों का वर्णन कर सकेगें।
- दूरस्थ शिक्षा पद्धति में क्षेत्र कार्य अभ्यास पर्यवेक्षण का क्षेत्र स्तर पर उपयोग कर सकेगें।

3.1 परिचय

समाज कार्य विषय में पर्यवेक्षण का मुख्य कार्य वास्तविक परिस्थितियों में छात्रों को सीखने के लिए सुसाध्य, गतिशील, सुविधाजनक तथा दृढ़ बनाना होता है। यह भी कहा जा सकता है कि समाज कार्य पर्यवेक्षण दो पक्षों की एक शैक्षिक भागीदारी है जिसमें एक पक्ष संकाय पर्यवेक्षक और दूसरा पक्ष छात्र होता है। पर्यवेक्षकों में मानवीय समझ, सामाजिक परिप्रेक्ष्य में अधिक परिपक्व, अनुभवी तथा ज्ञानी होते है वही पर छात्रों को एक व्यवसायिक समाज कार्यकर्ता बनाने के लिए आपेक्षिक ज्ञान, व्यवसायिक निपुणताओं तथा तकनीकियों को प्राप्त कर उनकी पद्धतियों से सिद्धान्त व अभ्यास को निश्चित करते हैं।

3.2 समाज कार्य पर्यवेक्षण के प्रारूप और पद्धतियां

समाज कार्य के विशेष सन्दर्भ में पारस्परिक एवं शाब्दिक अवधारणाओं में पर्यवेक्षण का विशेष स्थान है। समाज कार्य में पर्यवेक्षण का सम्बन्ध एक सहायक प्रणाली के रूप में है, जिसमें पर्यवेक्षक छात्रों को कार्य सौंपता है जिससे उनकी योग्यताओं और क्षमताओं का विकास होता है। 'पर्यवेक्षण' शब्द को समाज कार्य विषय के अन्तर्गत दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित एक कार्यशाला 'समाज कार्य शिक्षा में क्षेत्रकार्य प्रशिक्षण' में प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं ने विभिन्न प्रकार से परिभाषित किया है –

'पर्यवेक्षण एक शैक्षिक, प्रशासनिक व सहायता करने की प्रक्रिया है जो पर्यवेक्षक की आवश्यकताओं तथा शैक्षिक कार्यक्रम के उद्देश्यों से ज्ञान व मनोवृत्तियों पर आधारित है, व्यवसायिक निपुणताओं को योग्य बनाना शिक्षण तथा पर्यवेक्षण कार्य को मार्गदर्शित कर उनका विकास करने से सम्बन्धित है।'

'पर्यवेक्षण रचनात्मक तथा सशक्त दोनों प्रकार की प्रक्रिया है और यह पर्यवेक्षक को क्षेत्रीय कार्य को छात्रों को सिखाने के लिए ज्ञान, मनोवृत्तियों निपुणताओं और मार्गदर्शन के परिप्रेक्ष्य में अपना निवेश करने का कार्य करता है।'

समाज कार्य में क्षेत्रकार्य पर्यवेक्षण की दो अवधारणाएं हैं –

1. संकाय सदस्य द्वारा पर्यवेक्षण
2. अभिकरण पर्यवेक्षक द्वारा पर्यवेक्षण

संकाय सदस्य छात्रों को समाज कार्य की तकनीक, अवधारणाऐं, सिद्धान्त, दर्शन, प्रणालियां तथा पद्धतियों को समाज कार्य के सिद्धान्तों को मूल्यों के आधार पर अभ्यास करने का मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। जिससे छात्र इस सिद्धांतों और अवधारणों को स्पष्ट रूप से समझ कर व्यवसायिक सेवाओं के द्वारा सहायता करने का कार्य कर सकें।

अभिकरण पर्यवेक्षक छात्रों को समाज कार्य की पद्धतियों, निपुणताओं, ज्ञान व प्रणालियों की दक्षता का मार्गदर्शन करते है जिससे वे इन तकनिकियों का उपयोग वास्तविक क्षेत्रों में आपेक्षित कल्याण सेवाएं, पीड़ित, निर्धन, असहाय व जरूरतमंदों की सहायता के लिए प्रदान कर सकें।

व्यवसायिक निपुणताओं को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित दो अति आवश्यक घटक है –

1. संकाय पर्यवेक्षक
2. अभिकरण पर्यवेक्षक

पूर्व की अवधारणाओं में सिद्धान्त व अभ्यास एक सहायक रूप से क्षेत्रकार्य प्रशिक्षण में थे परन्तु बाद में कार्य के परिप्रेक्ष्य में प्रयोगात्मक मार्गदर्शन, प्रासंगिक प्रयोगात्मक कार्य तथा कार्य का पर्यवेक्षण के रूप में परिवर्तित हो गया है।

दूसरे शब्दों में समाज कार्य में पर्यवेक्षण शब्द 'एक ऐसी शैक्षिक प्रक्रिया है जो एक व्यक्ति या पर्यवेक्षक को अधिक रूप से जानकर तथा वैयक्तिक संरचना द्वारा सक्षम गुण प्रदान कर, व्यवसायिक रूप से छात्रों को विभिन्न प्रकार के शैक्षणिक उपकरणों जिनमें पर्यवेक्षीय निर्देश, पर्यवेक्षीय अतःक्रियायें, सम्बन्ध व्यवसायिक निपुणताओं व तकनीकियों से वैयक्तिक और सामूहिक गोष्ठियों से प्रशिक्षित करता है।'

समाज कार्य में क्षेत्रकार्य पर्यवेक्षण का उद्देश्य क्षेत्रकार्य पाठ्यक्रम का विकास करना, सिद्धान्त एवं अभ्यास का एकीकरण करना, तथा एक ऐसे वातावरण का निर्माण करना जिसमें छात्र समाज कार्य सिद्धान्त व दर्शन के व्यवहारिक पक्षों को सीख सकें। यह प्रजातांत्रिक मूल्यों तथा आदर्शो पर निर्भर करता हैं जहां पर उत्तरदायित्वों को अनदेखा नहीं किया जा सकता है। इसी कारण समाज कार्य पर्यवेक्षण के निम्नलिखित कार्य समायोजित किए गए हैं –

1. यह एक चेतन सामान्य उद्देश्य है जो छात्रों को उनके इच्छित लक्ष्य प्रदान कर व्यवसायिक रूप से प्रशिक्षित समाज कार्यकर्ता बनने में सहायता करता है।
2. यह व्यक्तियों के कल्याण तथा सामाजिक सेवाओं के मूल्यों के प्रति सामान्य रूचि प्रदान करता है।
3. अनुभवी व्यक्तियों के समक्ष व्यवसायिक सम्बन्ध के साथ परिक्षित निपुणतायें एवं उद्देश्य जिस छात्र पहचान सकें।
4. पर्यवेक्षकों तथा छात्रों के मध्य अपनी–अपनी भूमिकाओं व उत्तरदायित्वों के प्रति एक पारस्परिक समझदारी व अनुबंध होता है।

5. कार्य को 'कब व क्यों' के आधार पर परिस्थितियों एवं कार्य प्रणालियों का स्पष्टीकरण होता है।
6. एक पारस्परिक संचार जो पर्यवेक्षकों तथा छात्रों के सीखने के संभव स्रोतों को चिन्हित करता है।
7. पर्यवेक्षक में विनोदी स्वभाव, अपने साथियों के प्रति स्नेह तथा छात्रों को व्यवहारिक क्षेत्र की वास्तविकता को समझने की योग्यता होती है।

क्षेत्र कार्य पर्यवेक्षण के प्रारूप

संकाय पर्यवेक्षक का प्राथमिक उत्तरदायित्व छात्रों को उनके अपने–अपने क्षेत्रों में सैद्धान्तिक शिक्षा तथा अभ्यास के प्रति रूचि प्रदान करना है। इन प्राथमिक उत्तरदायित्वों को प्राप्त करने के लिए समय–समय पर व्यवसाय, क्षेत्रीय अभिकरण व छात्रों पर आधारित संशोधित क्षेत्र पाठ्यक्रम की संरचना के निर्माण में रूचि लेना है। विकसित क्षेत्र कार्य, व्यवहारिक तथा सैद्धान्तिक पाठ्यक्रम के साथ संकाय पर्यवेक्षक छात्रों को एक ऐसा वातावरण बनाने में सहायता करता है जिसमें व्यवहारिक परिस्थितियों में सिद्धान्त व अभ्यास का एकीकरण हो। पर्यवेक्षक विशेष प्रकार की अवधारणाओं, भावनाओं और मनोवृत्तियों का प्रशिक्षण देता है जिससे वह तीन मुख्य शिक्षण, प्रशासन तथा सहायता की भूमिकाओं का निर्वाहन करता है। क्षेत्र कार्य पर्यवेक्षण के अग्रलिखित प्रारूप है –

1. अभिमुखीकरण प्रारूप

इस प्रकार के क्षेत्र कार्य पर्यवेक्षण में छात्रों को क्षेत्रकार्य कार्यक्रमों, समाज कार्य क्षेत्र की प्रक्रियाओं, समाज कार्य के क्षेत्र का सामान्य उद्देश्य तथा छात्रों की सामान्य अपेक्षाओं के बारे में व्याख्या प्रदान करना।

2. परिचय प्रशिक्षण प्रारूप

इस प्रारूप के अन्तर्गत संकाय पर्यवेक्षक छात्रों को अभिकरण या क्षेत्र से परिचय करवाता है। इसके साथ ही वह सेवार्थी प्रणाली में छात्रों की भूमिका तथा सेवार्थी प्रणाली की प्रकृति के बारे में भी बताता है। पर्यवेक्षक छात्रों को विभिन्न स्तर पर व्यवसायिक सम्बन्ध स्थापित करने का मार्ग दर्शन प्रदान करता है और अभिकरण पर्यवेक्षक के साथ व्यवसायिक सम्बन्ध बनाकर अभिकरण के उद्देश्यों तथा लक्ष्यों को प्राप्त करता है। पर्यवेक्षक छात्रों को प्रतिवेदन तैयार कराने में मार्गदर्शन कराता है।

3. प्रयोगात्मक क्रियान्वयन प्रारूप

प्रयोगात्मक क्रियान्वयन प्रारूप में संकाय पर्यवेक्षक छात्रों को आवश्यकताओं की पहचान करना, संसाधनों में प्रबन्ध का क्रमिक विकास करना, संकायों को दूर करना, अनुभवों को बांटना, जागरूकता का विकास करने में सहायता करता है।

4. क्षेत्र कार्य मूल्यांकन प्रारूप

मूल्यांकन प्रारूप के अन्तर्गत संकाय पर्यवेक्षक छात्रों को अपने अनुभवों के आधार पर मूल्यांकन की विधियों का प्रतिपादन करना तथा उन्हें मूल्यांकन की प्रणाली तथा प्रक्रिया में सहायता प्रदान करता है।

क्षेत्र कार्य पर्यवेक्षण की पद्धतियां

क्षेत्र कार्य पर्यवेक्षण अपने प्रणाली पर आधारित तथा सम्बन्धित है जो पर्यवेक्षक की कार्य पद्धति में शुरू से अंत तक फैली हुई है। जो कार्यक्रम के आरंभ से लेकर प्रशिक्षण के अंत तक होती है। पर्यवेक्षक छात्रों में निपुणताओं को सफलतापूर्वक विकास करने में प्रयत्नशील रहता है। इस प्रकार के उठाये गये कदम तथा पद्धतियां समाज कार्य में क्षेत्र कार्य प्रशिक्षण के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक होती है। क्षेत्र कार्य पर्यवेक्षण में निम्नलिखित पद्धतियों का मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है –

1. अध्यापक तथा छात्रों का वैयक्तिक विचार विमर्श ।
2. अध्यापक तथा छात्रों का समूह सम्मेलन।
3. छात्रों की क्षेत्र कार्य विचार गोष्ठी।
4. मौके पर पर्यवेक्षकों द्वारा दिये गये निर्देश।

5.3 समाज कार्य पर्यवेक्षण में प्रशासनिक और पर्यावरणीय पहलू

समाज कार्य पर्यवेक्षण में प्रशासनिक पहलू

समाज कार्य पर्यवेक्षण में प्रशासनिक पहलू का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है वास्तव में किसी भी संस्था के प्रशासनिक पहलू के बिना लक्ष्यों की पूर्ति नही की जा सकती। क्योंकि प्रशासन किसी भी संस्था का एक अभिन्न अंग होता है। इस हेतु संस्था में प्रशासनिक पहूलियों की देख रेख हेतु यह आवश्यक है कि पर्यवेक्षक अपनी भूमिकाओं का निर्वहान करते हुये समाज कार्य क्षेत्र अभ्यास का प्रशासन देखें तथा समाज कार्य विद्यार्थियों को मार्ग दर्शन करे। प्रशासनिक पहलू के अग्रलिखित बिन्दू है –

1. संस्थानों के अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ अतःक्रिया

समाज कार्य पर्यवेक्षकों को चाहिए कि वे जिन संस्थानों में समाज कार्य विद्यार्थियों को भेजते हैं उस संस्थान के अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ अतःक्रिया करते रहे जिससे वे समाज कार्य विद्यार्थियों के उपलब्धि तथा सीखने की प्रक्रिया को जान सके। यदि किसी भी संस्थान को समाज कार्य विद्यार्थियों के प्रशिक्षण से कोई समस्या उत्पन्न हो रही है तो उस दशा में पर्यवेक्षक उपयुक्त कदम उठाये तथा समस्या को दूर करें। यदि किसी समाजकारी विद्यार्थी के कारण कोई समस्या उत्पन्न होती है तो पर्यवेक्षकों को चाहिए कि वे समाजकार्य के प्रशिक्षार्थी से बात कर समस्या को दूर करें।

किसी भी संस्था में प्रशिक्षण हेतु भेजे गए विद्यार्थियों की अनुपस्थिति असहयोग तथा कोई विवाद होने की दशा में पर्यवेक्षकों को चाहिए कि उचित कदम उठाकर इन सभी

समस्याओं को दूर करें। यदि कोई शिक्षार्थी विघटनकारी ब्यौहार प्रस्तुत करता है तो उसे उचित परामर्श एवं चेतावनी देकर उसके व्यवहार में एक परिवर्तन लाये। इस प्रकार संस्था के साथ निश्चित अतःक्रिया समाज कार्य अभ्यर्थियों के विकास एवं उनके द्वारा किये जा रहे क्रियाकलापों की प्रति पुष्टि समय–समय पर पर्यवेक्षकों को मिलती रहती है।

2. पर्यवेक्षकों के लिए कार्य

कोई भी समाज कार्य अभ्यर्थी जब दूरस्थ शिक्षा में नामांकन लेता है तो उसका प्रथम उद्देश्य व्यवसायिक कार्यकर्ता बनना होता है। अतः पर्यवेक्षकों को जब भी कोई योजना बनानी हो तो समाज कार्य अभ्यर्थी के पूर्व इतिहास को देखते हुए योजना बनानी चाहिए क्योंकि कुछ अभ्यर्थी कही सेवारत होते है और कुछ अविवाहित होते है। जबकि वे दूर से परामर्श सत्र और समूह सेमिनार में भाग लेने आते है। इन स्थितियों के अनुसार ही कार्य योजना बनानी चाहिए जो कि सफल हो सके।

3. आन्तरिक गोष्ठी

स्माज कार्य पर्यवेक्षकों को चाहिए कि वे प्रशासनिक पहलू के अन्तर्गत समय–समय पर समाज कार्य अभ्यर्थियों के साथ आन्तरिक गोष्ठी पर उनकी समस्याओं पर विचार करे तथा उनके द्वारा चिन्हित समस्याओं को दूर करें।

4. वैयक्तिक संगोष्ठी

समाज कार्य पर्यवेक्षकों को प्रशासनिक पहलू के अन्तर्गत वैयक्तिक संगोष्ठी का भी आचरण करना चाहिए तथा समय–समय पर समाज कार्य अभ्यर्थी की वैयक्तिक समस्याओं से सम्बन्धित पहलुओं पर विचार कर उन्हें दूर करने का विचार करना चाहिए।

5. भविष्य योजना

समाज कार्य पर्यवेक्षकों को प्रशासनिक पहलू के अन्तर्गत समाज कार्य अभ्यर्थी से भविष्य के क्रिया कलाप हेतु योजनाओं के बारे में पूछना चाहिए। तथा उन्हीं से क्रियाकलापों की रूपरेखा तैयार करवानी चाहिए।

समाज कार्य पर्यवेक्षण में पर्यावरणीय पहलू

समाज कार्य पर्यवेक्षण में पर्यावरणीय पहलू का स्थान महत्वपूर्ण है। चूंकि किसी भी संस्थान का विकास उसके पर्यावरण पर निर्भर करता है। यदि संस्थान का पर्यावरण अच्छा एवं सुग्राह्य है तो समाज कार्य अभ्यर्थियों को सीखने में आसानी होती है। समाज कार्य अभ्यास में संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि समाज कार्य के सभी प्रविधियों का व्यवहारिक ज्ञान इन्हीं संस्थाओं द्वारा प्रदान किया जाता है। अतः समाज कार्य पर्यवेक्षक को चाहिए कि वे समाज कार्य अभ्यर्थियों को किसी भी संस्थान में भेजने से पहले उस

संस्था के पर्यावरणीय पहलू को जांच ले यदि संस्था का पर्यावरण अच्छा हो तो ही समाज कार्य अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण हेतु भेजे।

3.4 पर्यवेक्षण में सहायक प्रकार्य

सहायक प्रकार्य एक द्वितीयक भूमि के रूप में होता है। लेकिन यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकार है। मनोवैज्ञानिक आवलम्बन क्षेत्र कार्य के प्रारम्भिक दिनों में समाज कार्य अभ्यर्थियों हेतु बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। चूंकि समाज कार्य अभ्यर्थी समाज कार्य अभ्यास में अभी नये–नये प्रवेश करते है। तो उनके लिये संस्थाओं की क्रियाकला, संस्थाओं के प्रशासन, संस्थाओं के उद्देश्य इत्यादि बहुत ही उलझन में डाल देते है। दूसरी तरफ अपने क्षेत्र कार्य अभ्यास हेतु वे चिन्तित हो जाते है। इसी समय पर्यवेक्षण में समाज कार्य अभ्यर्थियों के लिये सहायक प्रकार की आवश्यकता होती है और यह सहायक प्रकार्य पर्यवेक्षकों द्वारा अभ्यर्थियों को मनोवैज्ञानिक रूप से प्रदान किया जाता है जिसमें अभ्यर्थियों को यह बताया जाता है कि किसी भी क्षेत्र कार्य करने से पूर्व उसकी कार्य योजना अवश्य बनाये तथा पूरी योजना बनाकर कार्य करे जिससे कि उनके द्वारा चिनहित कार्य आसानी से हो जायेगें। सहायक प्रकार में पर्यवेक्षकों से अपेक्षा की जाती है कि वे समाज कार्य अभ्यर्थियों के लिये एक पथ प्रदर्शक तथा एक मूल्यांकन कर्ता के रूप में प्रस्तुत हो। चूंकि समाज कार्य क्षेत्र अभ्यास ने समाज कार्य अभ्यर्थियों हेतु नया होता है। अतः पर्यवेक्षकों से अपेक्षा की जाती है कि वे समाज कार्य अभ्यास के सभी पहलुयों की उचित व्याख्या कर समाज कार्य अभ्यर्थियों के सामने प्रस्तुत करें। समाज कार्य पर्यवेक्षकों को चाहिए कि वे अग्रलिखित बिन्दुओं को ध्यान में रखे –

- समाज कार्य अभ्यर्थियों के वैयक्तिक मुद्दों पर विशेष ध्यान न दें।
- गोष्ठी का आयोजन सार्वजनिक स्थानों अथवा घरों पर न करें – चूंकि समाज कार्य अभ्यास पर्यवेक्षक द्वारा पर्यवेक्षण किया जाता है। तो उससे अपेक्षा की जाती है कि गोष्ठी का आयोजन अध्ययन केन्द्रों पर ही करें।
- बिना तैयारी के कोई गोष्ठी का आयोजन न करें।

3.5 दूरस्थ शिक्षा पद्धति में क्षेत्र कार्य अभ्यास पर्यवेक्षण

दूरस्थ शिक्षा आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर चुकी है। ऐसा इसलिए कि समाज के वे लोग जो किन्ही कारण वश शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रहे तथा विभिन्न व्यवसायिक कार्यो में संलग्न है। वे लोग दूरस्थ शिक्षा पद्धति का लाभ उठाकर विभिन्न विषयों का ज्ञान अर्जित कर रहे है तथा साथ ही साथ अपना कार्य भी कर रहे है। समाज कार्य में दूरस्थ शिक्षा पद्वति एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। क्योंकि समाज कार्य अभ्यर्थियों को समाज में कार्य करने हेतु एक उचित अवसर प्रदान करती है। अतः समाज कार्य दूरस्थ शिक्षा पद्वति में यह आवश्यक है कि क्षेत्र कार्य अभ्यास का उचित रूप से पर्यवेक्षण किया जाए। वास्तव में समाज कार्य के क्षेत्र कार्य अभ्यास के अग्रलिखित उद्देश्य है –

1. छात्रों को विभिन्न क्षेत्र की वास्तविक परिस्थितियों में समाज कार्य तकनीकियों के अध्ययन का अवसर देना तथा व्यवसायिक शिक्षा की आवश्यकता को पूरा करना है।
2. समाज कार्य के भिन्न क्षेत्रों में समाज कार्य के दर्शन तथा सिद्धान्तों के शिक्षण के व्यवहारिक पक्षों के सीखने की प्रक्रिया को गतिमान तथा व्यवस्थित करना है।
3. समाज कार्य अभ्यास में निपुणताओं, तकनीकियों तथा सीखने के लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए सिद्धान्तों एवं दर्शन का व्यवहारिक उपयोग को सुसाध्य बनाना है।
4. छात्रों में व्यवहारिक ज्ञान के गुणों में वृद्धि करना है जिससे वे विभिन्न स्थितियों में मानवीय व्यवहार की कला का विकास कर सकें।
5. छात्रों को व्यवसायिक निपुणताओं को प्राप्त करने तथा उनमें सामाजिक मनोवृत्तियों का विकास करने में सहायता प्रदान करना।
6. छात्रों को सामाजिक परिप्रेक्ष्य में उनके गुणों और अवगुणों के आंकलन करने मे सहायता करना।
7. छात्रों को प्रभावकारी समाज कार्य अभ्यास में सामाजिक दृष्टिकोण तथा सामाजिक परिप्रेक्ष्य के विकास में सहायता करना।
8. छात्रों को समाज कार्य व्यवसाय के प्रति उनकी रूचियों के विकास में सहायता करनां
9. छात्रों को समाज कार्य के क्षेत्र में अपनी जीविका का निर्माण तथा उन्हें भली–भांति व्यवहारिक ज्ञान को प्राप्त करने में सहायता करना।
10. क्षेत्र कार्य पर्यवेक्षण के विशिष्ट उद्देश्य क्षेत्र कार्य कार्यक्रमों को समायोजित करते है तथा विभिन्न पर्यवेक्षीय कार्यो के माध्यम से क्षेत्र कार्य प्रक्रिया को ठीक प्रकार से बना कर रखने का कार्य करते हैं।

वास्तव में समाज कार्य के क्षेत्राभ्यास का पर्यवेक्षण दूरस्थ शिक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि समाज कार्य अभ्यर्थी संस्थागत छात्र के रूप में नही होते है और वे हमेशा पर्यवेक्षकों के पास भी नही आ पाते है। अतः समाज कार्य के क्षेत्र अभ्यास हेतु निम्नलिखित बिन्दु पर्यवेक्षकों हेतु दृष्टिव्य है –

1. अभिमुखीकरण विजिट का आयोजन कर क्षेत्र कार्य अभ्यर्थियों से प्रतिवेदन लिखवाना एवं उचित सलाह देना।
2. स्थानन प्रक्रिया के तहत समाज कार्य के अभ्यर्थियों को स्थानित कर संस्था के अधिकारियों से मिलवाना तथा संस्था की क्रिया विधियों का अभ्यर्थियों द्वारा अभिलेखन करा कर डायरी बनवाना।
3. संस्था सेवार्थी सम्बन्धों को मृदु बनाने हेतु अभ्यर्थियों को उचित सलाह देना तथा समाज कार्य के सैद्धान्तिक पहलुओं को अमल में लाने के लिए प्रेरित करना।
4. अन्य कार्य हेतु उत्तरदायित्वों को अभ्यर्थियों को प्रदान करना– समाज कार्य अभ्यर्थियों को समाज कार्य क्षेत्र अभ्यास तथा सैद्धान्तिक अभ्यास हेतु कार्यो का वितरण करना चाहिए तथा उनके द्वारा किये गये कार्यो का मूल्यांकन कर उचित निर्देश देकर उन्हें विश्वविद्यालय को प्रेषित करना चाहिए।
5. प्रशासनिक कार्य सौपना – दूरस्थ शिक्षा के अन्तर्गत पर्यवेक्षण में समाज कार्य अभ्यर्थियों के लिये प्रशासनिक कार्य सम्बन्धी अध्ययन की सामग्री एकत्र करने हेतु पर्यवेक्षक को चाहिए कि अभ्यर्थियों से तथ्यएकत्रित करवायें व उन्हें अभिलिखित करवायें।

दूरस्थ शिक्षा में समाज कार्य अभ्यास के लिये पर्यवेक्षकों से अपेक्षा की जाती है कि वे अग्रलिखित कार्यो का सम्पादन उत्तरदायित्व पूर्वक वहन करेगें –

अधीक्षकीय परामर्श

अधीक्षकीय परामर्श एक प्रकार की संरचना है जिसमें दोनों पक्ष विद्यमान रहते है – अधीक्षक तथा कार्यकर्ता। अधीक्षण के माध्यम से अधीक्षकीय परामर्श कार्यकर्ता को कान्फरेन्स का अर्थ समझाता है। जैसे–जैसे अधीक्षकीय प्रक्रिया आगे बढ़ती है, अधीक्षक उसका अर्थ कार्यकर्ता को बताता जाता है। कान्फ्रेन्स के माध्यम से कार्यकर्ता सेवार्थी के साथ कार्य करने की प्रविधियों को सीखता है तथा वैयक्तिक सेवा कार्य के सिद्धान्तों एवं ढंगों को अपने व्यवहार में लाता है। वह कान्फ्रेन्स में अधीक्षक के सम्मुख अपनी कठिनाइयों, परेशानियों एवं समस्याओं को प्रस्तुत करता है। अधीक्षक उन पर गहनता से विचार करता है और वह कार्यकर्ता की सहायता यथा स्थान करता है। वह कार्यकर्ता के ज्ञान व निपुणता के आधार पर पहले वार्तालाप करता है तथा मौखिक क्रियाओं द्वारा ज्ञान व निपुणता का विकास करने का प्रयत्न करता है।

अधीक्षण द्वारा कार्यकर्ता विद्यार्थियों को सिखाता है कि उसे किस प्रकार का व्यवहार सेवार्थी के साथ करना चाहिए तथा किन–किन पहलुओं पर अपना ध्यान आकृष्ट करना चाहिए।

अधीक्षक का प्रारम्भिक चरण

प्रारम्भिक चरण का प्रारम्भ पहली कान्फरेन्स से शुरू होता है। सुपरबाइजर संस्था की जानकारी देता है, उसके कार्यो, उद्देश्यों, सुविधाओं आदि के विषय में बताता है। सुपरबाइजर विद्यार्थी द्वारा पूछे गये प्रश्नों का उत्तर देता है तथा अपने उत्तर से पूर्ण आश्वस्त करता है। विद्यार्थी को कार्यकर्ता के रूप में कार्य करना बहुत कठिन प्रतीत होता है और चिन्ता घेर लेती है। कुछ प्रश्नों को वह इसी चिन्ता के कारण पूछता भी नहीं है। सुपरबाइजर इन प्रश्नों का भी उत्तर देता है तथा हर स्थिति से अवगत कराने का प्रयास करता है जैसे किस प्रकार आप जाकर संस्था में अधीक्षक से मिलेंगे अपनी भूमिका बतायेंगे, किस प्रकार संस्था का इतिहास जानेंगे इत्यादि।

अधीक्षण नये कार्यकर्ता के लिए

सुपरवाइजर जो इस पद पर नियुक्त होता है उसको सुपरविजन का कार्य प्रारम्भ में कठिन सा लगता है। उसके मन में चिन्ता बनी रहती है कि यह किस प्रकार विद्यार्थी को सुपरवाइजर करेगा। उसकी अपनी क्षमता तथा योग्यता पर भी शंका होती है तथा अनुभव की कमी के कारण व्यावहारिक ज्ञान प्रदान करना कठिन अनुभव होता है। अतः नये कार्यकर्ता के लिए आवश्यक है उसे वैयक्तिक सेवा कार्य का पूर्ण सैद्धांतिक ज्ञान हो तथा व्यावहारिक उपयोगिता का अनुभव हो। वैयक्तिक कार्य उसे समाज कार्य के विषय में

महत्वपूर्ण तथ्यों की जानकारी अवश्य हो। दूसरी विशेषता उसमें पढ़ाने की रूचि होनी चाहिए। बहुत से कार्यकर्ता व्यावहारिक कार्य अच्छी प्रकार से करने में समर्थ होते है परन्तु पढ़ाने को उचित ढंग से नहीं कर पाते हैं। वे अपने ज्ञान को दूसरे तक पहुंचाने में उचित साधन का उपयोग नहीं कर पाते हैं। अपनी बात को समझा नहीं पाते है। इससे सीखने वाले को निराशा होती है। उसकी योग्यता होनी चाहिए कि वह अपनी बात को समझा सके, विद्यार्थी की रूचि के अनुसार विषय का चुनाव कर सके, नये विचारों को समझने योग्य बना सके, विद्यार्थियों को अपनी शैली के अनुसार योग्यता विकसित करने में सहायता कर सके एवं उन्हें उत्साहित कर सके।

कार्यकर्ता को वैयक्तिक सेवा कार्य का ज्ञान प्रदान करना

वैयक्तिक सेवा कार्य का ज्ञान अधीक्षण के लिए प्रति आवश्यक है। सुपरवाइजर इस ज्ञान का विकास दैनिक अनुभव से करता है। वह इस ज्ञान का उपयोग अपने कार्यो में करता है। एक विद्यार्थी के लिए अथवा एक नये कार्यकर्ता के लिए वैयक्तिक सेवा कार्य के सभी पक्षों या कुछ अंशों का ज्ञान प्रदान करना आवश्यक होता है। अनुभव कार्यकर्ता केवल विशिष्ट समस्याओं के विषय में ज्ञान चाहता है। संस्था के प्रशासन के लिए भी वैयक्तिक सेवा कार्य की आवश्यकता होती है। परन्तु यह ज्ञान स्वयं का होना चाहिए। सुपरवाइजर वैयक्तिक सेवा कार्य का उपयोग कार्यकर्ता द्वारा करता है। अतः उसका उत्तरदायित्व है कि वह कार्यकर्ता में वैयक्तिक सेवा कार्य ज्ञान का विकास करें जिससे वह अपना उत्तरदायित्व निभा सके। परन्तु सुपरवाइजर को यह ध्यान रखना चाहिए कि वह स्वयं सेवार्थी की सहायता कार्यकर्ता के माध्यम से न करने लगे। यह कठिन कार्य होता है क्योंकि वैयक्तिक कार्यकर्ता के रूप में वह सेवार्थी की सहायता करता है परन्तु सुपरवाइजर के रूप में वह कार्यकर्ता की सहायता करता है परन्तु सहायता का विषय सेवार्थी ही होता है। वह अभिलेखों के माध्यम से स्वयं अनुमान लगाता है कि सेवार्थी की किस प्रकार से उत्तम सहायता मिल सकती है। लेकिन सुपरवाइजर एक भिन्न व्यक्ति होता है। उसकी अपनी विशेषताएं एवं गुण होते है। वह कार्यकर्ता को पूर्ण ज्ञान प्रदान करता है। अन्तिम उत्तरदायित्व कर्ता का ही होता है कि वह इस ज्ञान को जैसे चाहे उपयोग करे।

सम्बन्ध का उपयोग

सम्बन्ध के माध्यम से ही सुपरवाइजर अपनी निपुणताओं को विकसित करता है और सम्बन्ध को ही अपने सुपरविजन कार्य में उपयोग करता है। सम्बन्ध के माध्यम से ही कार्यकर्ता में निपुणताओं का विकास करता है। उसके कार्यकर्ता से सम्बन्ध सेवार्थी के सम्बन्ध से भिन्न होते है। लेकिन सम्बन्ध स्थापित करने के लिए लगभग उन्हीं निपुणताओं का उपयोग होता है। सेवार्थी से सम्बन्ध व्यावसायिक तथा उपचारात्मक होता है। कार्यकर्ता से भी सम्बन्ध व्यावसायिक होता है। कार्यकर्ता तथा सुपरवाइजर सम्बन्ध के द्वारा कुछ उत्तरदायित्वों को पूरा करते है। परन्तु वे अपनी अपनी भूमिकाओं के प्रति सजग रहते है। सुपरवाइजर के लिए सम्बन्ध का अर्थ कार्यकर्ता को प्रोत्साहन प्रदान करना जिससे अपने

उत्तरदायित्व पूरा कर सके। प्रारम्भ से ही कार्यकर्ता को सेवार्थी की अपेक्षा अधिक उत्तरदायी माना जाता है। सुपरवाइजर सम्बन्ध का उपयोग कार्यकर्ता को अपनी भूमिका पूरी करने में करता है। शक्ति भी सम्बन्ध का एक तत्व है, एक तत्व सहायता करता है तथा एक तत्व पारस्परिक आदर एवं सेवार्थी से सम्बन्ध है। सम्बन्ध का कौन सा तत्व उपयोग में लाया जायेगा कार्यकर्ता की आवश्यकता तथा व्यक्तित्व पर निर्भर होता है। संस्था की संरचना तथा उद्देश्य भी सम्बन्ध के रूप को निश्चित करते हैं।

समस्या समाधान प्रक्रिया का उपयोग

सुपरवाइजर अपनी कार्य विधि में पर्लमैन द्वारा निर्मित प्रारूप समस्या समाधान का उपयोग करता है। वह थोड़ा बहुत परिवर्तन करके चारों 'पी' का उपयोग करता है। व्यक्ति कार्यकर्ता होता है। अन्य कार्यो के अतिरिक्त सुपरवाइजर का कार्य अधीक्षण करना मुख्य कार्य है। उसे सेवार्थी की ही भांति कार्यकर्ता के विषय में भी ज्ञान प्राप्त करना होता है। वह कार्यकर्ता के तरीकों, विधियों तथा शक्तियों से अवगत होता है। वह व्यवहार के कारणों का भी पता लगाता है। सुपरवाइजर समस्याओं को समाधान करना कार्यकर्ता को सिखाता है। उने अनेक अन्य समस्याओं का सामना करना होता है। वह इन सभी समस्याओं में वही प्रक्रिया अपनाता है जैसे समस्या का निरूपण, मूल्यांकन तथा अपनी समझ से समाधान का प्रयास।

निदान का अधीक्षण में उपयोग

जब निदान का उपयोग अधीक्षण में किया जाता है तो वैयक्तिक कर्ता सुपरवाइजर की भूमिका में होता है। निदान में सम्प्रेरणा, क्षमता तथा अवसर में तीन महत्वपूर्ण कारक होते है। जब कार्यकर्ता को सुपरवाइज किया जाता है तो उसका उद्देश्य उसे कार्य पूरा करने के लिए प्रेरित करना तथा व्यावसायिक विकास करना है। वह उसकी क्षमता का अन्दाजा लगाता है तथा सेवार्थी की भी स्थिति से अवगत होता है। अन्त में वह उन अवसरों की खोज करता है जिनसे कार्यकर्ता के व्यावसायिक ज्ञान में वृद्धि की जा सकती हैं।

प्रथम साक्षात्कार की तैयारी

पहली कान्फ्रेन्स में सुपरवाइजर तथा विद्यार्थी दोनों एक दूसरे की क्षमताओं व योग्यताओं को समझने का प्रयास करते है तथा सम्बन्ध की आधार शिला रखते है। सुपरवाइजर विद्यार्थी के व्यक्तित्व से परिचित होता है। उसकी रूचियों, कार्य के ढंगों, क्षमताओं, समझने की योग्यता, कार्य में रूचि आदि का ज्ञान प्राप्त करता है। विद्यार्थी भी सुपरवाइजर की विशेषताओं से परिचित होता है।

संस्था में स्यानन

विद्यार्थी संस्था जाने से पहले विशेष ज्ञान चाहता है। वह संस्था में जाकर किस प्रकार वैयक्तिक कार्य को व्यवहार में लायेगा जानने का प्रयत्न करता है। वह संस्था की भौगोलिक स्थिति, सामाजिक तथा व्यावसायिक स्थिति का ज्ञान चाहता है। उसको यह ज्ञान सुपरवाइजर द्वारा दिया जाता है। संस्था की संरचना, कार्य, उपलबध सेवाऐ, स्रोत आदि बताता है। साक्षात्कार की विधि का वर्णन करता है। सम्बन्धों को किस प्रकार स्थापित करते हैं तथा उसमें प्रगाढ़ता लाते हैं सुपरवाइजर बताता है। अभिलेखन की भी जानकारी देता है। विद्यार्थी संस्था की संस्कृति का ज्ञान प्राप्त करता है। अधीक्षकीय कान्फ्रेन्स के द्वारा यह ज्ञान विद्यार्थी को प्रदान किया जाता है।

सुपरवाइजर तथा विद्यार्थी की भूमिकाओं की स्पष्टता

प्रारम्भिक चरण में सुपरवाइजर के अनेक कार्य होते हैं। यद्यपि समय तथा स्थिति के अनुसार इनमें भिन्नता भी होती है। उसका प्रमुख कार्य विद्यार्थी में आवश्यक योग्यता एवं ज्ञान विकसित करना जिससे वह संस्था में कार्य कर सके। वह अपनी भूमिका भी स्पष्ट करता है।

अभिलेखन का प्रारम्भ

प्रक्रियात्मक अभिलेखन सामाजिक वैयक्तिक सेवा कार्य में महत्वपूर्ण होते है। विद्यार्थी से ऐसे ही अभिलेखों को तैयार करने के लिए कहा जाता है। इसमें केस का इतिहास विस्तृत रूप में लिखा जाता है तथा साक्षात्कार के प्रवाह का रूप भी देखने को मिलता है। यह सुपरवाइजर के लिए महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इससे उसे विद्यार्थी द्वारा केस का साक्षात्कार की तस्वीर सामने आती है। साथ ही साथ विद्यार्थी को भी कार्य–कारण सम्बन्ध स्थापित करने में सहायता मिलती है। सुपरवाइजर इन्हीं अभिलेखों की सहायता से विद्यार्थी की सहायता करता है। वह अभिलेख का विषय बताता है तथा निर्देशन देता है। परन्तु विद्यार्थी को पहले अभिलेख में पूरी स्वतन्त्रता होती है ि कवह जिस प्रकार चाहे लिखे परन्तु केस की तस्वीर स्पष्ट होनी चाहिए। यदि शैली उचित नही होती है तो अन्य केसों में निर्देशन दे दिया जाता है, सुधार के तरीके बता दिये जाते है। सुपरवाइजर पहले केस में विद्यार्थी को स्वयं कमेन्ट लिखने के लिए कहता है तथा भविष्य के नियोजन की बातचीत करता है। अभिलेखों की संरचना में लचीलापन होता है परन्तु विद्यार्थी को इससे कार्य का तात्पर्य अवश्य स्पष्ट होता है। सुपरवाइजर अभिलेखन का समय भी निर्धारित करता है।

अधीक्षण का विकास

औपचारिक तथा संरचित अधीक्षण का प्रारम्भ प्रशासकीय कार्यो के रूप में हुआ। अधीक्षक का कार्य कर्मचारियों के कार्यो को देखना तथा उन पर दृष्टि रखना सम्मिलित था जिससे संस्था का कार्य सुचारू रूप से हो सके। अधीक्षक को प्रत्येक कर्मचारी के कार्य सम्पादन, उनके कार्य भार, कानूनों तथा नियमों के पालन पर दृष्टि रखने का कार्य सौंपा गया। समस्याएं उत्पन्न करने वाले कर्मचारियों में सुधार लाने का कार्य भी दिया गया। कुछ

समय पश्चात् वैयक्तिक रूप से व्यक्ति के विषय में अध्ययन, निदान तथा उपचार का भी कार्य भार उसे सौंपा गया। यहीं से उसने शिक्षण एवं व्यावसायिक पद्धति के विकास के लिए विकास कार्य करना प्रारम्भ किया। सन् 1920 से अधीक्षक के उत्तरदायित्वों को प्रशासनिक के साथ ही साथ शैक्षिक भी समझा जाने लगा। इन्हीं दिनों समाज कार्य का विकास हुआ और समाज कार्य में फील्ड वर्क को एक आवश्कय अंग समझा गया।

3.6 सार संक्षेप

प्रस्तुत इकाई में समाज कार्य पर्यवेक्षण के बारे में प्रकाश डाला गया है साथ ही साथ पर्यवेक्षण के प्रारूपों और पद्धतियों के बारे में विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत किया गया है। समाज कार्य पर्यवेक्षण में प्रशासनिक और पर्यावरणीय पहलू महत्वपूर्ण होते हैं। अतः इस इकाई में समाज कार्य पर्यवेक्षण के प्रशासनिक और पर्यावरणीय पहलू को अलग–अलग बिन्दुओं के माध्यम से प्रकाश डाला गया है। इसी इकाई में पर्यवेक्षण में सहायक प्रकार्यो के बारे में चर्चा की गयी तथा उन सभी सहायक कार्यो में प्रकाश डाला गया है। इकाई के अन्त में दूरस्थ शिक्षा पद्धति में क्षेत्र का अभ्यास पर्यवेक्षण के बारे में लिखा गया है तथा बताया गया है कि दूरस्थ शिक्षा पद्धति में समाज कार्य पर्यवेक्षक अभ्यर्थियों से क्षेत्र कार्य अभ्यास कैसे करवाये।

3.7 परिभाषिक शब्दाबली

Supervision	पर्यवेक्षण	Support	आवलम्बन
Model	प्रारूप	Development of Supervision	अधीक्षण का विकास
Methods	पद्धतियां	Supervisory Support	पर्यवेक्षणीय आलम्बन
Administrative Supervision	प्रशासनिक पर्यवेक्षण	Counselling	परामर्श
Environmental	पर्यावरणीय	Team Work	मिल जुलकर कार्य करना
Supportive Function	स्हायक प्रकार्य	Recording	अभिलेखन
Placement	स्थानन	Diagnosis	थ्नदान
Psychological	मनोवैज्ञानिक	Initial	प्रारम्भिक

3.8 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. कुमार, डॉ0 रूपेश, क्षेत्रकार्य, समाज कार्य विभाग, में विश्वविद्यालय, अनुदान आयोग द्वारा स्वीकृत मानविकी एवं समाज विज्ञानों के अवस्थापना से सम्बन्धित तथ्य, वर्ष 2004, पेज 04–09.
2. मिश्र, डॉ0 प्रयाग दीन, सामाजिक वैयक्तिक सेवा कार्य, उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान, लखनऊ, वर्ष 1997, पेज 412–418.

अभ्यास हेतु प्रश्न

1. समाज कार्य पर्यवेक्षण से आप क्या समझते हैं ?
2. समाज कार्य पर्यवेक्षण के प्रारूपों की चर्चा कीजिए ?
3. समाज कार्य पर्यवेक्षण की पद्धतियां कौन–कौन सी है ?
4. समाज कार्य पर्यवेक्षण में प्रशासनिक पहलू पर एक लेख लिखिए ?
5. समाज कार्य पर्यवेक्षण में पर्यावरणीय पहलू से आप क्या समझते हैं ?

इकाई – 4

समाज कार्य क्षेत्र कार्य अभ्यास में व्यक्ति, परिवार, समुदाय व संगठन

इकाई का रूपरेखा

4.0 इकाई का उद्देश्य

4.1 परिचय

4.2 समाज कार्य क्षेत्र अभ्यास में व्यक्ति

4.2.1 समाज कार्य क्षेत्र अभ्यास में परिवार

4.2.2 समाज कार्य अभ्यास में समुदाय

4.2.3 समाज कार्य अभ्यास में संगठन

4.3 चिकित्सा

4.3.1 मनोचिकित्सा

4.3.2 बाल देखभाल

4.4 शिक्षा एवं अनुसंधान

4.5 सुधारात्मक सेवायें

4.6 निगमित क्षेत्र

4.6.1 दाता संस्थायें

4.6.2 गैर सरकारी संगठन

4.7 सार संक्षेप

4.8 परिभाषिक शब्दाबली

4.9 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

अभ्यास हेतु प्रश्न

4.0 इकाई का उद्देश्य

इस इकाई को पढ़ने के बाद आप अग्रलिखित के बारे में ज्ञान प्राप्त करेगें –

1. समाज कार्य क्षेत्र अभ्यास में व्यक्ति क्या होता है तथा उससे सम्बन्धित वैयक्तिक सेवा कार्य किस तरह एकत्रित किया जाता है।
2. समाज कार्य क्षेत्र अभ्यास में परिवार क्या होता है तथा समाज कार्य के किस प्रविधि द्वारा परिवार की समस्यायें दूर की जाती है।
3. समाज कार्य अभ्यास में समुदाय क्या होता है तथा समुदाय का अध्ययन कैसे किया जाता है।
4. समाज कार्य अभ्यास में संगठन क्या होता है तथा संगठन से संबन्धित तथ्य कैसे एकत्रित किये जाते हैं।
5. चिकित्सा क्या होती है?
6. मनोचिकित्सा में जानकारी प्राप्त कर सकेगें।
7. बाल देखभाल से सम्बन्धित तथ्यों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेगें।
8. शिक्षा एवं अनुसंधान से सम्बन्धित तथ्यों के बारे में लिख सकेगें।
9. सुधारात्मक सेवाओं के बारे में जान सकेगें।
10. निगमित क्षेत्र के बारे में लिख सकेगें।
11. दाता संस्थाओं के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकेगें।
12. गैर सरकारी संगठन के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकेगें।

4.1 परिचय

प्रस्तुत इकाई में समाज कार्य क्षेत्र अभ्यास में व्यक्ति, परिवार, समुदाय व संगठन के बारे में जानकारी दी गई है। जो अलग–अलग बिन्दुओं के माध्यम से है। जिनका वर्णन हम विभिन्न शीर्षकों के माध्यम से करेगें।

4.2 समाज कार्य क्षेत्र अभ्यास में व्यक्ति

जो व्यक्ति मनोसामाजिक तथा सांवेगिक सहायता के लिए संस्था में आता है वह व्यक्ति चाहे पुरूष हो, स्त्री हो अथवा बालक हो, सेवार्थी कहा जाता है। यद्यपि सामाजिक संस्था में जाने वाला सेवार्थी अन्य व्यक्तियों के समान ही होता है। उसकी भाषा तथा संस्कृति प्रायः अन्य आने वाले व्यक्तियों (सेवार्थियों) के समान होती है परन्तु कुछ भिन्नताएं भी होती है। भिन्नताएं उस समय परिलक्षित होती है जब हम सेवार्थी को एक व्यक्ति के रूप में देखने का प्रयत्न करते हैं। उसका व्यक्तित्व भिन्न होता है, उसके सांवेगिक तथा मानसिक गुण भिन्न होते है। परन्तु प्रत्येक स्थिति में वह पूर्ण अन्तःक्रिया करता है। समस्या उसकी चाहे सामाजिक हो, मनोवैज्ञानिक हो अथवा सांवेगिक हो वह प्रत्येक स्थिति में शारीरिक मनोवैज्ञानिक तथा सामाजिक विशेषताओं के साथ प्रतिक्रिया करता है। शारीरिक, भौतिक, सामाजिक, अनुभव प्रत्यक्षीकरण, आकांक्षाऐं, इच्छाऐं आदि संयुक्त होकर व्यक्ति को प्रभावित करती है। यह शारीरिक मनोवैज्ञानिक–सामाजिक विगत वर्तमान तथा भविष्य का चक्र व्यक्ति के साथ सभी स्थितियों में रहता है और इसके प्रभाव से पृथक नहीं हो सकता है।

वैयक्तिक कार्यकर्ता सेवार्थी के सम्बन्ध में जो जानकारी चाहता है उसका सम्बन्ध उसकी समस्या से अधिक होता है। वह उन तथ्यों की खोज करता है जिनसे समस्या समझने, उसके निदान करने तथा समाधान करने में सहायता मिलती है। समस्या की प्रकृति ही निश्चित करती है कि किस प्रकार से ज्ञान की, कार्यकर्ता को आवश्यकता है तथा किस प्रकार सेवार्थी सामाजिक अनुकूलन पुनः प्राप्त करने में सफल हो सकता है।

वैयक्तिक अध्ययन

1. **समस्या का गहन अध्ययन** : अध्ययन का केन्द्र एक समस्या होती है। अतः वैयक्तिक कार्यकर्ता उस समस्या से सम्बन्धित सभी पहलुओं का अध्ययन करता है। उसके स्रोत का पता लगाता है, प्रभावकारी कारकों का अवलोकन करता है, समस्या के स्वरूप का निर्धारण करता है तथा सूक्ष्म से सूक्ष्म तथ्य को प्रकाश में लाने का प्रयास करता है।
2. **व्यक्तिपरक पहलुओं का अध्ययन** : सेवार्थी की भावनाओं, धारणाओं तथा व्यवहारों का अध्ययन करते हैं। व्यक्ति की समस्त विशेषताओं का अध्ययन वैयक्तिक कार्य में आवश्यक समझा जाता है।
3. **वैयक्तिक मान्यता** : वैयक्तिक अध्ययन में कार्यकर्ता सामान्यीकरण सिद्धान्त का अनुसरण नहीं करता है। वह प्रत्येक व्यक्ति की समस्या व परिस्थिति को अनोखा देखता है तथा उसी सन्दर्भ में अध्ययन भी करता है।
4. **सर्वांगीण अध्ययन** : सेवार्थी के किसी एक पहलू का अध्ययन कर पूर्ण स्थिति का अध्ययन किया जाता है। वैयक्तिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, आर्थिक, सांवेगिक, विकासात्मक आदि सभी विशेषताओं का अध्ययन सम्मिलित होता है।

वैयक्तिक अध्ययन में सूचना के स्रोत : वैयक्तिक अध्ययन के अन्तर्गत सूचना प्राप्ति के निम्नलिखित स्रोत है :

1. **सेवार्थी स्वयं** : सेवार्थी का साक्षात्कार किया जाता है जिससे समस्या तथा अन्य महत्वपूर्ण कारकों का ज्ञान होता है। सेवाथी से जीवन सम्बन्धी विभिन्न घटनाओं का ज्ञान प्राप्त करते हैं।
2. **व्यक्तिगत प्रलेख** : इसके अन्तर्गत आत्म कथाएं एवं डायरीज आती है। इनसे व्यक्ति की जीवन सम्बन्धी विविध घटनाओं, अनुभव, विश्वास, धारणा, दृष्टिकोण, परिस्थिति आदि के विषय में महत्वपूर्ण सूचना मिलती है। दैनन्दिनी द्वारा अनेक अस्पष्ट तथ्य स्पष्ट हो जाते है। आत्म कथाओं से भी व्यक्ति के व्यक्तित्व तााि सामाजिक सम्पर्क से सम्बन्धित सूचना प्राप्त होती है। इसके अन्दर व्यक्ति का आत्म चित्रण रहता है तथा सच्चे आंकड़े प्राप्त होते हैं। मानसिक क्रिया कलापों का भी विवरण इनसे मिलता है साथ ही साथ सामाजिक सम्बन्धों के स्वरूप का ज्ञान होता है, अज्ञात रहस्य प्रकट होते हैं तथा घटना विशेष को समझने में सहायता मिलती है।
3. **जीवन इतिहास** : व्यक्ति का पूर्ण अध्ययन जीवन इतिहास द्वारा सम्भव है क्योंकि इसमें व्यक्ति के सम्पूर्ण जीवन का तत्व सम्मिलित होता है। जीवन इतिहास से व्यक्ति की पारिवारिक पृष्ठभूमि, जीवन को प्रभावित करने वाली घटनाएं, दिशा निर्धारित करने वाले कारक, व्यक्ति की क्रियाएं तथा प्रतिक्रियाएं परिवर्तित परिस्थितियां तथा उनका प्रभाव, वर्तमान स्थिति तथा भावी जीवन लक्ष्य एवं धारणाएं, भावनाएं ज्ञात होती है।
4. **अतिरिक्त स्रोत** : पुस्तकें, लेख, पत्रिकाएं, अनुसंधान आदि वैयक्तिक अध्ययन के अन्य स्रोत है जिनके द्वारा उपयोगी सूचना प्राप्त की जाती है तथा अध्ययन में सुविधा मिलती है।

वैयक्तिक अध्ययन की विषयवस्तु – वैयक्तिक अध्ययन निम्न तथ्यों का किया जाता हैः

1. **परिचयात्मक आंकड़े** : इसके अन्तर्गत सेवार्थी का नाम, आयु, लिंग, जाति, धर्म, व्यवसाय, आय, शिक्षा का स्तर, वैवाहिक जीवन आधार की स्थिति, रहने की दशाएं आदि सम्मिलित करते हैं।
2. **समस्या का स्पष्ट चित्रण** : समस्या क्या है, समस्या का रूप क्या है, समस्या से सम्बन्धित क्या क्या शिकायतं एवं परेशानियां है, सेवार्थी संस्था में क्यों आया है तथा क्या चाहता है, समस्या किस प्रकार प्रारम्भ हुई, समस्या उत्पन्न करने वाली कौन–कौन सी दशाएं थीं, कौन–कौन से कारण वर्तमान समय में समस्या से सम्बन्धित है, व्यक्ति की सामाजिक, आर्थिक तथा सांवेगिक स्थिति पर समस्या का क्या प्रभाव पड़ा है, समस्या के कारण सेवार्थी की दैनिकचर्या में क्या–क्या परिवर्तन हुए है, शारीरिक दोष एवं व्याधियां किस प्रकार की है तथा उनका समस्या से कितना सम्बन्ध हैं। सेवार्थी का स्वास्थ्य एवं स्नायुविक प्रक्रिया कितनी प्रभावित हुई है उसकी नींद पर क्या असर पड़ा है आदि का ज्ञान प्राप्त करते हैं।
3. **उपचार** : सेवार्थी समस्या को लेकर कहाँ कहाँ तथा किस किस के पास गया है, किस प्रकार की सहायता प्राप्त की है, समस्या पर सहायता का क्या पड़ा है, सेवार्थी ने सहायता को किस रूप में स्वीकार किया है, उसका इसके प्रति क्या मूल्यांकन रहा है, सेवार्थी अपने पूर्व अनुभवों को वर्तमान सहायता के सन्दर्भ में किस प्रकार

प्रत्युत्तर कर रहा है, उसने सहायता प्रदान करने वाले व्यक्तियों से सम्बन्ध किस प्रकार के स्थापित किये, अभी तक कितना समय सहायता के लिए सेवार्थी ने व्यतीत किया है वर्तमान समय में सेवार्थी का दृष्टिकोण क्या है, आदि का अध्ययन करते हैं।

4. **भावनायें तथा विचार** : सेवार्थी का समस्या के प्रति दृष्टिकोण, समस्या का सेवार्थी द्वारा विश्लेषण, सेवार्थी द्वारा बताये गये समस्या के कारण, समस्या का सेवार्थी से सम्बन्ध, सेवार्थी की क्षमताओं एवं कमियों का अध्ययन करते हैं।
5. **विकासात्मक स्थिति का अध्ययन** : सेवार्थी की माँ की गर्भावस्था में शारीरिक एवं सांवेगिक दशाएं, महत्त्वपूर्ण घटनाएं, जन्म क्रम में अव्यवस्था अथवा समस्या, माँ में शारीरिक दोष अथवा व्याधि आदि का अध्ययन करते है। सेवार्थी के बचपन की कोई महत्वपूर्ण घटना, बीमारी रोग, भयानक सपने, निद्रागमन, व्यावहारिक दोष, चारित्रिक दोष, मानसिक अक्षमताएं आदि का अध्ययन करते है। स्कूल में सेवार्थी के व्यवहार का अध्ययन करते हैं। पढ़ने में रूचि, सक्रियता, खेल में भागीकरण, अध्यापकों से सम्बन्ध आदर्श का रूप विद्यार्थियों से सम्बन्ध, महत्वपूर्ण घटनायें आदि का वैयक्तिक अध्ययन का अंग होती है।
6. **पारिवारिक इतिहास** : परिवार का प्रकार, परिवार की सदस्य संख्या, सेवार्थी का भाई बहनों में स्थान, माता–पिता, भाई–बहन, पत्नी आदि की आयु, शिक्षा, व्यवसाय, शारीरिक तथा मानसिक स्तर आदि का अध्ययन करते हैं। सेवार्थी का माता–पिता से सम्बन्ध, माता–पिता का व्यक्तित्व, माता–पिता का आपस में सम्बन्ध, परिवार मं अनुशासन के तरीके, परिवार का प्रभावकारी व्यक्ति तथा उसका व्यक्तित्व का अध्ययन करते है। घर की आर्थिक स्थिति, सांवेगिक दशाएं, मद्यपान आदि को जानने का प्रयत्न करते है। परिवार की सामाजिक दशाएं भी अध्ययन का विषय है।
7. **वैवाहिक इतिहास** : विवाह की अवस्था, विवाह का प्रकार, पति पत्नी में लैंगिक सम्बन्ध तथा उसके प्रति सेवार्थी का दृष्टिकोण, लैंगिक बाधाएं तथा समस्यायें आदि का अध्ययन करते हैं। बच्चों के बारे में भी ज्ञान प्राप्त करते हैं।
8. **व्यावसायिक इतिहास** : वैयक्तिक अध्ययन में हम सेवार्थी के व्यावसायिक इतिहास को जानने का प्रयत्न करते हैं उसके पद तथा कार्य की प्रकृति, कार्य करने की अवधि, व्यावसायिक कमियां, कार्य छोड़ने का कारण, सहयोगी कार्यकर्ताओं से सम्बन्ध, मालिक से सम्बन्ध, वर्तमान सेवा स्थान की स्थिति, सम्बन्ध की प्रकृति तथा दृष्टिकोण कार्य की दशायें आदि का अध्ययन करते हैं।
9. **व्यक्तित्व की विशेषतायें** : सेवार्थी के व्यक्तित्व सम्बन्धी विशेषताओं का विस्तृत अध्ययन करते हैं।
10. सेवार्थी के चेहरे का हाव भाव, शारीरिक लय, बातचीत का ढंग, बातचीत में तारतम्यता, चिन्ता का स्तर, भग्नाशा की आशा, विचारों में तारतम्यता, अन्तदृष्टि तथा निर्णय शक्ति का अध्ययन करते है।
11. **समस्या का निदान** : उपलब्ध तथ्यों का मूल्यांकन करते हैं। मूल्यांकन के आधार पर समस्या का रूप निश्चित करते हैं, समस्या के मुख्य कारक को निश्चित करते हैं तथा उपचार के उपायों की खोज करते हैं।
12. **उपचार** : निदान के उपरान्त समस्या के उपचार का विवरण प्रस्तुत करते हैं।

सामाजिक वैयक्तिक कार्य में वैयक्तिक अध्ययन का महत्व

सामाजिक वैयक्तिक सेवा कार्य समाज कार्य की एक महत्वपूर्ण प्रणाली है जिसके द्वारा एक व्यक्ति की सहायता की जाती है जिससे वह अपनी समस्याओं को सुलझा सके तथा भविष्य में इस समस्या से ग्रसित न हो। उसे आत्म निर्भर बनाने का प्रयत्न किया जाता है अतः सहायता प्राप्त करने वाले व्यक्ति का पूर्ण व्यक्तित्व जानना आवश्यक होता है तभी उसमें निहित शक्ति एवं क्षमता को उभार कर सक्रिय रूप में उपयोग में लाया जा सकता है। वैयक्तिक अध्ययन से व्यक्ति की सम्पूर्ण स्थिति का चित्रण होता है, उसकी सम्पूर्ण दशाओं का ज्ञान होता है, परिस्थितियों के प्रभावों का पता चलता है। इन सूचनाओं के आधार पर ही वैयक्तिक कार्यकर्ता उपचार एवं सहायता कार्य करने में सफल होता है।

4.2.1 समाज कार्य क्षेत्र अभ्यास में परिवार

परिवार शब्द अंग्रेजी भाषा के फेमिली शब्द का हिन्दी रूपान्तर है। फेमिली शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के फेमलस नामक शब्द से हुई है। फेमलस शब्द का तात्पर्य नौकर से है। परन्तु परिवार के अन्तर्गत केवल नौकर को ही नहीं सम्मिलित किया जाता है। इसका अर्थ समय के अनुसार बदलता रहा है। वास्तविक लैटिन शब्द फमिलियस के अन्तर्गत माता–पिता, बच्चे तथा नौकर तथा गुलाम तक सम्मिलित किये जाते थे। पश्चिमी समाजशास्त्री परिवार के अंतर्गत लघु समूह सदस्यता को स्वीकार करते हैं। इसके अन्तर्गत वे माता–पिता तथा अविवाहित बच्चे सम्मिलित करते हैं। भारतीय दृष्टिकोण से परिवार के अन्तर्गत माता–पिता, भाई–बहन, चाचा–चाची, पुत्र–पुत्री, भतीजे–भतीजी, बहु आदि सम्मिलित रहते है तथा वे पारस्परिक प्रेम–भावना से बंधे होते है। भौतिक दृष्टि से भारतवर्ष में सयुक्त परिवार तथा पश्चिमी देशों में वैयक्तिक परिवार पाया जाता है। परन्तु सामाजिक तथा सांस्कृतिक दृष्टि में दोनों प्रकार के परिवारों में कोई विशेष भिन्नता नहीं होती है तथा दोनों को एक ही रूप में परिभाषित कर सकते हैं।

परिवार उस समूह को कहते है जो लिंग सम्बन्ध पर आधारित है और जो इतना छोटा तथा स्थायी है कि उसमें बच्चों की उत्पत्ति और उनका पालन–पोषण हो सकता है।

वर्जेस तथा लाके के अनुसार : परिवार विवाह, रक्त या गोद लेने के सम्बन्धों से जकड़े हुए व्यक्तियों का एक समूह है जो एक गार्हस्थ को बनाते हैं और पति–पत्नी, माता–पिता, लड़के और लड़की और भाई और बहन के अपने–अपने सामाजिक कार्यो के रूप में एक–दूसरे से अन्तःसन्देशों को करते हैं और एक सामान्य संस्कृति को बनाते हैं तथा उसकी रक्षा करते हैं।

परिवार के कार्य

व्यक्ति की आवश्यकताओं की सन्तुष्टि के लिए ही परिवार इकाई का विकास हुआ है। अतः इसका सर्वप्रथम कार्य व्यक्ति की आवश्यकताओं को पूरा करना है। इस सन्दर्भ में परिवार के कार्यो को निम्नलिखित रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं।

जैविकीय कार्य

जैविकीय कार्यो के अन्तर्गत परिवार निम्न कार्य करता है।

1. यौन इच्छा की पूर्ति
2. संतानोत्पत्ति का कार्य
3. प्रजाति का विकास
4. बच्चों का पालन–पोषण
5. शारीरिक रक्षा
6. भोजन का प्रबन्ध
7. वस्त्रों का प्रबन्ध
8. रहने का प्रबन्ध

आर्थिक कार्य

1. श्रम विभाजन
2. आर्थिक क्रियाओं का केन्द्र
3. उत्तराधिकार
4. सम्पत्ति का प्रबन्ध

सामाजिक कार्य

1. व्यक्ति का सामाजिक विकास करना
2. बालक के व्यक्तित्व का विकास करना
3. सामाजीकरण में सहायता करना
4. स्थिति का निर्धारण करना
5. सामाजिक विरासत को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तान्तरिक करना
6. सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना
7. जीवन साथी का चयन करना

मनोवैज्ञानिक कार्य

1. मानसिक सुरक्षा प्रदान करना
2. सांवेगिक सुरक्षा प्रदान करना
3. प्राथमिक सम्बन्धों की स्थापना करना
4. सुख दुख में भागीदार होना
5. शैक्षणिक कार्य
6. सांस्कृतिक कार्य
7. धार्मिक कार्य
8. सामाजिक नियंत्रण का कार्य

मनोरंजनात्मक कार्य

परिवार की रचना के प्रारम्भ से ही इसका कार्य सदस्यों को मनोरंजन प्रदान करना रहा है। बच्चों का मनोरंजन विशेष रूप से घर पर ही होता है। बच्चों की सुखद तथा स्वास्थ्यप्रद पर्यावरण परिवार में ही प्राप्त होता है जिसके अन्तर्गत वे अपनी शारीरिक, मानसिक, सांवेगिक आदि विशेषताओं का विकास करते है। युवकों तथा वृद्धों को भी परिवार मनोरंजन प्रदान करता है। परिश्रम से थका हुआ व्यक्ति जब शाम को घर वापस आता है तो वह अपने को अपनी पत्नी तथा बच्चों के बीच पाकर आनन्द का अनुभव करता है उसमें नवीन शक्ति का संचार होता है तथा अपनी सभी चिन्ताओं को वह भूल जाता है। इसके अतिरिक्त समय–समय पर अनेक उत्सव तथा त्यौहार होते रहते हैं जो मनोरंजन का भी कार्य करते हैं।

राजनैतिक कार्य

परिवार एक प्रशासकीय इकाई भी है। परिवार का वयोवृद्ध व्यक्ति परिवार के अन्य सदस्यों को आज्ञा देता है और सभी सदस्य उसका पालन करते है। इसी प्रकार यह क्रम नीचे तक चलता रहता है। अर्थात् स्थिति के अनुसार व्यक्ति अपने अधिकारों तथा कर्तव्यों का उपयोग करता है। परिवार में यदि किसी प्रकार के झगड़े उत्पन्न होते है तो परिवार का मुखिया उनको निपटाता है तथा समझौता करा देता है।

मूल्यांकन : निम्न आधारों पर मूल्यांकन सम्भव होता हैं :

1. **विषयवस्तु** : परिवार का परिचय, परिवार सदस्य संख्या, प्रत्येक सदस्य की आयु, सम्बन्ध, कार्य, शिक्षा, आर्थिक, स्तर, धार्मिक रूचि आदि। वर्तमान समस्या, शिकायत, प्रार्थना, प्रार्थना पत्र देने का कारण, समस्या की प्रकृति, समस्या किससे सम्बन्धित है, कब से समस्या है, परिवार के सदस्यों की समस्या के प्रति क्या प्रतिक्रियाएं हैं, समान तथा विभेदी विषय कौन–कौन से हैं आदि।
2. **पारिवारिक संरचना तथा प्रतिक्रियाएं** :
   - **1)** उम्र तथा भूमिका के आधार पर उत्तरदायित्व का बंटवारा दिन प्रतिदिन के कार्यो को पूरा करने के पारिवारिक तरीके।
   - **2)** अभिज्ञान के तरीके तथा भूमिका निर्वाह, भूमिका के आधार पर परिवार सम्बन्ध।
   - **3)** उद्देश्यीय सम्बन्धों की प्रकृति तथा उसका स्तर सदस्य किस प्रकार एक दूसरे की आवश्यकताओं का ध्यान रखते हैं, सन्तोष प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, सदस्यों को कहाँ तक वैयक्तिक रूचि पूरी करने की छूट है, आयु के आधार पर कितनी निर्भरता, अलगाव तथा आत्म निर्भरता है।
   - **4)** परिवार की भावनाओं को किस प्रकार समझा जाता है, भावनाओं को स्पष्टीकरण की क्या प्रकृति है, कितनी सहनशीलता है, नियन्त्रण कितना है, आत्मीयता, उग्रता, लैंगिकता, चिन्ता, प्रतिगमन, धार्मिक रीति–रिवाजों आदि का क्या रूप है। सदस्यों को प्रत्येक क्षेत्र में कितनी स्वतंत्रता है, वे कितना नियन्त्रण स्वीकार करते हैं आदि।

5) वास्तविकता प्रत्यक्षीकरण की कितनी क्षमता है, आत्म के अवलोकन की क्या क्षमता है, कितना प्रत्यक्षीकरण त्रुटिपूर्ण है, दूसरों की समस्या के प्रति क्या प्रत्यक्षीकरण हैं, परिवार में मनोसुरक्षात्मक यन्त्रों का कहाँ तक उपयोग होता है, अवरोध कौन–कौन से हैं आदि।

6) **संघर्ष तथा समाधान के तरीके** : परिवार में निर्णय प्रक्रिया, तनाव दूर करने के तरीके, समस्या समाधान के तरीके, विचारों की भिन्नता वाले विषय।

7) **परिवार के मूल्य** : सांस्कृतिक तथा सामाजिक प्रभाव, नैतिक धार्मिक दृष्टिकोण का स्थान तथा उनके हस्तान्तरण के तरीके, सामाजिक आकांक्षाएं तथा इच्छाएं, परिवार का समाज में स्थान।

8) **संचार के तरीके** : सांस्कृतिक प्रभाव, मौखिक एवं अमौखिक संचार प्रक्रिया की शैली, संचार का प्रभाव तथा उद्देश्य, समाचार का द्विस्तर, स्वीकृति तथा अस्वीकृति के क्षेत्र, भाषा का उपयोग तथा उसकी स्पष्टता।

3. **पारिवारिक इतिहास** : समस्या से सम्बन्धित आवश्यक आंकड़े जैसे – वैवाहिक जीवन का इतिहास, बाल विकास, महत्वपूर्ण घटनाएं, परिवार में भूमिका का परिवर्तन, बीमारियां, हानि आदि सामाजिक अनुकूलन तथा सामाजिक आवश्यकताएं।
4. **सदस्यों का इतिहास** : व्यवहार, लक्षण, स्वास्थ्य, अनुकूलन, परिवार में कठिनाइयां आदि।
5. **समस्या समाधान करने के लिए उपलब्ध शक्ति** : प्रत्येक सदस्य में समस्या से लड़ने की शक्ति तथा संक्रामकता, वैयक्तिक रूचि तथा योग्यता, समस्या पर कार्य करने की इच्छा, वैवाहिक सम्बन्धों के प्रति भय, चिन्ता, परिवार में घनिष्ठता तथा अलगाव की इच्छा तथा प्रकृति आदि।

वैयक्तिक कार्यकर्ता उपरोक्त निर्देशन तालिका का उपयोग करता है। विषयवस्तु, प्रक्रिया, पारिवारिक संरचना आदि का ज्ञान होने पर उपचार योजना बनती है, उद्देश्य निर्धारित होते हैं तथा विशिष्ट कार्य प्रणाली बनायी जाती है। इससे निम्न प्रश्नों का उत्तर प्राप्त होता है :

1. वर्तमान समस्या का केन्द्र बिंदु क्या है, यह अन्तर्वैयक्तिक सम्बन्धों में स्थिर है, पूरे परिवार से सम्बन्धित है या किसी एक व्यक्ति से सम्बन्धित है, परिवार से बाहर इसका कोई सम्बन्ध है।
2. परिवार के स्थायित्व में क्या–क्या बाधाएं है तथा स्थायित्व क्यों नही बनाया जा सकता है।
3. उपचारात्मक प्रक्रिया में कितना सहयोग मिलने की आशा है, किस व्यक्ति को प्रत्यक्ष रूप से चिकित्सा प्रक्रिया में लगाना है आदि।
4. किन–किन विधियों तथा प्रविधियों का उपयोग लघु दीर्घकालीन उद्देश्य की प्राप्ति के लिए करना है। उदाहरण के लिए दीर्घकालीन उद्देश्य वैवाहिक जोड़ें का उपचार कार्य करना है परन्तु जब तक सम्बन्ध स्थापित नहीं होंगे तब तक परिवार इसको मान्यता नहीं प्रदान करेगा। उद्देश्य कुछ भी हो, कार्यकर्ता तथा परिवार दोनों की स्वीकृति आवश्यक है।

4.2.2 समाज कार्य अभ्यास में समुदाय

सामुदाय संगठन में क्षेत्र कार्य प्रशिक्षण की एक पुरानी पद्धथ्त है। भारत में समाज कार्य के विद्यालयों ने इसे 1960 तथा 1980 में प्रारम्भ किया। अब तक दूरस्थ क्षेत्रों में यह अभी भी उपेक्षित है। यह बात ध्यान देने योग्य है। कि कुछ विद्यालयों में इसका प्रशिक्षण दिया जा रहा है वहाँ इसे विशिष्ट प्रयोगात्मक पाठ्यक्रम को सिद्धान्त के आधार पर नहीं बनाया गया है। अधिकांश छात्र सामुदायिक संरचना में कार्य कर रहे है तथा संकाय पर्यवेक्षकों के मार्गदर्शन व पर्यवेक्षण के अन्तर्गत अपना प्रशिक्षण भी प्राप्त कर रहे है। इस क्षेत्र के कुछ विशेषज्ञों ने सामुदायिक संगठन के आदर्श प्रतिमान विकसित किये है। परन्तु ग्रामीण छात्र इसे समझने में असमर्थ है। इसलिये इसके अन्तर्गत अनुभवी तथा अवलोकन के आधार पर सामुदायिक संरचना में क्षेत्रकार्य प्रशिक्षण की कार्य प्रणाली पद्धतियां और अभ्यास को उल्लेख किया गया है।

सामुदायिक वातावरण में स्थापन की आवश्यकता

सामुदायिक वातावरण में छात्रों का स्थापन समय की आवश्यकता है। यह समुदाय की आवश्यकताओं के आधार पर समन्वित क्षेत्रकार्य प्रशिक्षण को समाज कार्य की प्रशिक्षिण शिक्षा में लागू करके उसका विकास करती है यह बहुत आवश्यक है क्योंकि छात्र स्वयं नीतियों के आकार के निर्माण में सम्मिलित होने के साथ इसका क्रियान्वयन करते हैं। छात्रों को अभिकरण की संरचना में स्थापना के समय ऐसे अवसर प्रदान किये जाते है। उसके अतिरिक्त चयनित समुदाय में जरूरतमंदों को किसी भी स्थिति में व्यवसायिक कल्याण सेवाएं दी जा सकती है। जिससे छात्रों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए एक वृहत तथा खुला अवसर प्रदान किया जा सके और इसके साथ ये छात्र समाज में सद्भावना, पहचान तथा यश बढ़ा सकें। कई बार देखा गया है कि कई स्वयंसेवी संगठनों ने ऐस स्थानों की आवश्यकताओं को पहचान कर उन्हें सन्तुष्ट करने का प्रयास किया है। प्रायः ये संगठन आवश्यकताओं को पहचान कर उनका समाधान करने में सफल नही होते क्योंकि संसाधन तथा क्षेत्र सीमित होते है। समाज कार्य के प्रशिक्षण में सामान्यतः सहायता करने के स्रोत का प्राप्त करने तथा चिन्हित करने के लिए आवश्यक ज्ञान होता है। इस प्रकार के स्थापना से समुदायों को बहुत अधिक लाभ प्राप्त होते हैं।

सामुदायिक संगठन में क्षेत्रकार्य प्रशिक्षण के उद्देश्य

सामुदायिक संगठन में क्षेत्रकार्य प्रशिक्षण के निम्नलिखित उद्देश्य है :

1. छात्रों को समाज कार्य की सभी पद्धतियों के अभ्यास का अवसर प्रदान करना। जैसे – क्षेत्रकार्य वैयक्तिक कार्य, समूह कार्य, सामुदायिक संगठन, समाज कल्याण प्रशासन, सामाजिक अनुसंधान तथा सामाजिक क्रिया।

2. छात्रों को समुदाय के सदस्यों के जीवन को समझने के योग्य बनाना तथा उनके विचारों, मनोवृत्तियों क्षमताओं दृष्टिकोण तथा सामान्य एवं विशिष्ट समस्याओं व आवश्यकताओं को समझना।
3. छात्रों को संकाय पर्यवेक्षकों के मार्गदर्शन तथा नियंत्रण के अन्तर्गत नीतियों के निर्माण व क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से कार्य करने का प्रशिक्षण देना।
4. छात्रों को समुदाय के लोगों के साथ अन्तःक्रिया की कला को सीखना तााि उनकी आवश्यकताओं और समस्याओं को अपने से सम्बद्ध करना।
5. छात्रों को व्यक्ति समूह और समुदाय के साथ सम्बन्ध स्थापित करने का अवसर प्रदान करना।
6. छात्रों को विभिन्न प्रकार की समस्याओं और परिस्थितियों को सीखने व समझने का अवसर प्रदान करना।
7. छात्रों को सरकार की सहायता के बिना सामुदायिक विकास कार्यक्रमों को स्वयं की स्वतंत्र अभिकरण में क्षेत्र कार्य प्रशिक्षण के योग्य बनाना।
8. असहयोगी सामाजिक अभिकरणों, अप्रशिक्षित व अरूचिकर अभिकरण पर्यवेक्षकों को अन देखा करना।
9. छात्रों को समुदायों में व्यवसायिक सेवाओं के विकास व चयनित ग्रामीण व नगरीय समुदायों में स्वरोजगार हेतु स्वयंसेवी संगठनों की स्थापना के लिए प्रोत्साहित करना।

सामुदायिक संगठन में क्षेत्रकार्य प्रशिक्षण की पद्धतियाँ

सामुदायिक संगठन में क्षेत्र कार्य प्रशिक्षण के अध्ययन के लिए उद्देश्यों के साथ प्रशिक्षण की पद्धतियों का अध्ययन भी आवश्यक है, जिससे समुदाय की आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। इसमें क्षेत्रकार्य प्रशिक्षण की निम्नलिखित पद्धतियां प्रयुक्त होती है। –

1. समुदाय में कार्यवावही के पहले सैद्धान्तिक तैयारी।
2. सिद्धान्त का वैज्ञानिक विश्लेषण।
3. संकाय पर्यवेक्षकों के साथ व्यवसायिक विचार–विमर्श।
4. व्यक्तियों, विशेषज्ञों, विद्वानों तथा जन–साधारण से सम्बन्धित कार्यकर्ताओं से व्यवसायिक अंतःक्रिया।
5. समुदाय के संगठनों के कार्यकलापों में सहभागिता।
6. समुदाय के अन्तर्गत कार्य करना और समाज कार्य का अभ्यास करना।

सामुदायिक संगठन के सिद्धान्तों, दर्शनों तथा मूलतत्वों का प्रयोग क्षेत्रकार्य प्रशिक्षण में किया जाता है छात्र सैद्धान्तिक पृष्ठभूमि के निर्माण के अभाव में क्षेत्रकार्य का अभ्यास असम्भव हो जाता है। इसलिए उन्हें सामुदायिक संगठन के अर्न्तगत कार्य करने के लिए सिद्धान्तों को अत्यधिक सावधानी से समझना चाहिए। इसके पश्चात् उन्हें सिद्धान्त के आलोचनात्मक पक्षों के विश्लेषण पर ध्यान देना चाहिए। सामान्य तर्क तथा अध्ययन की सहायता से वास्तविक अनुभूति व सिद्धान्त का तुलनात्मक अध्ययन करना है। इस आधारभूत तैयारी के साथ छात्र अपने संकाय पर्यवेक्षक के साथ विचार–विमर्श कर सकते हैं। विशेषज्ञों के साथ किए गए विचार–विमर्श आधारभूत ज्ञान का बढ़ाते हैं और अवधारणात्मक स्पष्टता प्राप्त करते हैं। इस अवधारणात्मक स्पष्टता से व्यवहारिक पक्षों को

आसानी से सीखने के मार्ग और अधिक प्रशस्त होते हैं। इसके पश्चात छात्रों को समुदाय में जा कर लोगों के जीवन का अवलोकन तथा उनके साथ अन्तःक्रिया करनी चाहिए। इससे वे अपने व्यवहारिक ज्ञान को बढ़ा तथा अपने दृष्टिकोण को आधार प्रदान कर सकते है। छात्र समाजशास्त्रीय क्षेत्र के अध्ययन के पश्चात् समाज कार्य की तकनीकियों की सहायता से समुदाय की सहायता कर सकते हैं।

क्षेत्र कार्य की कार्य पद्धति

हमारे देश के दूरस्थ क्षेत्रों में समाज कार्य के विद्यालयों में समाज कार्य के वातावरण में वैज्ञानिक अभ्यास का विकास ठीक से नही हो पाया है। यहाँ पर किसी प्रकार की विवरणिका या कार्यपद्धति नही है जिसका अनुसरण किया जा सके। यद्यपि संकाय पर्यवेक्षक मौखिक मार्गदर्शन के द्वारा प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं और छात्र समुदायों में क्षेत्र कार्य को ठीक प्रकार नही कर पा रहें है। इसको ध्यान में रखते हुए क्षेत्रकार्य की कार्यपद्धति की व्यवहारिक बाधाओं का विस्तार से विचार–विमर्श किया गया है। क्षेत्र कार्य प्रशिक्षण व समुदाय विकास के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित निर्देशों के आधार पर उचित समुदाय का चयन किया जा सकेगा –

1. समुदाय छात्रों तथा विद्यालय दोनों के लिए भौतिक रूप से सुगम होना चाहिए।
2. आवश्यक मूलभूत सुविधाओं का उपलब्ध होना चाहिए।
3. किसी व्यवसायिक सामाजिक कार्यकर्ता या समाज कार्य विद्यालय द्वारा चिन्हित समुदाय होना चाहिए जहाँ समाज कल्याण सेवाओं की आवश्यकता हो।
4. समुदाय के लोगों में सेवाओं के प्रति रूचि, उत्साह व जोश होना चाहिए।
5. समुदाय के लोगों को अपने विकास के लिए स्थानीय संसाधनों के उपयोग के लिए तैयार होना चाहिए।
6. वे अपनी आवश्यकताओं को विद्यालय या संगठन में स्वतंत्र रूप से विचार देने चाहिए।

समुदाय का चयन

विद्यालय में उपलब्ध सूचना एवं सामान्य दिशा निर्देशों के आधार पर एक उपयुक्त समुदाय का चयन करना चाहिए। यह चयन समुदाय की आवश्कयताओं पर आधारित होना चाहिए एवं यह चयन जरूरतमंद व्यक्तियों की सेवा प्रदान करने के लिए होना चाहिए। संकाय सदस्यों एवं छात्रों को समुदाय के भौगोलिक क्षेत्र के बारे में एक सामान्य जानकारी प्राप्त करने के लिए भ्रमण करना चाहिए ताकि इस समुदाय की उपयुक्तता के बारे में उचित निर्णय लिया जा सके। तत्पश्चात् प्रशिक्षण एवं विकास के लिए समुदाय का अन्तिम चयन करना चाहिए।

सामान्य पृष्ठभूमि से सम्बन्धित आंकड़े

छात्रों को चयनित समुदाय का भ्रमण फील्ड कार्य हेतु निर्धारित किए गये दिनों पर करना चाहिए। प्रारम्भ में, समुदाय के विभिन्न जातीय एवं धार्मिक समूहों की सामाजिक

पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त करने के लिए छात्रों की पूरी टीम (दल) को समाज के नेताओं एवं प्रमुख व्यक्तियों से घुलना–मिलना चाहिए तथा मेलजोल बढ़ाना चाहिए। इस प्रकार की सूचना या जानकारी आगे के कार्यक्रमों की योजना बनाने के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण होती है। सूचना एकत्रित करने के लिए तैयार किए गए सूचना पत्र का उपयोग अभिलेखन करने एवं उचित परिचय हेतु किया जा सकता है।

समुदाय का सूचना पत्र

1. समुदाय का नाम :
2. समुदाय का प्रकार :
3. समुदाय की स्थिति :
4. कुल आबादी :
5. घरों की संख्या :
6. आय के मुख्य स्रोत :
7. सामाजिक संगठनों की संख्या :
8. समुदाय की प्रमुख भाषा :
9. मुख्य समस्याऐं एवं आवश्यकताऐं :
10. साफ–सफाई की दशा :
11. वाहय कार्य परियोजना के मुख्य क्षेत्र :
12. क्षेत्र कार्य परियोजना का शीर्षक :
13. परियोजना की अवधि :
14. क्षेत्र कार्य प्रशिक्षुओं के नाम :
15. संकाय पर्यवेक्षकों के नाम :
16. बैच संख्या :

सामाजिक सर्वेक्षण

समुदाय की सामान्य पृष्ठभूमि के बारे में जानकारी से छात्रों को समुदाय की वर्तमान दशा के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। तथापि, अग्रिम प्रक्रिया हेतु लोगों की सामाजिक–आर्थिक, सामाजिक–सांस्कृतिक एवं सामाजिक–राजनीतिक पृष्ठभूमि का अध्ययन आवश्यक है। इसके लिए संकाय पर्यवेक्षकों के आधीन एक सूक्ष्म सर्वेक्षण क्रिया जाना चाहिए। इस सर्वेक्षण के माध्यम से एकत्रित प्रारम्भिक आंकड़ों का विश्लेषण किया जाना चाहिए तथा सन्दर्भ कार्यक्रमों एवं गतिविधियों के आयोजन एवं क्रियान्वयन हेतु एक साधारण परियोजना प्रतिवेदन बनानी चाहिए। इससे छात्रों को किसी समुदाय में वैज्ञानिक आधार पर कार्य प्रारम्भ करने के लिए प्रथम अवसर प्राप्त होगा।

लोगों की आवश्कताओं की पहचान

सैद्धान्तिक तैयारी एक सर्वेक्षण एवं समुदाय के अवलोकन से छात्रों को समुदाय का सार समझने में सहायता मिलेगी एवं उसके आधार पर वे सार्थक सम्बन्ध स्थापित कर सकते हैं। एक बार सम्बन्ध स्थापित हो जाने के पश्चात् छात्रों को अधिक से अधिक लोगों

से सम्पर्क करना चाहिए ताकि उनकी वास्तविक आवश्कयताओं, रूचियों, मानसिक तैयारियों तथा साधन उपलब्ध कराने की तत्परता के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। समुदाय के नेताओं के साथ परस्पर व्यवसायिक सम्पर्क से समुदाय की वास्तविक आवश्यकताओं की पहचान करने में सहायता प्राप्त होगी। इन आवश्कयताओं का भविष्य में सन्दर्भ के लिए अभिलेखन किया जाना चाहिए। इस उद्देश्य के लिए तैयार किए गए निम्नलिखित प्रारूप का उपयोग करना चाहिए।

वरीयता पर आधारित महसूस की गई आवश्यकताऐं

क्रम संख्या	महसूस की गई आवश्यकताऐं	आवश्यकताओं की अवधि	लाभार्थी कौन होगें	लागत क्या होगी	लागत लाभ क्या होगें	सम्भावित उपलब्ध स्रोत

नेताओं या मुखियाओं के साथ बैठक

समुदाय के विभिन्न नेता या मुखिया पृथक आधारों, पृथक समस्याओं/मुद्दों पर पृथक–पृथक राजनैतिक दर्शनों के तहत कार्य कर रहे होंगे, परन्तु उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ऐसे नेताओं की एक सामान्य मंच पर बैठक करना आवश्यक है। यह तभी संभव हो सकता है जबकि इन नेताओं की कार्य प्रणाली के सम्बन्ध में पर्याप्त एवं विश्वसनीय आंकड़े एकत्रित किए जायें। तत्पश्चात् इन आंकड़ों का विस्तारपूर्वक अध्ययन करना होगा, अन्यथा उनकों विश्वस्त करना (विश्वास में लेना) संभव नहीं होगा। इन नेताओं से सम्बन्धित आंकड़ों को जाति, वर्ण, रंग तथा राजनैत्रिक समबद्धता के भेदभाव के बिना निम्नलिखित प्रारूप में एकत्रित किया जा सकता है।

स्थानीय नेताओं/नेतृत्व के बारे में विवरण

क्रम संख्या	नाम एवं पता	क्या हैं – राजनीतिज्ञ/ सामाजिक कार्यकर्ता/युवा नेता	सेवा की प्रकृति/सहायता जिसकी समाज उनसे अपेक्षा कर सकता है

नेताओं से सावधानीपूर्वक व्यवहार करना चाहिए। छात्रों द्वारा एक छोटी से गलती या लापरवाही से एक विषम समस्या पैदा हो सकती है, जो कि सामाजिक कार्य प्रशिक्षण–सह–व्यवहार प्रक्रिया में रूकावट या रोड़ा बन सकती है। अतः इन विभूतियों से

जिनमें से अधिकतर अत्यधिक अभिमानी होते हैं, से कुशलतापूर्वक व्यवहार करना चाहिए। उनकों सम्पूर्ण समुदाय के कल्याण के उद्देश्य से की जा रही है बैठक में भाग लेने के लिए विश्वास में लेना चाहिए। छात्रों को कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, परन्तु उनके सतत् प्रयासों, कर्तव्यनिष्ठा एवं सामाजिक कार्य दर्शन में उनके विश्वास के कारण उनकों इन समस्याओं के निदान प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। बैठक व्यवस्थित ढंग से आयोजित की जानी चाहिए एवं समुदाय की तात्कालिक आवश्यकताओं एवं समस्याओं पर एक सामान्य मंच पर इस प्रकार विचार–विमर्श किया जाना चाहिए कि नेताओं की भिन्न विचारधारायें होने के बाबजूद भी सर्वसम्मत निर्णय लिए जा सकें। इस प्रकार की बैठकें प्रगति का मार्ग प्रशस्त करती हैं, तथा छात्रों में संवाद दक्षता एवं प्रशासनिक गुणों का विकास करती है।

व्यवसायिक व्यक्तिगत सहायता

व्यक्तिगत प्रकरणों की पहचान के बाद छात्रों को प्रकरण कार्य करने के लिए संकाय पर्यवेक्षकों द्वारा मार्गदर्शन एवं सलाह उपलब्ध करानी चाहिए। एक खुला समुदाय होने के नाते छात्रों को अपनी दक्षता पद्धित एवं व्यक्तियों के साथ व्यवहार करने की प्रक्रिया के प्रयोग में स्वतन्त्रता प्राप्त होगी। यहाँ उस प्रकार के कोई बन्धन नहीं होते हैं, जैसे कि स्वैच्छिक संगठनों में होते है। वह प्रकरण शीट की तैयारी से लेकर मूल्यांकन आख्या तक समस्त कार्य स्वयं कर सकते हैं। इस प्रकार समुदाय में प्रकरण कार्य प्रशिक्षण एवं व्यवसायिक सेवा प्रदान की जाती है।

व्यवसायिक समूह सहायता

मनुष्य को सामाजिक प्राणी कहा जाता है क्योंकि वह अपना अधिकतर समय समूहों में व्यतीत करता है। समूह विभिन्न प्रकार के होते हैं जैसे कि मित्र मण्डल, युवा संगठन, स्कूल इत्यादि। प्रशिक्षुओं को अपने सर्वतोन्मुखी विकास के लिए इन सभी समूहों से सम्पर्क करना चाहिए। प्रारम्भ में उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, परन्तु सतत् प्रयासों, कला एवं मनुष्यों से व्यवहार करने की कला से उन्हें सफलता प्राप्त होगी। समूहों के निर्माण के उपरान्त प्रशिक्षु छात्रों को अपने पूर्ण विकास के लिए समूह कार्य प्रारम्भ कर देना चाहिए तथा समूह में से वैयक्तिक कार्य के लिए व्यक्तिगत प्रकरणों की भी पहचान करनी चाहिए। समुदाय में सामूहिक कार्य की अभ्यास बिना किसी दबाव, बन्धन एवं नीति के आधीन व्यवस्थित रूप से करनी चाहिए जैसा कि संस्थाओं में किया जाता है। छात्र स्वयं स्वतन्त्र रूप से नीतियों का निर्माण कर सकते हैं एवं स्वयं द्वारा स्वतंत्र रूप से तैयार की गई प्रक्रियाओं एवं पद्धतियों का अनुसरण कर सकते हैं, तथापि संकाय पर्यवेक्षकों के साथ विचार–विमर्श अपरिहार्य है।

4.2.3 समाज कार्य अभ्यास में संगठन

गंवों में स्वयं सेवकों द्वारा स्थापित सामाजिक संस्थाओं की सामाजिक संस्थाओं जैसे तरूण मण्डलों, महिला मण्डलों, क्रीड़ा, क्लबों, बाल मार्गदर्शन क्लीनिकों, सांस्कृतिक केन्द्रों, न्यासों, संघों आदि का भ्रमण करना चाहिए तथा उनकी विधिक, सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति, प्रबन्धन, प्रशासन, वाह्य कार्यक्रमों, लाभार्थियों, प्रतिभागियों, कठिनाइयों एवं लोगों एवं समुदायों पर उनके विस्तृत प्रभाव आदि के बारे में सूचनाएं एकत्रित करनी चाहिए।

यह सूचना विचार–विमर्श अवलोकन एवं साहित्य के माध्यम से एकत्र की जा सकती है, जिसका विश्लेषण किया जा सकता है एवं विभिन्न सामाजिक संस्थाओं और उनके कार्यो के बारे में निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। इससे उनके प्रयासों एवं आवश्यकताओं पर प्रकाश पड़ेगा।

इन प्राथमिक सूचनाओं के आधार पर छात्रों एवं संकाय सदस्यों को इन संस्थाओं के पदाधिकारियों की बैठक आछूत करनी चाहिए एवं उनके तथा युवकों के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम बनाना चाहिए। यह कार्यक्रम वर्तमान संस्थाओं की संचालन पद्धति एवं नवीन संस्थाओं की स्थापना के सम्बन्ध में होना चाहिए। युवा स्वैच्छिक कार्यकर्ताओं एवं भाग न लेने वाले युवाओं को नवीन संस्थाओं की स्थापना की पद्धति एवं प्रक्रियाओं, निधि एकत्र करने, नवीन संस्थाओं की स्थापना करने एवं उनका संचालन करने का प्रशिक्षण देना अनिवार्य है, क्योंकि उनकी इस सम्बन्ध में वैज्ञानिक ज्ञान तक पहुंच नहीं होती है। इस प्रकार के पेशेवर प्रशिक्षण से उन्हें राज्य एवं केन्द्र सरकारों द्वारा तैयार किए गए विभिन्न ग्रामीण परियोजनाओं के क्रियान्वयन में सहायता प्राप्त होगी।

इसके अतिरिक्त उनकों भारतीय एवं विदेशी निधि प्रदान करने वाली संस्थाओं की एक सूची भी प्रदान करनी चाहिए ताकि वे अपनी परियोजनाओं की निधि सम्बन्धी समस्याओं का अध्ययन करने, उनका समाधान करने एवं उनका क्रियान्वयन करने में समर्थ हो सकें। उनकी सहभागिता प्रोत्साहित करने हेतु एक सूक्ष्म निधि–एकत्रण कार्यक्रम संचालित किया जा सकता है, जिससे कि छात्रों को शिक्षा मिलेगी और ग्रामीणों को भी लाभ प्राप्त होगा। संकाय सदस्यों द्वारा उनके हर कदम पर मार्ग दर्शन प्रदान करना चाहिए। उनके प्रारम्भिक प्रायोगिक मार्गदर्शन के लिए निम्नांकित पुस्तकों का संदर्भ ग्रहण किया जा सकता है –

- सोसाइटीज रजिस्ट्रेश्ज्ञन एक्ट, 1860
- पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1652
- काउंसिल फॉर एडवांसमेंट ऑफ पीपुल्स एक्शन एण्ड रूरल डेवलपमेन्ट
- सरकारी योजनाऐं
- प्रोफेशनल सोशल वर्कर : एक सखा प्रकाशन

4.3 चिकित्सा

चिकित्सा का अर्थ

साधारण बोलचाल की भाषा में चिकित्सा का तात्पर्य शारीरिक व्याधियों के रोमुक्त होने से समझा जाता है। परन्तु औषधिशास्त्र में भी रोग से मुक्ति नही मिलती है केवल रोग को कुछ समय के लिए नियन्त्रण में कर लिया जाता है लेकिन पुनरावृत्ति की सम्भावना बनी रहती है। इस सम्भावना में कमी, भोजन, आराम तथा अनुकूल स्वास्थ्य सम्बन्धी परिस्थितियों द्वारा कम किया जा सकता है। वैयक्तिक सेवा कार्य में भी कुछ विशिष्ट रोगों को दूर किया जा सकता है (एक बच्चे के लिए बुरे होम के स्थान पर नया अच्छा होम खोजा जा सकता है) परिवर्तनों को कम किया जा सकता है (अपने प्रति तथा दूसरों के प्रति मनोवृत्तियों में परिवर्तन लाया जा सकता है), बिगड़ती हुई स्थिति को रोका जा सकता है (वर्तमान क्रिया में परिपूरक तथा आलम्बन द्वारा), और भी इसी प्रकार। लेकिन व्यक्ति की व्यक्तिगत तथा सामाजिक स्थिरता उस वृहद समुदाय की सुरक्षा पर निर्भर होती है जिसका वह स्वयं एक भाग होता है। इसके अतिरिक्त जीवन की घटनाओं के लिए भी उसी पर निर्भर होता है। यही कारण दे कि वैयक्तिक सेवाकार्य में सामाजिक कल्याण से सम्बन्ध होता है। अतः रोगमुक्त का प्रत्यय नहीं पाया जाता है। वैयक्तिक सेवा कार्य में उन क्षमताओं को व्यवस्थित तथा कार्यान्वित करते है जिनसे अनुकूलन प्राप्त होता है तथा उन साधनों, अवसरों एवं शक्तियों को प्रदान करते हैं जिनके द्वारा कोई व्यक्ति सामाजिक समायोजन प्राप्त करता है।

चिकित्सा का उद्देश्य

सामाजिक वैयक्तिक सेवा कार्य में चिकित्सा के प्रायः निम्न उद्देश्य होते हैं :

1. सामाजिक क्षीणता को रोकना।
2. सेवार्थी की शक्तियों को सुरक्षित रखना।
3. सामाजिक कार्यो का पुनर्स्थापन करना।
4. सेवार्थी के जीवन अनुभवों को अधिक से अधिक सफल एवं संतोषप्रद बनाना।
5. मनोवैज्ञानिक क्षतिपूर्ति करना।
6. सेवार्थी के विकास एवं उन्नति के लिए अवसरों को उपलब्ध करना।
7. आत्म–निर्देशन एवं सामाजिक योगदान की क्षमता को बढ़ाना।

इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए निम्न प्रयत्नों की आवश्यकता होती है :

1. व्यक्ति की परिस्थिति में परिवर्तन अथवा सुधार करने के लिए आर्थिक सहायता अथवा पर्यावरण में परिवर्तन करना।
2. परिस्थिति परिवर्तन अथवा प्रत्यक्ष साक्षात्कार चिकित्सा द्वारा उसी सामाजिक परिस्थिति में रहते हुए व्यक्ति के व्यवहार तथा मनोवृति में परिवर्तन लाना।

वैयक्तिक सेवा कार्यकर्ता का मूलतः उद्देश्य सेवार्थी की कठिनाइयों को दूर करना तथा व्यक्ति परिस्थिति व्यवस्था की अकार्यात्मकता में कमी करना या इसको सकारात्मक रूप में रखकर सेवार्थी की सुविधा, संतोष एवं आत्म–अनुभूति में वृद्धि करना है। इसके लिए अहं तथा व्यक्ति–परिस्थिति व्यवस्था की कार्यात्मकता की अनुकूलन निपुणताओं में

वृद्धि की आवश्यकता हो सकती है। व्यक्ति या परिस्थिति या प्रायः दोनों में परिवर्तन की आवश्यकता हो सकती है।

वैयक्तिक सेवाकार्य चिकित्सा की विशेषताऐं

हैमिल्टन ने वैयक्तिक सेवा कार्य चिकित्सा की निम्न विशेषताओं का उल्लेख किया है :

1. **चेतन एवं नियन्त्रित कर्ता सेवार्थी सम्बन्ध का प्रयोग** : इसके द्वारा वैयक्तिक कार्यकर्ता सेवार्थी के परिवर्तन लाता है एवं उन क्षमताओं एवं गुणों का विकसित करता है जो समायोजन की शक्ति को उत्पन्न करते हैं।
2. **साक्षात्कार प्रक्रिया में निपुणता** : कार्यकर्ता साक्षात्कार के माध्यम से मनोसामाजिक तथ्यों का एकत्रीकरण करके उपचार योजना बनता है। इसमें मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण का उपयोग अधिक किया जाता है।
3. **सामाजिक साधनों का ज्ञान और उनके प्रयोग में निपुणता** : प्रायः सेवार्थी की मनोवैज्ञानिक समस्याओं के साथ–साथ सामाजिक–आर्थिक समस्याएं भी होती है। अतः उचित समायोजन प्राप्त करने के लिए दोनों प्रकार की सेवाओं की आवश्यकता होती है। कार्यकर्ता सामाजिक साधनों द्वारा सेवार्थी की मांगों को पूरा करता है।
4. **संस्था की नीतियों, सेवाओं एवं अन्तसंख्या सहयोग की व्याख्या करने तथा उपयोग करने की निपुणता** : संस्था ही वह केन्द्र होता है जहां पर सेवार्थी को सहायता प्रदान की जाती है। अतः वैयक्तिक कार्यकर्ता को इसके विषय में ज्ञान होना आवश्यक होता है। वह संस्था में उपलब्ध साधनों का भी उचित प्रयोग करने में निपुण होता है।
5. **चिकित्सा पर संस्कृति का प्रभाव** : सेवार्थी की इच्छा, मनोवृति, धारणा, मूल्य आदि को ध्यान में रखकर चिकित्सा योजना का निर्माण किया जाता है।
6. **समुदाय के अवसरों तथा रूढ़ियों का चिकित्सा पर प्रभाव** : चिकित्सा योजना में इस बात का ध्यान रखा जााता है कि समुदाय की रूढ़ियां क्या है तथा कौन–कौन से अवसर ऐसे है जिनको सेवार्थी के समायोजन कार्य में लगाया जा सकता है।
7. **चिकित्सा पर वैयक्तिक कार्यकर्ता तथा सहभागी साथियों की निपुणता एवं प्रतिभा का प्रभाव** : वैयक्तिक कार्यकर्ता द्वारा सेवार्थी की समस्या को समाधान करने का प्रयत्न किया जाता है अतः उसकी तथा उसके साथियों की योग्यता एवं प्रतिभा का वैयक्तिक सेवा कार्य चिकित्सा में विशेष महत्व होता है।

वैयक्तिक कार्यकर्ता की भूमिका

चिकित्सा प्रक्रिया में वैयक्तिक कार्यकर्ता निम्नलिखित भूमिकाएं अदा करता है :

1. **प्रदानकर्ता** : वह सेवार्थी द्वारा इच्छित सेवाओं को प्रदान करता है।
2. **स्थिति प्रदर्शक** : वह स्रोतों की खोज करता है।
3. **प्राख्याकार** : समस्या से सम्बन्धित कारकों की प्राख्या करता है।
4. **मध्यस्थ** : सेवार्थी को भावनाओं के व्यक्तीकरण में मध्यस्थता का कार्य करता है।
5. **परिवर्तन** : वह सेवार्थी के पर्यावरण में परिवर्तन करता है।

4.3.1 मनोचिकित्सा

मनोवैज्ञानिक विधियों से व्यक्तित्व की अवस्थाओं की चिकित्सा करना ही मनोचिकित्सा है। मनोचिकित्सा का मुख्य उद्देश्य सेवार्थी एवं उसके पर्यावरण के बीच का उचित समायोजन स्थापित करना है। मनोचिकित्सा द्वारा सेवार्थी को एक सामान्य व्यक्ति बनाने, समस्याओं को सुलझाने, विकारों को दूर करने, उसे सामाजिक समायोजन के योग्य बनाने एवं सुरक्षा की भावना का विकास करने का प्रयत्न किया जाता है। सेवार्थी में दमित इच्छाएं होती है जिनको वह समझने में अपने को असमर्थ पाता है। मनोचिकित्सा द्वारा सेवार्थी को पूर्व चेतन प्रत्ययों, मूल प्रवृतियों तथा प्रभावों जिनका सामना करने तथा प्रतिदमित करने में भी असमर्थ रहा है, अभिज्ञान प्राप्त होता है।

सामान्यतया मनोचिकित्सा का उद्देश्य परिपक्वता दक्षता तथा आत्म–कार्यान्वयन की दिशा में व्यक्तित्व का विकास करना है। इस सामान्य कार्य में निम्नलिखित में से एक या अनेक विशिष्ट उद्देश्य निहित है :

1. समस्या तथा व्यवहार के सन्दर्भ में अन्तदृष्टि में वृद्धि करना।
2. आत्म ज्ञान कराना।
3. मानसिक संघर्ष के कारणों का समाधान करना।
4. अवांछनीय आदतों तथा प्रतिक्रिया तरीकों में परिवर्तन लाना।

मनोचिकित्सा तथा वैयक्तिक सेवा कार्य में अन्तर

वैयक्तिक सेवाकार्य में सेवार्थी की समस्या का समाधान मनोचिकित्सा के विभिन्न तरीकों द्वारा किया जाता है। सेवार्थी का संस्था से सम्बन्ध केवल चिकित्सा के कारण ही होता है। और वैयक्तिक कार्य चिकित्सा द्वारा सेवार्थी की आन्तरिक एवं बाह्य परिस्थितियों में परिवर्तन लाया जाता है। इसमें मनोवैज्ञानिक तथा मनोविकार सम्बन्धी ज्ञान का विशेष महत्व होता है। इसके विपरीत वैयक्तिक सेवा कार्य की सेवाएं विस्तृत क्षेत्र एवं अधिक रखती है। दूसरे शब्दों में वैयक्तिक सेवा कार्य एक प्रकार की मनोचिकित्सा है जिसमें विशेष योग्यता, दक्षता, विभेदात्मक, उद्देश्य, तथा विशेष कार्य पद्धति होती है। वास्तव में वैयक्तिक सेवा कार्य में मनोचिकित्सीय सिद्धान्तों को एक विशिष्ट प्रकार से उपयोग में लाया जाता है। अतः इन दोनों में काफी समानता है।

1. वैयक्तिक सेवा कार्य तथा मनोचिकित्सा दोनों ही व्यक्ति की सहायता सांवेगिक तनाव तथा कष्ट की स्थिति में करते हैं।
2. साक्षात्कार की निपुणताएं दोनों के लिए आवश्यक है।
3. दोनों प्रकार के कार्यकर्ताओं में रोगी को आराम पहुंचाने तथा रोगी को समस्या स्पष्ट करने की निपुणता होती है।
4. दोनों में विश्वास उत्पन्न करने की योग्यता एवं क्षमता होती है।
5. दोनों ही व्यक्ति की व्यक्तिकता तथा स्थिति का आदर करते हैं।

6. दोनों ही रोगी को आत्म–विश्वास करने का अवसर प्रदान करते है।
7. दोनों ही अपने–अपने व्यवसाय से सहायता प्रक्रिया से सम्बन्धित अधिकार प्राप्त करते हैं।
8. दोनों ही सांवेगिक तथा अचेतन प्रक्रियाओं की मनोवृतियों तथा व्यवहार को प्रभावित में महत्वपूर्ण समझते है।
9. दोनों ही क्षेत्रों में समस्या का चुनाव, विषय वस्तु का अवलोकन, अन्तर्मनोवैज्ञानिक अवरोधों की शक्ति, सीमाओं का ध्यान रखा जाता है।
10. दोनों कार्यकर्ता तथा चिकित्सक तत्कालीन तीव्र चिन्ता को समाधान करने के लिए सांवेगिक सहायता पहुंचाते है। दोनों ही सेवार्थी के प्रति सहिष्णुता प्रदर्शित करते हैं।
11. दोनों के स्थानान्तरण का महत्व होता है।

4.3.2 बाल देखभाल

सामजिक विघटन की जितनी भी समस्यायें आधुनिक औद्योगिक नगरीय सभाओं को घेरे हुये हैं उनमें बाल तथा किशोर अपराध की समस्या एक गम्भीर विचारणीय प्रश्न है। अपराधी बालक प्रायः निम्न कृत्यों में से किसी एक या एक से अधिक क्रियाओं में भाग लेता है :

1. कानून तथा अध्यादेश का उल्लंघन।
2. स्वभाव से अनुपस्थित होना।
3. जानबूझकर चोरों, अपराधियों तथा अनैतिक व्यक्तियों के साथ मेलजोल रखना।
4. माता–पिता तथा अभिभावकों के नियन्त्रण में न होना।
5. अपराध की दशाओं में बड़ा होना।
6. ऐसा आचरण करना जिससे स्वयं या दूसरों को नुकसान या चोट पहुंचे।
7. बिना किसी आवश्यक कार्य तथा माता–पिता की अनुमति के घर से बाहर रहना।
8. अनैतिक तथा अशिष्ट व्यवहार करना।
9. स्वभावतः गंदी भाषा का प्रयोग करना तथा गाली–गलौज करना।
10. जानबूझकर बदनाम घरों में जाना।
11. जुआ के अड्डों पर जाना।
12. आदतन स्टेशन का रेल पटरी के आस–पास रहना।
13. चलती गाड़ी से कूदना।
14. उन जगहों पर जाना जहां खराब तथा मादक दृव्य पिये जाते हैं।
15. रात में सड़कों तथा गलियों में घूमना।
16. स्कूल या अन्य स्थान पर अनैतिक आचरण करना।
17. अवैधानिक व्यवसाय करना।
18. सिगरेट, तम्बाकू तथा खराब व मादक दृव्य पीना।
19. यौन अनियमितताओं में रत होना।
20. भिक्षावृति करना।

बाल अपराध समस्या के नियन्त्रण के दो पक्ष है :

1) बाल अपराधियों का सुधार जिससे वह अपने आगे के जीवन में अपराधी प्रवृतियों को त्याग सके और वयस्क अपराधों न बने तथा

2) उन बालकों का उचित निर्देशात्मक नियन्त्रण जिससे व्यवहारिक सामंजस्य की समस्यों तथा चारित्रिक दोषों का जन्म हो रहा है तथा जो पूर्व बाल अपराध की अवस्था से गुजर रहे हैं।

सामूहिक कार्यकर्ता अपराध उत्पन्न करने वाली सामूहिक दशाओं में परिवर्तन लाने का प्रयास करता है। अपराध या बाल अपराध जैसी विषम समस्याओं का नियन्त्रण उस समय तक समाप्त नहीं है जब तक कि उन समुदायों की आर्थिक जीवन दशा नहीं सुधरेगी जिसमें बाल अपराध की समस्यायें स्वतः पनपती है। अतः इन समुदायों के लिए आर्थिक सुरक्षा के कार्यक्रम आयोजित करना, उनके जीवन स्तर को ऊँचा उठाना तथा गरीबी, अशिक्षा व आवास की समस्या का समाधान करना, सामूहिक कार्यकर्ता का कार्य हो जाता है। समुदाय के प्रबुद्वजनों का एक ऐसा संगठन तैयार करता जो अपराधी व्यक्यिों पर अपना प्रभाव दिखायें व बालकों को उनके पास न जाने हैं। इस कार्य में वह स्कूलों, धार्मिक संस्थाओं, कल्याणकारी सेवाओं आदि की सहायता लेता है। वह बाल अपराधियों को मनोचिकित्सकीय सेवायें भी प्रदान करता है। वह मनोरंजन के साधनों की व्यवस्था करता है क्योंकि मनोरंजन के अभाव में ही असामाजिक तथा अपराधिक प्रवृतियों का विकास होता है। सामूहिक कार्यकर्ता मनोरंजन की संस्थाओं, कार्यो, खेलों के मैदानों, क्लबों आदि की व्यवस्था करता है। उसके द्वारा बालकों की मनोरंजन विधियों को चरित्र निर्माणक बनाया जा सकता है। सामूहिक कार्यकर्ता पारिवारिक कल्याण सेवा केन्द्रों की स्थापना करता है तथा बाल एवं युवा कल्याण सेवाओं का विस्तार करता है। अपराधी प्रवृत्ति रखने वाले बालकों का लेखा तथा उनके सुधार के लिए उचित कार्यक्रमों का आयोजन करता है। सामूहिक कार्यो के माध्यम से उनके जीवन के दृष्टिकोण में परिवर्तन लाने का प्रयास करता है तथा वे प्रयत्न करता है जिससे उनमें वैयक्तिक क्षमतायें बढ़ती है तथा आत्मनिर्भरता आती है।

4.4 शिक्षा एवं अनुसंधान

शिक्षा एंव अनुसंधान एक दूसरे के पूरक है जबकि देखा जाय तो शिक्षा प्राप्त करने हेतु व्यक्ति प्रयासरत रहता है। लेकिन शिक्षा प्राप्त करने से पहले अभ्यास का होना आवश्यक है। क्योंकि जब व्यक्ति अभ्यास करता है तो अभ्यास अनुभव में परिवर्तित हो जाता है और वही अनुभव व्यक्ति के ज्ञान में वृद्धि करता है। जब व्यक्ति के अन्तर्गत ज्ञान की वृद्धि होती है तो वह विभिन्न क्षेत्रों में शोध करने का प्रयास करता है जबकि वह शोध के सिद्धान्तों के बारे में अनभिज्ञ होता है लेकिन व्यक्ति जब प्रयास करता है तो वह कई बार असफल भी होता है। यह असफलता उसे पुनः शोध करने पर मजबूर कर देता है। चूंकि व्यक्ति की सीखने की क्षमता उसके अनुभवों पर आधारित होती है। इस हेतु व्यक्ति अभ्यास और त्रुटि के सिद्धान्त पर कार्य करते हुये बार–बार प्रयास करता है और

अन्ततोगत्वा वह सफल हो जाता है और जिस क्षेत्र में अनुसंधान कर रहा होता है उस क्षेत्र में एक नए सिद्धान्त का प्रतिपादन करता है और वही सिद्धान्त व्यक्तियों के ज्ञान बढ़ाने हेतु शिक्षा के माध्यम से लोगों तक पहुचाया जाता है। शिक्षा एवं अनुसंधान के प्रक्रिया में जे0 डोबलिन एक प्रारूप प्रस्तुत किया जिसमें उन्होनें बताया कि व्यक्ति के शिक्षा प्राप्त करने में अभ्यास का महत्वपूर्ण स्थान है और यही अभ्यास उसे शिक्षा प्राप्त करने में सहायता प्रदान करता है। जब व्यक्ति शिक्षित हो जाता है तो वह नए सिद्धान्तों के प्रतिपादन के लिए अपने ज्ञान का प्रयोग कर अनुसंधान करता है। जे0 डोबलिन द्वारा प्रस्तुत प्रारूप अग्रलिखित है।

ज्ञान निर्माण

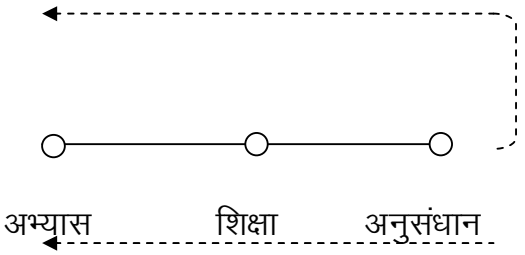

ज्ञान का प्रयोग

4.5 सुधारात्मक सेवायें

अनेक अनुसंधानों तथा अध्ययनों से यह सिद्ध हो चुका है कि अपराधी को केवल दण्ड देकर उसकी मनोवृत्ति एवं व्यवहार में परिवर्तन नहीं ला सकते हैं। प्रतिकारात्मक, प्रतिशोधात्मक, भयात्मक प्रकार की विधियाँ अपराधी दशा को सुधारने में नकारात्मक प्रकार की भूमिका निभाती है। अपराधी को ऐसे अवसर प्राप्त हों, जिससे वह अपना व्यवहार परिवर्तित कर सके। ऐसे कार्यो की आवश्यकता कारागारों में है। सुधारात्मक दर्शन के अनुसार दण्ड का आधार या लक्ष्य अपराधों को दण्ड देना न होकर अपराधी की मनोवृत्ति में परिवर्तन लाना है, जिससे कारागार से वापस जाने पर समाज के सामाजिक एवं वैधानिक नियमों का स्वेच्छापूर्वक पालन करने की मनोवृत्ति तथा एक उत्तरदायी नागरिक की तरह रहने की कला का विकास कर सके। समाज कार्य के दर्शन का प्रभाव दण्डशास्त्र पर पड़ा और अपराधी कार्य की असमंजन, विस्थापन, विचलन, मानसिक विकार आदि का चिन्ह माना जाने लगा है।

दण्डशास्त्र के नवीन दृष्टिकोण के अनुसार अपराधों का मुख्य कारण समाज की सामाजिक, आर्थिक दोषपूर्ण संरचना है। अतः अपराधी को दण्ड देना अवांछित तथा अमानवीय एवं अनैतिक है। सामूहिक कार्य का दृढ़ विश्वास है कि सामुहिक व्यक्ति में एक

निहित आत्म–सम्मान की भावना एवं सुधार की क्षमता होती है। यदि उसे सहायता पहुंचायी जाय तो वह अपनी समस्याओं का निस्तार मार्ग ढूंढ सकता है।

सुधार कार्यकर्ताओं की टोली में निम्न भूमिकायें पूरी करता है :

1. अपराधियों के विषय में जांच–पड़ताल करके सुधारवादी कार्यक्रम निश्चित एवं प्रस्तुत करने में सहायता करना।
2. सामूहिक कार्य के माध्यम से इस प्रकार से पर्यवेक्षण करना जिससे वह आत्मनियंत्रण सीखे।
3. सामाजिक तथा वैयक्तिक मजबूरियों को दूर करने में सहायता करना तथा इनमें व्यवहार को सामाजिक आदर्शो के अनुरूप बनाना।
4. इस प्रकार में सहायता करना जिससे वे कानूनी तथा प्रशासनिक नियमों का पालन अपने हित को ध्यान में रखकर कर सकें।
5. उन संवातियों को परामर्श देना तथा मार्गदर्शन करना की कारागार में पहली बार आये है।
6. मानसिक कुंठाओं, आहत भावनाओं तथा विक्षिप्त मनोदशाओं को दूर करने में सहायता करना तथा उन्हें संस्था के अन्य संवासियों, अधिकारियों तथा कार्य–पद्धतियों के समरूप व्यवहार करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करना। कारागारों में नियुक्त कल्याण अधिकारियों के कार्यो का दर्शन निम्न प्रकार से किया गया है :
   - **i)** नये संवासियों के व्यक्तित्व का अध्ययन करना।
   - **ii)** कारागार के कार्यक्रम अवगत कराना।
   - **iii)** अपने जीवन की नवीनदशा तथा संस्था में ठीक से रहने के मार्ग बताना।
   - **iv)** संस्थागत समस्याओं को दूर करने के मार्ग ढूंढना।
   - **v)** संवासियों को संस्था की समस्याओं को दूर करने में प्रोत्साहित करना।
   - **vi)** उन्हें अपने परिवार के साथ सम्बन्ध बनाये रखने में हर सम्भव सहायता करना।
   - **vii)** परिवार के सदस्यों की भी सहायता करना।
   - **viii)** बंदी को आत्मनिर्भर, कानून पालनकर्ता तथा उत्तरदायी नागरिक बनाने का प्रयत्न करना।
   - **ix)** कारागार अधिकारियों के साथ बैठकर बंदी के उपचार के कार्यक्रम उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं को ध्यान में बनाने पर बल देगा।
   - **x)** कारागार प्रशासन तथा बंदी के बीच कड़ी का काम करना।

4.6 निगमित क्षेत्र

1994 से पूर्व निगमित क्षेत्र समिति की रचना ऐसे क्षेत्रों के लिए की जाती थी, जहां नगरपालिका स्थापित करने के लिए निर्धारित आवश्यक शर्तो को पूरा नहीं किया जा सकता परन्तु वह क्षेत्र अत्यन्त महत्वपूर्ण होता था। कहीं–कहीं नये विकासशील नगर या कस्बों के लिए भी यह समिति गठित की जाती थी। इस प्रकार की समिति की स्थापना की सूचना राज्य सरकार द्वारा प्रकाशित राज्य पत्र में अधिसूचित कर दी जाती थी, अतः इसे

निगमित क्षेत्र समिति के नाम से पुकारा जाता था। इस पर नगरपालिका अधिनियम की जो धारा लागू होती थी वह भी राज्य पत्र में ज्ञापित की जाती थी। राज्य सरकार निगमित क्षेत्र समिति को आवश्यकता पढ़ने पर किसी अन्य अधिनियम में निहित शक्तियां भी दे सकती थी।

स्पष्ट है कि निगमित क्षेत्र समिति को वे सभी शक्तियां प्राप्त होती थी, जो किसी नगरपालिका को प्राप्त है। निगमित क्षेत्र समिति का अध्यक्ष एवं इसके सभी सदस्य राज्य सरकार द्वारा मनोनित किये जाते थे। यह पूर्णरूपेण मनोनीत संस्था थी आज भी भारत में निगमित क्षेत्र है। 1972 में इनकी संख्या 164 थी, यह संख्या 1990 में बढ़कर 202 हो गयी। निगमित क्षेत्र समितियां बिहार, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, मैसूर, पंजाब, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश तथा हिमाचल में विद्यमान है।

4.6.1 दाता संस्थायें

कष्ट, अकाल, बाढ़, भूकम्प, आग, ज्वालामुखी–विस्फोट आदि बड़ी–बड़भ विपत्तियों के अवसर पर एक राष्ट्र का दूसरे राष्ट्र की सहायता करना ही अज्ञात काल से चला आया है परन्तु विस्तृत अर्थो में समाज–कल्याण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय कार्य कर आरम्भ पहले–पहल उन्नीसवीं शताब्दि के मध्य काल में हुआ जबकि दान की सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने अपने पारस्परिक अनुभवों से लाभ उठाने और उससे समाज सेवा के क्षेत्र में प्रभावशाली उपायों का ज्ञान प्राप्त करने के लिये अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों का संगठन करना आरम्भ किया। इन सम्मेलनों की बैठकें यूरोप के विभिन्न नगरों में हुई और वे विभिन्न सामाजिक समस्याओं से सम्बन्धित थीं, यह उनके निम्नलिखित शीर्षकों से प्रकट होता है –

अन्तर्राष्ट्रीय दान, सुधार तथा हितैषी–कांग्रेस, पेनीटेन्शियरी कांग्रेस, अन्तर्राष्ट्रीय दण्ड तथा कारागार कांग्रेस, अन्तर्राष्ट्रीय सरकारी तथा गैरसरकारी सहायता प्रदायिनी कांग्रेस, और मुक्ति प्राप्त बन्दियों की रक्षा करने वाली अन्तर्राष्ट्रीय कांग्रेस, समाज कल्याण से सम्बन्धित, सबसे पहला विशाल सम्मेलन अन्तर्राष्ट्रीय रेडक्रास था। जिनमें बहुत देश के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस सम्मेलन की धाराओं ने यह निश्चित किया गया है कि अन्तर्राष्ट्रीय समिति के निर्देशन में घायल सिपाहियों की मानवौचित चिकित्सा तथा सेवा करने के सिद्धान्त निर्धारित किये जाए और औद्यालय को ले जानी गाड़ियों, घायलों की सेवा करने वाले डाक्टरों तथा नर्सो को निरपेक्ष मानकर उनका सम्मान किया जाए।

इस प्रकार समाज कल्याण के क्षेत्र में जो भी संस्थायें लोगों के कल्याण हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करती है उन्हें दाता संस्थायें कहते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय तथा भारतीय सन्दर्भ में लोगों के कल्याण हेतु बहुत सी ऐसी दाता संस्थायें है जो विभिन्न प्रकार की स्वैच्छिक संस्थाओं, सरकारी संस्थाओं तथा गैर सरकारी संस्थाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। कुछ दाता संस्थाओं के अग्रलिखित है :

1. संयुक्त राष्ट्र शिशु फण्ड, 2. अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, 3. विश्व स्वास्थ्य संगठन, 4. भोजन तथा कृषि संगठन, 5. संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठना। 6. आक्सफैम इण्डिया, 7. हेल्पेज इण्डिया, 8. एक्सन ऐड, 9, समाज कल्याण बोर्ड, भारत सरकार, 10. ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार

4.6.2 गैर सरकारी संगठन

भारत में सामाजिक सेवाओं, परोपकारी गतिविधियों की एक महान परम्परा रही है। प्राचीन समय की भारतीय लोकोपकारी और संस्कृति में धर्म के रूप में व्यक्ति में निहित लोकोपकार की सहजवृत्ति के अलावा पूर्त और स्वैच्छिक संस्थाऐं भी, गरीबों, निराश्रितों, पद–दलितों, अशक्तों और समाज के कमजोर वर्गो की सहायता के लिए पिछले दो दशकों में अस्तित्व में आई है सामाजिक कल्याण गतिविधियों जैसे गरीब की सहायता करने, साक्षरता फैलाने आदि में संलग्न स्वैच्छिक संगठनों की ब्रिटिश समय से भारत में उपलब्धियों का एक अच्छा रिकार्ड है। इस शताब्दी के प्रारंभिक भाग में राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए महात्मा गांधी के आन्दोलन की जड़ें सामाजिक पुनर्निमाण, स्व–सहायता, गरीबों में सबसे गरीब, अछूत को ऊँचा उठाने के आदर्शो से जुड़ी थी।

गैर सरकारी संगठन की परिभाषा

गैर सरकारी संगठनों को विभिन्न लेखकों द्वारा परिभाषित किया गया है। नीचे कुछ परिभाषाएं दी गई है जिनके माध्यम से हम गैर सरकारी संगठन का अर्थ और उसकी अवधारणा को समझ सकते हैं।

लार्ड बेवरिज स्वैच्छिक कार्य और गैर सरकारी संगठन के बारे में लिखता है कि एक पीढ़ी पूर्व एक स्वैच्छिक कार्यकर्ता वह हुआ करता था जो एक अच्छे हेतुक के लिए असंदत्त सेवाएं देता था और वह समूह जो अच्छे हेतुक के लिए बना था, स्वैच्छिक संगठन के रूप में जाना जाने लगा। समूह का नाम उनके कार्यकर्ताओं के उत्कृष्ट गुणों से बना जिन पर यह निर्भर था। इसके अतिरिक्त उन्होनें स्वैच्छिक संगठनों की निम्नानुसार परिभाषाएं दी हैं –

1. उचित रूप से कहा जाय तो गैर सरकारी संगठन ऐसा संगठन होता है जो, चाहे उसके कार्यकर्ताओं को भुगतान किया जाता हो या न किया जाता हो, बिना बाहरी नियंत्रण के उसके स्वयं के सदस्यों द्वारा प्रारंभ और शासित किया जाता हो।
2. मेरी मोरी और मोडेलाईन रुफ द्वारा दी गई परिभाषाएं भी इसी प्रकार की है अंतर मात्र इतना है कि मोडेलाईन रुफ ने इसमें यह जोड़ा है कि इन गैर सरकारी संगठनों को कम से कम भागित रुप से गैर सरकारी संसाधनों से सहायता प्राप्त करने पर निर्भर रहना चाहिये।
3. एक गैर सरकारी संगठन व्यक्तियों का ऐसा समूह है जिन्होनें संगठित कार्यक्रमों के माध्यम से सामाजिक सेवाएं या ग्रामीण विकास करने के लिये एक विधिक निर्मित निकाय के रूप में स्वयं को संगठित किया है। यह सरकार की अपेक्षा नागरिकों के

संगम द्वारा नियंत्रित और जबावदेह होता है, यद्यपि प्राथमिक रूप से समुदाय से योगदान द्वारा वित्त पोषित होता है।

गैरसरकारी संगठनों की भूमिका

यद्यपि अनेक समस्याओं के बावजूद भारत में गैरसरकारी संगठनों ने शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक कल्याण, युवा विकास के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया है। गैरसरकारी संगठनों को उनके मानवीय स्पर्श, समर्पण, जनता से सीधा संवाद आदि के रुप में जाना जाता है। किन्तु व्यवसायवाद और सरकारी घुसपैठ से इनके सदगुणों में कुछ कमी आई है। सरकारी सहायता के प्राप्त होने के साथ ही कार्यालयीन कागजी औपचारिकताओं को पूर्ण करने के उत्तरदायित्व से मूलहेतुक से ध्यान विचलित हुआ है। बुरी खबर यह है कि संश्रय के कारण कुछ गैरसरकारी संगठन पूर्णतः राजनैतिक हो गए हैं जो जनता और उनकी मूल भावना के प्रतिकूल है।

सतवीं पंचवर्षीय योजना के दस्तावेज (1985–90) में गैरसरकारी संगठन की भूमिका को दर्शित किया है। इनसे अपेक्षा की गई हैं कि –

1. सरकारी प्रयत्नों को जोड़ा जाए जिससे ग्रामीण गरीबों को विकल्प और चयन प्राप्त हो सकें।
2. ग्राम स्तर पर जनता पर नजर रखें।
3. एक उदाहरण प्रस्तुत करें। स्वैच्छिक ऐजेन्सियां साधारण, नवाचार, नमनीय, और कम खर्चीले साधनों को अपनाएं जो जनता के सीमित स्रोतों की पहुंच के भीतर हों।
4. सेवा प्रदान करने की पद्धति को ग्रामीण स्तर पर सक्रिय करें।
5. जानकारियों का प्रचार–प्रसार करें।
6. समुदाय को जहां तक सम्भव हो, आत्मनिर्भर बनाऐं।
7. यह दर्शाऐं कि कैसे ग्रामीण और देशज संसाधनों का उपयोग किया जा सकता है। मानव संसाधन ग्रामीण कौशल और स्थानीय ज्ञान का किस रुप में उपयोग किया जा सकता है।
8. प्रौद्योगिकी का विस्तार कर इसे ग्रामीण गरीबों के लिए सरल रूप में प्रस्तुत करें।
9. जमीनी कार्यकर्ताओं के संवर्ग को प्रशिक्षित करें।
10. समुदाय के भीतर से ही वित्तीय संसाधनों को एकत्रित करें।
11. गरीबों को संगठित करें और इन सेवाओं के प्रति उनमें जागरुकता उत्पन्न करें।

सातवीं पंचवर्षीय योजना ने ग्रामीण विकास में गैरसरकारी संगठन महत्व को स्वीकार करते हुए प्रथम बार 150 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता आबंटित की है। भारत सरकार भी अनेक माध्यमों से इन क्षेत्रों में उत्साहजनक कार्य कर रही है।

4.7 सार संक्षेप

प्रस्तुत इकाई चार में समाज कार्य क्षेत्र अभ्यास में व्यक्ति, परिवार, समुदाय व संगठन के बारे में अलग–अलग ब्यौरा प्रस्तुत किया गया है इसी इकाई में चिकित्सा क्या है, मनोचिकित्सा और बाल देखभाल के बारे में भी प्रकाश डाला गया है। शिक्षा एवं

अनुसंधान के बारे में भी ब्यौरा दिया गया है तथा सुधारात्मक सेवायें क्या होती है। तथा समाज कार्य सेवा का इसमें कैसे प्रयोग किया जा सकता है के बारे में लिखा गया है। इकाई के अन्त में निगमित क्षेत्र, प्रातः संस्थायें और गैर सरकारी संगठनों के बारे में भी अलग–अलग रूप में विस्तृत प्रकाश डाला गया है।

4.8 परिभाषिक शब्दावली

Person	व्यक्ति	Mother institutions	दाता संस्थायें
Family	परिवार	Non govt. organisations	गैर सरकारी संगठन
Community	समुदाय	Environmental Manipulation	स्थिति पर्यावरण
Organisation	संगठन	Personal Situation	व्यक्ति परिस्थिति
Therapy	चिकित्सा	Provider	प्रदानकर्ता
Psycho-therapy	मनोचिकित्सा	Locator	स्थिति प्रदर्शक
Child care	बाल देखभाल	Interpretor	प्राख्याकार
Education	शिक्षा	Mediator	मध्यस्थ
Research	अनुसंधान	Modifier	परिवर्तक
Correctional services	सुधारात्मक सेवायें	Repressed	प्रतिदमित
Notified area	निगमित क्षेत्र	Transference	स्थानान्तरण

4.9 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. मिश्र, डॉ0 प्रयाग दीन, सामाजिक वैयक्तिक सेवा कार्य, उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान लखनऊ, वर्ष 1997, पेज 269–271, 402–406, 412.414.
2. कुमार, डॉ0 रुपेश, क्षेत्रकार्य, लखनऊ विश्वविद्यालय में समाज कार्य विभाग में विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत मानवकीय एवं समाज विज्ञान से सम्बन्धित मेटेरियल, वर्ष 2004, पेज 79–83, 106–114, 169–170.
3. मदन, डॉ0 जी0 आर0, समाज कार्य, विवेक प्रकाशन दिल्ली, वर्ष 2006, पेज 308–315, 339–341.
4. मिश्र, डॉ0 प्रयाग दीन, सामाजिक सामूहिक कार्य, उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान लखनऊ, वर्ष 2005, पेज 85–88.

अभ्यास हेतु प्रश्न

1. समाज कार्य अभ्यास में संगठन क्या है ?
2. चिकित्सा क्या हैं ?
3. बाल देखभाल से आप क्या समझते हैं ?
4. शिक्षा एवं अनुसंधान से क्या तात्पर्य है ?
5. सुधारात्मक सेवायें क्या होती है ?
6. निगमित क्षेत्र से क्या समझते हैं ?